लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—10, शुक्रवार, 28 नवम्बर, 1969/7 अग्रहायण, 1891 (शक)
No.—10, Friday, November 28, 1969/7 Agrahayana, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
272. उत्तर बिहार के विकास के सम्बन्ध में ज्ञापन	Memorandum re. Development of North Bihar	1—4
273. सेना से मुक्त गोरखा सैनिकों का माओ की सेनाओं में भर्ती होना	De-mobbed Gurkha Soldiers joining Mao's Forces	4—5
274. मद्रास पत्तन पर ड्राई डाक के लिये प्रस्ताव	Proposal for Dry Dock at Madras Port	5—8
275. काश्मीर की समस्या को हल करने के लिये शेख अब्दुल्ला का फार्मूला	Sheikh Abdullah's formula for Settlement of Kashmir Question	8—12
276. सशस्त्र सेनाओं और पुलिस विभागों में मुसलमानों की भर्ती	Recruitment of Muslims in Armed Forces and Police Departments	12—16
280. केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा गैर सरकारी दौरे	Unofficial tours by Union Ministers	16—17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS**	
277. धार्मिक न्यासों की निधियों का दुरुपयोग	Misuse of Funds of Religious Trusts	17—18
278. पटना के निकट गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण	Construction of a Bridge over River	18
279. बिहार राज्य के कोयला क्षेत्रों में राजनीतिक हत्याएं	Political Murders in Coal Belt in Bihar State	18
281. वन्य पशुओं के संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में स्कूलों में बुनियादी शिक्षा	Basic Education re. conservation and management of wild life in Schools	19
282. भारत सर्वेक्षण विभाग को नया रूप देना	Revamping Survey of India	19
283. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार	Review of cases of Central Government Employees who participated in 19th September, 1968 strike	20
284. धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक मेल जोल के आदर्शों के प्रचार में विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं का योगदान	Role of Universities and Educational Institutions in spreading ideals of secularism and communal harmony	20—22
285. दिल्ली परिवहन उपक्रम के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी पार्षद का वक्तव्य	Statement of Chief Executive Councillor Re. Delhi Transport Undertaking	22—23
286. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की देखभाल के संबंध में नियमों तथा विनियमों में छूट दिया जाना	Relaxation of Rules and Regulations in maintenance of Aircraft by IAC	23
287. दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ की घटनाएं	Menance of Eve-testing in Delhi	23—24

तां० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
288. वाराणसी में एक पटसन कम्पनी पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे	CBI Raids on a Jute Company in Varanasi	24
289. नागालैंड में यात्रा करने की स्वतंत्रता	Freedom of Travel in Nagaland	24—25
290. केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रतिवेदित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against Central Government Employees reported by Central Vigilance Commission	25
291. त्रिपुरा को राज्य का दर्जा देना	Statehood for Tripura	25—26
292. हरिजनों पर अत्याचार	Atrocities on Harijans	26
293. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों को फिर से मान्यता देना	Restoration of recognition of Central Government Employees Unions	26—27
294. साम्प्रदायिकता को नष्ट करने के सम्बन्ध में सर्वदलीय सम्मेलन	All Party Conference on eradicating Communalism	27
295. कोचीन में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना	Second Shipyard at Cochin	28
296. पुलिस में मुसलमानों की भर्ती	Recruitment of Muslims in Police	28—29
297. बर्न लिप्यधिकार समझौते पर विचार विमर्श	Discussions on Berne Copyright Pact	29
298. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के किराये में वृद्धि	Increase in IAC Fare	29—30
299. महाराष्ट्र, मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Border Dispute	30
300. केन्द्रीय सड़क निधि से केरल राज्य को नियत की गई धनराशि	Amount allotted to Kerala State from Central Road Fund	30

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1801.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह	Holiday Homes for Central Government Employees	31
1802.	उखरूल रोड पर नागाओं द्वारा घात लगा कर किये गये आक्रमण में लोगों की मृत्यु	Death of persons in an Ambush laid by Nagas on Ukhrul Road	31—32
1803.	महाराष्ट्र जाने वाले पर्यटकों के लिये परिवहन सुविधाएं	Transport facilities for Tourists Visiting Maharashtra	32—33
1804.	गुजरात राज्य के पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Gujarat State	33—34
1805.	गुजरात का दौरा करने वाले विदेशी अतिथियों पर व्यय	Expenditure on foreign guests visiting Gujarat	34
1806.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर आये गुजरात के अधिकारी	Officers from Gujarat on deputation to Central Government Offices	34—35
1807.	गुजरात में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist places in Gujarat	35
1808.	मदुरै में ध्वनि तथा प्रकाश दर्शन	Sound and light spectacle in Madurai	35
1809.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हिन्दी सिखाना	Compulsory Hindi teaching to Central Government Employees	36
1810.	संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य	Functions of UPSC	36
1811.	बड़े पत्तनों में पत्तन शुल्क की वृद्धि	Rise of port charges in Major Ports	36—37
1812.	अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का आनरेरी रैंक	Honorary Rank of IAS to Officers	37

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1813.	नागपुर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कल्याण समिति — Welfare Society for Central Government Employees at Nagpur	37—38
1814.	प्रथम और द्वितीय श्रेणी में विमानों द्वारा पदोन्नत किये गये तथा सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों की वरिष्ठता सूची — Seniority list for Departmentally promoted officers and direct recruits in Class I and II	38
1815.	बिहार में हरिजनों पर प्रहार — Assaults on Harijans in Bihar	38—39
1816.	दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री — Sale of Illicit Liquor in Delhi	39
1817.	पश्चिम बंगाल में मौइरा कोयला खान में श्रम विवाद — Labour trouble in Moria Colliery West Bengal	39
1818.	सैनिक राइफलों से विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता — World shooting championship with Military Rifles	40
1819.	अगस्त-अक्तूबर, 1969 की अवधि में प्रधान मन्त्री के दौरों पर खर्च — Expenditure on Tours by Prime Minister during August to October, 1969	40—41
1820.	प्रधान मंत्री की मनाली हिमाचल प्रदेश यात्रा पर हुआ व्यय — Expenditure incurred on P. M. visit to Manali (Himachal Pradesh)	41
1821.	राजस्थान की सीमा के ग्रामीणों द्वारा पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देने के बारे में आरोप — Allegation of Passing Secret information to Pakistan by Villagers on Rajasthan Border	41—42
1823.	संसद् भवन के केन्द्रीय कक्ष (सैंट्रल हाल) में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिये संसद् सदस्यों को पास जारी किया जाना — Issue of passes to Members of Parliament for attending Oath Ceremony of the President in the Central Hall Parliament House	42
1824.	दिल्ली के शिक्षकों से ज्ञापन पत्र — Memorandum from Delhi Teachers	42—43

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
18?5.	ब्रह्मपुत्र नदी पर पुलों का निर्माण	Construction of bridges on the Brahmaputra River	43
1826.	पूर्णिया (बिहार) के बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत	Relief to Inhabitants affected by flood in Purnea (Bihar)	43
1827.	देश में विदेशी धन के आने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on the inflow of Foreign Funds	43—44
1829.	दिल्ली में गांधी दर्शन प्रदर्शनी	Ghandhi Darshan Exhibition, Delhi	44
1830.	बाढ़ के कारण जान माल की हानि	Loss of life and property due to floods	44—45
183?.	बिहार में बाढ़ सहायता	Flood Relief in Bihar	45
1834.	ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ पीड़ितों को सहायता	Relief to flood vicitims in Brahmaputra Valley	45—46
1935.	चंडीगढ़ के विद्यार्थियों को छात्रवृति	Scholarship to students of Chandigarh	46
1836.	अनुसूचित आदिम जातिय ईसाई विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to Scheduled Tribes Christian Students	46
1837.	बिहार में भूमि के बलात अर्जन के लिये संयुक्त समाजवादी दल की योजना	Samyukta Socialist Party Scheme for forcible occupation of land in Bihar	47
1838.	दिल्ली प्रशासन को सहायता	Aid to Delhi Administration	47
1839.	प्रलोभन दे कर धर्म परि-वर्तन	Religious Conversions through Allurement	48
1840.	उच्च न्यायालयों में विचाराधीन लेख याचिकायें	Petitions pending before high courts	48—49
1841.	बिहार में बक्सर जिले में हरिजनों की हत्या	Killing of Harijans in Buxar District of Bihar	49
1842.	दल बदल की प्रथा को रोकने के लिये कानूनी व्यवस्था	Legal provision to stop defections	49

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1843. अखिल भारतीय सेवाओं में प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के अधिकारी	Class I. S. C. and S. T. Officers in All India Services	50
1844. आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भिड़न्त	Clash on Assam East Pakistan Border	50
1845. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा 19 सितम्बर, 1969 को दिया गया वक्तव्य	Statement made by Governor of West Bengal on 19th September, 1969	51
1846. राजस्थान में बोहर जाति के लोगों द्वारा हत्यायें	Murders by Bohar Community in Rajasthan	51
1848. गरीब विद्यार्थियों में वितरण करने के लिये दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हुए दुग्धचूर्ण की बिक्री	Sale of Milk Powder received by Delhi Municipal Corporation for distribution among poor students	51—52
1549. हुसैनीवाला में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये बंगले तथा मकान	Bungalows and Houses for Officers and staff at Hussainiwala	52
1850. चण्डीगढ़ स्थित बैंक आफ इण्डिया से चोरी	Theft from Bank of India, Chandigarh	52
1851. गुजरात में साम्प्रदायिक नर संहार	Communal Carnage in Gujarat	52—53
1852. भागलपुर विश्वविद्यालय संकाय के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये यात्रा बिलों के बारे में पत्र/शिकायत	Communication/complaint about Travelling bills forwarded by some Members of Bhagalpur University faculty	53—54
1853. राँची विश्वविद्यालय	Ranchi University	54
1854. दुर्घटनाओं के कारण भारत तथा विदेशों में मृत्यु दर	Death Rate in India and in foreign countries due to accidents	54—55
1855. कामैक्स दल पर व्यय	Expenditure on Comex Team	55—56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1856. वर्ष 1969 के दौरान दिल्ली में छुरेबाजी की घटनायें	Stabbing cases in Delhi during 1969	56
1857. संघ राज्यक्षेत्र में प्रतिनियुक्त पंजाब पुलिस के एक पुलिस उपनिरीक्षक की सेवानिवृति	Retirement of DSP of Punjab police on Deputation to Union Territory	56—57
1858. सरकारी कर्मचारियों का आनन्द मार्ग की गति-विधियों में भाग लेना	Participation by Government employees in activities of Anand Marg	57—58
1859. पर्यटक व्यापार के बारे में एक रिपोर्ट का प्रकाशित किया जाना	Publishing of a Report on Tourist Trade	58—59
1860. सितम्बर, 1969 में ब्रिटेन के राज्य मंत्री और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के बीच बातचीत	Talks between U. K. Minister of State and Minister of State for Education, Government of India in Sept. 1969	59—60
1861. जहाजों के भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in Ocean Freight Rates	60
1862. एशियन होटल्स कम्पनी का बनाया जाना	Formation of Asian Hotels Company	60
1863. नये शिक्षा आयोग की नियुक्ति	Appointment of New Education Commission	61
1865. प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी स्टाकहोम अभिसमय	Stockholm Convention on Copyright	61—62
1866. राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में स्थान की कमी	Shortage of space in National Museum	62
1867. लड़कियों की शिक्षा	Girls Education	62
1968. बड़े पत्तनों का विकास	Development of Major Ports	62—63
1869. दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण सम्बन्धी समिति	Committee regarding revision of Pay scales of Delhi Teachers	63

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1870. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के महाप्रबन्धक का अपने विमानों के बेड़े के बारे में वक्तव्य	Statement made by General Manager of IAC regarding its fleet position	63—64
1871. बिहारशरीफ में बम रखने के कारण गिरफ्तारी	Arrest for possessing bombs in Bihar-sharif	64
1872. वाराणसी में आनन्द मार्ग के कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी	Arrest of Anand Marg Workers in Varanasi	64
1873. डगलस डी० सी० 9-विमान	Doglas DC-9 Aircraft	64—65
1874. आन्ध्र प्रदेश में स्थिति	Situation in Andhra Pradesh	65
1876. बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालयों के प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints regarding management of Patna and Muzaffarpur Universities in Bihar	66
1878. दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Nationals in Delhi	67
1879. नेहरू स्मारक संग्रहालय	Nehru Memorial Museum	67—68
1880. जयपुर, अजमेर राजपथ पर पैराशूट द्वारा एक व्यक्ति का उतारा जाना	Person dropped by Parachute on Jaipur Ajmer Highway	68
1882. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के निदेशकों की प्रधान मन्त्री के साथ बैठक	Meeting of directors of CSIR with Prime Minister	68—69
1883. अन्दमान के उस बंगले का आरक्षण जिस में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ठहरे थे	Preservation of Bangalow in Andaman where Netaji Subhash Chandra Bose stayed	69
1884. पश्चिम बंगाल में संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में घेराव	Gheraos in Educational Institutions and Universities in West Bengal	70
1885. राजनैतिक प्रतिक्रियावादियों के नाम पर लूटपाट, डकैती और हत्यायें	Lootings, Dacoities and Murders in the name of Political Reactionaries	70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1886.	दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् की प्रधान मन्त्री के साथ भेंट	Meeting of Chief Executive Councillor of Delhi with Prime Minister	71
1887.	प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अन्तर्राज्य परिषद् के गठन की सिफारिश	Inter State Council Recommended by ARC	71
1888.	निर्यात वस्तुओं पर दिये जाने वाला भाड़ा खर्च	Freight charges payable on export commodities	71—72
1889.	जापान स्पेन कारपोरेशन द्वारा भाड़े में वृद्धि	Increase in freight Charges by Japan Spain Corporation	72
1890.	केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी	Employees of Madhya Pradesh Government on deputation to Centre	72—73
1891.	दरयापुर (गुजरात) में विस्फोट	Explosion in Daryapur (Gujarat)	73
1892.	गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों में भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों का हाथ होने के बारे में जांच	Enquiry about involvement of Members of CPI in Communal Riots in Gujarat	73—74
1893.	जामिया मिलिया में आग लगाने का प्रयास	Arson attempt in Jamia Millia Islamia Delhi	74
1894.	पश्चिमी तट के पुलों और सैक्शनों का निर्माण	Construction of Bridges and Sections of the West Coast	74—75
1895.	गोआ के लिये विमान सेवा	Air Service to Goa	75
1896.	राष्ट्रीय सेवा निगम	National Service Corps	76—77
1897.	मनीपुर के युवकों का छापामार युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण के लिये पाकिस्तान जाना	Manipur Youth going to Pakistan for Guerilla Training	77
1898.	तमिलनाडू के लिये अधिक स्वायत्तता की मांग	Demand for Greater Autonomy for Tamil Nadu	77
1899.	केन्द्र तथा राज्यों के बीच हिन्दी में पत्र-व्यवहार	Hindi Correspondence between Centre and State	77—78

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1900. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी	Hindi in Central Government Offices	78—79
1901. भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता के संविधान में संशोधन	Revision of Constitution of Indian National Commission for Co-operation	79
1902. इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा एवरो 748 विमानों की खरीद	Indian Airlines to purchase more Avro 748 Planes	79—80
1903. विहार में राष्ट्रपति का शासन	President's Rule in Bihar.	80
1904. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल सम्बन्धी चन्द्रा रेड्डी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Chandra Reddy Committee on Indian School of International Studies	80—81
1905. एयर इण्डिया की परिवहन क्षमता की तुलना में उसका वार्षिक औसत ईन्धन खर्च	Annual Average Fueling Compared with carrying capacity of Air India	81—82
1906. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर नियंत्रण	Control over officers of All India Services	82—83
1907. इंडियन एवियेशन तथा इन्टरनेशनल एयर ट्रेवल एसोशियेशन	Indian Aviation and Internatioual Air Travel Association	83—84
1908. पर्यटन विकास परिषद् द्वारा किये गये निर्णय	Decisions taken by Tourist Development Council	84
1909. निवारक निरोध अधिनियम में संशोधन	Amendment of Preventive Detention Act	84—85
1910. भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता पुनः निर्धारित करना	Refixation of seniority of Scheduled Caste and Scheduled tribe Employees of Indian Meteorological Department	85
1911. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	85—86

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1912. बिहार राज्य अराजपत्रित संघ को मान्यता देना	Recognition of Bihar State non-Gazetted Employees Federation	86
1913. पर्यटकों की रुचि के स्थानों का विकास	Development of places of Tourist interest	86—87
1914. कोचीन पत्तन के बर्थों में मिट्टी का जमा हो जाना	Siltation in Cochin Harbour Berths	87
1915. मैसूर के राज्यपाल, श्री धर्मवीर, द्वारा राज्यपालों के कार्य के बारे में वक्तव्य	Statement by Governor of Mysore, Shri Dharma Vira, regarding role of Governors	87
1916. दिल्ली के हनुमान मन्दिर से गुम लड़के की बरामदगी	Missing Boy Traced in Hanuman Temple of Delhi	88
1917. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण देने पर व्यय	Expenditure on Training in Hindi Typewriting and Shorthand to Central Government Employees	88—89
1918. हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा	Hindi Stenography Examination	89
1919. समाज के पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रचार	Spread of Education amongst backward classes of society	89
1920. रामगढ़ के राजा के विरुद्ध मामलों में मध्यस्थ निर्णय	Arbitration of cases against Raja of Ramgarh	90
1921. दिल्ली परिवहन की बसों द्वारा यात्री यातायात की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होना	Inability of DTU buses to cope up with Passenger Traffic	90
1922. मंदसौर (मध्य प्रदेश) में पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Nationals in Mandsaur (Madhya Pradesh)	90—91
1923. उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले	Pending cases in High Courts	91
1924. दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Nationals in Delhi	92
1925. गुजरात में पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Citizens in Gujarat	92

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1926.	मैसूर राज्य में पुरातत्वीय सर्कल	Archeological Circle in Mysore State	92
1927.	सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये योजनायें	Schemes for removal for social evils	93—94
1928.	धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिये विशेष सुविधायें	Special facilities for visiting religious places	94
1929.	एयर इण्डिया द्वारा बोइंग 747 विमानों का प्रयोग	Use of Boeing 747 by Air India	94—95
1930.	एयर इण्डिया को बोइंग 747 वायुयानों का दिया जाना	Delivery of Boeing 747 Aircrafts to Air India	95—96
1931.	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के नये विभागों को कर्मचारी देना	Allocation of staff to new Departments of National Institute of Education	96
1932.	पाट्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग का नाम बदल कर पाठ्य पुस्तक विभाग रखना	Renaming Department of Curriculum and Evaluation as Department of Text-books	96—97
1933.	मूल्यांकन विभाग के समाप्त किये जाने के पश्चात् मूल्यांकन कार्यक्रमों को जारी रखना	Continuance of Evaluation Programmes after Abolition of Evaluation Department	97
1934.	प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश को अनुदान	Grants to Tamil Nadu and UP for Primary and Higher Secondary Education	97—98
1935.	एयर इण्डिया की आय	Air India Earnings	98—99
1936.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का पुनर्गठन	Reconstitution of Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology	99
1937.	हिन्दी आशुलिपि परीक्षा	Hindi Stenography Examination	99
1938.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण	Hindi Training to Central Government Employees	99—100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1939.	मध्य प्रदेश में भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Undergrounds Pakistan Nationals in Madhya Pradesh	100
1940.	हिन्दी भाषी राज्यो के साथ पत्र-व्यवहार	Correspondence with Hindi Speaking States	100—102
1941.	पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices and Autonomous Bodies under Ministry of Tourism and Civil Aviation	102—103
1942.	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालयों और स्वायत्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices and Autonomous Bodies under Ministry of Shipping and Transport	103—104
1943.	सहायकों की अनुभागाधिकारी के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Assistants as Section Officers	104—105
1944.	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को रियायतें	Concessions to Employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	105—106
1945.	सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति तथा उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या	Promotion of Assistants as Section Officers and Number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them	106
1946.	दिल्ली की भूतपूर्व सैंट्रल जेल में हार्डिंग बम कांड के शहीदों का स्मारक	Memorial for Martyrs of Hardinge Bomb case in Delhi's Erstwhile Jail	106—107
1947.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायकों की भर्ती	Recruitment of Assistants by UPSC	107
1948.	निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में अधिकारी प्रधान पद्धति	Functioning of Officer-oriented System in Ministry of Works, Housing and Supply	107—108
1949.	सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of ARC Regarding Pay Scales of Government Employees	108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1950. दिल्ली में कार चोर	Car lifters in Delhi	108—109
1951. पाकिस्तानी तथा चीनी जासूस	Pak/Chinese Spies	109
1952. जाली अमरीकी डालर	Fake American Dollars	109—110
1954. मध्य प्रदेश में सेंधवा में साम्प्रदायिक तनाव	Communal Tension in Sendhwa in Madhya Pradesh	110—111
1955. अहमदाबाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of IAS and IPS Officers in Ahmedabad	111
1956. साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध	Ban on Communal Organisations	111
1958. दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की दयनीय स्थिति	Pitiable Condition of Delhi Municipal Corporation Schools	111
1959. जामिया मिलिया, दिल्ली में आग	Fire in Jamia Millia, Delhi	112
1960. कामैक्स युवा समारोह के लिये अपर्याप्त व्यवस्था सम्बन्धी शिकायतें	Complaints Regarding Inadequate Arrangements for Comex Youth Festival	112
1961. मुजफ्फरपुर के लिये हवाई सेवा की सुविधा	Mazaffarpur on Air Map	112—113
1962. बिहार के राज्यपाल के सलाहकार	Advisers to Governor of Bihar	113
1963. पं० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के सम्बन्ध में जांच	Inquiry into Murder of Pandit Din Dayal Upadhyaya	113
1964. इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा गांधी शताब्दी समारोह के लिये विमान किराये में रियायत	Concession in Air Fare given by Indian Airlines during Gandhi Centenary Celebrations	113—114
1965. दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रक्षित कोटे में पदोन्नति	Promotions in Education Department of Delhi Administration, Delhi in the Reserved Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	114

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1966.	आरक्षित पदों को सामान्य पदों में बदलना	Conversion of Reserved posts into General posts	11
1967.	दिल्ली प्रशासन में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का रक्षित कोटा	Reservation quota of Scheduled Caste and Scheduled Tribes for Posts of Post Graduate Teachers in Delhi Administration	11:
1968.	धार्मिक पुस्तकों से पाठ पढ़ाया जाना	Teaching of Lessons from Religious Books	115
1969.	दिल्ली में आने वाले पर्यटकों की शिकायतें	Complaints by Tourists visiting Delhi	115—116
1970.	बड़े नगरों में होटलों में ठहरने का स्थान	Hotel beds in big cities	117
1971.	मैक्सिको ओलम्पिक में भारतीय हाकी टीम के खेल प्रदर्शन के सम्बन्ध में सरीन जांच समिति का प्रतिवेदन	Sarin Enquiry Committee report on performance of Indian Hockey Team at Mexico Olympics	118
1972.	शिलांग में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central University at Shillong	118
1973.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	IAS Officers on Deputation to Public Sector Undertakings	118—119
1974.	राज्यपालों का कार्य	Role of Governors	119
1975.	एयर इण्डिया के अधिकारी द्वारा हीरों की तस्करी	Smuggling of Diamonds by Air India Official	119—120
1976.	बीजा प्रतिबन्धों का समाप्त किया जाना	Abolition of Visa Restrictions	120—121
1977.	नक्सलवादियों की आतंकपूर्ण गतिविधियां	Terrorist activities of Naxalites	121

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1978.	स्वर्गीय दर्शन सिंह फेरुमान के परिवार के साथ एक राजनीतिक पीड़ित के परिवार जैसा व्यवहार करना	Treatment of Family of late Darshan Singh Pheruman as that of a Political Sufferer	122
1979.	मधुबनी (बिहार) में जीवाभा नदी पर एक पुल का निर्माण	Construction of a Bridge over River Jiwabha in Madhubani (Bihar)	122
1980.	केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये गये स्कूल	Central Government run schools	122—123
1983.	चण्डीगढ़ में औद्योगिक प्लाट	Industrial plots in Chandigarh	123
1984.	पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना	Converting Punjab University into a Central University	123—124
1985.	पटना के निकट गंगा नदी पर पुल	Construction of Bridge over River Ganga near Patna	124
1986.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में काम करने वाले अधिकारी	Officers working in National Council of Educational Research and Training	124—125
1987.	चैन पुर बिहार में दंगे	Riots in Chainpur, Bihar	125—126
1988.	हरिजन बस्ती पर हमला	Attack on Harijan Colony	126
1989.	पटना में अध्यापकों की गिरफ्तारी	Arrest of Teachers at Patna	126
1990.	दिल्ली में सार्वजनिक सभाओं के भाषण नोट करना	Noting of Public speeches delivered in Delhi	126—127
1991.	दिल्ली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल चिराग दिल्ली के प्रधानाचार्य द्वारा छुआछूत के बर्ताव का आरोप	Allegation of practicing of untouchability by Principal, Government Higher Secondary School, Chirag Delhi, Delhi	127
1992.	भगवान दास न्यास, नई दिल्ली के विरुद्ध आरोप	Charges against Bhagwan Das Trust, New Delhi	127—128

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1993. पब्लिक, कान्वान्ट और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल	Public, Convent and English Medium Schools	128
1994. अखिल भारतीय छात्र	Anglo Indian students	128
1995. पब्लिक और कान्वेन्ट आदि स्कूलों के लिए शिक्षा संहिता	Education code for Public Schools, Convent Schools etc.	129
1996. शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यालय तथा स्वायत्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices and autonomous bodies under Education Ministry	129
1997. गोपालपुर तथा चान्दबली की लघु पत्तनों का विकास	Development of minor ports of Gopalpur and Chandbali	130
1998. मनीपुर का दर्जा	Status of Manipur	130
1999. कलकत्ता के राष्ट्रीय ग्रन्थागार के मामलों की जांच	Probe into Affairs of National Library, Calcutta	130 –131
2000. विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	Role of foreign missionaries	131
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	132
पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के भारी संख्या में निर्गमन के समाचार	Reported Mass Exodus of minorities from East Pakistan	132—136
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	136—137
वास्तु शिल्पी विधेयक	Architects Bill	137
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन : और	Report of Joint Committee : and	137
(दो) साक्ष्य	Evidence	137
सभा का कार्य	Business of the House	137—141
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	142
श्री चन्द्र जीत यादव	Shri Chandrajeet Yadav	142
शपथ विधेयक	Oaths Bill	142
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	142

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	142
श्री एस० कडप्पन	Shri S. Kandappan	144
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	144
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	144
खंड 2 से 7	Clauses 2 to 7	146—150
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	150—165
पचपनवां प्रतिवेदन	Fifty-fifth Report	150—151
बेरोजगारी के बारे में संकल्प—वापस लिया गया	Resolution Re. Unemployment—withdrawn	151—166
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	152
श्री फ० गो० सेन	Shri P. C. Sen	154
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	156
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	156
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	158
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	159
डा० मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu	161
श्री एस० कुन्दू	Shri S. Kundu	161
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	163
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	164
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	164
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	165
केन्द्रीय खाद्य मंत्री के आयकर धन कर आदि के बारे में संकल्प	Resolution Re. Income Tax, Wealth Tax etc, of Union Food Minister	165—167
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	166
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	167

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
भारतीय अर्थ-व्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति	Unsatisfactory State of Indian Economy	168—171
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	168
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	170
हिन्दुस्तान एयरनाटिक लिमिटेड और श्रम संगठनों के बीच समझौते के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Agreement between HAL and Labour Unions	172
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra	172

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 28 नवम्बर, 1969/7 अग्रहायण, 1891 (शक)

Friday, Nov. 28, 1969/Agrahayana 7, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker *in the Chair*.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : पहला प्रश्न- संख्या 271 खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है । वह गलती से गृह कार्य मंत्रालय को सम्बोधित किया गया था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह विधान में संशोधन से सम्बद्ध है जिसे विधि मंत्रालय को स्थानान्तरित किया जा सकता है । परन्तु उसे खाद्य मंत्रालय को क्यों भेज दिया गया है?

श्री पीलु मोदी : चूंकि मंत्रालय आजकल एक दूसरे से मिले हुये है इसलिए ऐसी गलतियों का होना सम्भव है ।

अध्यक्ष महोदय : सभी मंत्रालय शासन के अंग हैं । किन्तु यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय से सम्बद्ध है । प्रश्न संख्या 272-श्री तिवारी ।

Memorandum Regarding Development of North Bihar

272, **Shri D N. Tiwary** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some M.P.'s and M.L.A.'s of all the parties of Bihar has submitted a Memorandum on the 30th August, 1969 about the development of North Bihar ;

(b) if so, whether any action has been taken in this connection ; and

(c) the action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The memorandum has been carefully examined in consultation with the State Government. Some districts in North Bihar are relatively less developed. But the economy of the region will get considerable impetus on the successful completion of the Kosi and Gandak Irrigation Projects. The State Government have also drawn up integrated area development programmes for these river valley areas to ensure the fullest utilisation of available resources for accelerated economic development of the area. There would be an increase in the acreage under the irrigation, particularly in districts of Saran, Champaran, Saharsa, and Purnea. Supplementary programmes for making available larger volumes of chemical fertilizer, high-yielding varieties of seeds and agricultural credit are being implemented. Besides the thermal power station at Barauni, another power station near the Kosi Headwork is in the process of erection. It is proposed to establish industrial estates, rural industrial pilot projects, light engineering workshops and tractor repair units at suitable places in North Bihar. Requirements in the transport section are also receiving constant attention. The approach of integrated area development involves also the drawing up of integrated district plans.

Thus, while the State Government are fully committed to accelerated development on the basis of integrated plans in North Bihar, the overall paucity of financial resources is a factor that sets a limit to the efforts of the State Government in this direction.

Shri D. N. Tiwary : Mr. Speaker, Sir, Bihar has been neglected so far. Three Five Year Plans have been implemented and the Fourth Five Year Plan is going to be completed, May I know the total money invested in North Bihar during the last twenty years, and whether the investment made in North Bihar was in proportion to its population and if not, the reasons therefor ?

Shri Vidya Charan Shukla : Sir, there can be difference of opinion about the question whether the amount spent in North Bihar during last Three Five Year Plan periods was sufficient or not . ...

Shri D. N. Tiwary : You might be knowing the proportion of investment to the population of the area.

Shri Vidya Charan Shukla : But it is a fact that the North Bihar is given as much preference as the other backward parts of the country. In comparison with other backward areas of Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Maharashtra it will be found that North Bihar is not less developed than these places. It is a fact that North Bihar has got a large population with a number of problems and it needs special attention. That is why we ordered for investigation as soon as we received a memorandum from hon. Members. As a result, we saw that progress was made there but the progress made there was not as much as it needs in proportion to its population. Here I agree with the hon. Members that it needs special attention.

Shri D. N. Tiwary : The population of North Bihar is more than 2 crores. It is equal to the total population of Punjab and Haryana But the *per capita* income of North Bihar is lowest in India. In districts like Darbhanga and Saran it is less than one hundred rupees. There are no industries with the exception of sugar industry, the machinery of which is also out-dated. May I know whether in view of all these facts Government intend to do something for North Bihar, if so, the details of the steps Government propose to take? I would also take to know whether Government will set up a Commission to hold inquiry in North Bihar on the lines on which inquiry Commissions were set up for backward areas of Uttar Pradesh and Rayalseema ?

Shri Vidya Charan Shukla : We made enquiries about *per capita* income too. Though the figures of *per capita* income given by Dr. Kedarnath differ from the figures given by other experts, yet it is a fact that the *per capita* income there is very low. But I assure the hon. Members that special attention will be given to it.

Shri Yogendra Sharma : Sir, North Bihar is the most backward area of Bihar. It is due to these reasons : (1) density of population *i.e.* one squire mile has a population of one thousand and this density is second to Kerala ; (2) dearth of industries ; (3) floods in big rivers every year ; and (4) absence of bridge over Ganges for linking North Bihar to industrialized Bihar. If this situation prolongs, the State of Bihar is likely to be divided into two parts. So I would like to know whether Government propose to set up an inquiry Commission for North Bihar on the pattern on which such a Commission was set up for East U. P. ; if not, the reasons therefor ?

Shri Vidya Charan Shukla : Though at the moment I cannot soy that such a Commission will be appointed, but while considering the whole situation this point also will be taken into consideration. If it is felt that the appointment of such a Commission is necessary, it will certainly be appointed. We never said that such a Commission will not be appointed.

Shri Yogendra Sharma : The Commission is required to look into the matter.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, last year I gave a memorandum in respect of North Bihar to the President, when there was Presidents' rule in Bihar State. May I know whether Government have seen the report regarding district-wise survey of income, made by Loknathan Institute and the conclusions arrived at in this respect 10 or 13 years ago, which go to prove that some districts of North Bihar are the poorest districts of the country ; if so whether Government will collect the figures of *per capita* income in all districts of India and whether the Minister will give assurance to the House that Kosi Project will be completed soon ? May I know the steps being taken by Government to complete the Kosi Project soon and the nature of talks held with the Nepal Government on this issue ?

Shri Vidya Charan Shukla : The hon. Member has rightly said that the Government should soon complete the Kosi Project. The farmers of North Bihar will be benefited by the Kosi Project and Gandak Project when they will be completed. So far as the figures of *per capita* income, district-wise, they are available with the Planning Commission.

Shri Madhu Limaye : They are not available.

Shri Vidya Charan Shukla : If they are not available, we will ask the Planning Commission to collect such figures.

I do not have information about the talk held with the Government of Nepal in this respeet. So far as the development of North Bihar is concerned, I have in mind the memorandum submitted by him and others and the memorandum given by the leaders of Bihar to the Governor of the State. After looking into the whole matter, the facts will be placed before him.

श्री कार्तिक उरांव : सभा को या सरकार को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना के क्षेत्र अत्यधिक अविकसित हैं। इस क्षेत्र में निस्सन्देह अत्यन्त निर्धन लोग रहते हैं। प्रायः छोटा नागपुर को उत्तर बिहार के उपनिवेश के रूप में समझा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता है और उनके विकास के लिए कितना खर्च किया जाता है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति आय क्या है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं। किन्तु यह कहना बिल्कुल गलत है कि दक्षिण बिहार को उत्तरी बिहार को अपना उपनिवेश समझता है। सम्पूर्ण

राज्य एक है और उसका समुचित ढंग से विकास करना है। मैं यह मानता हूँ कि दक्षिण बिहार की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। किन्तु यह कहना अनुचित है कि उत्तर बिहार दक्षिण बिहार का शोषण करता है।

Shri P. G. Sen : It is a fact that satisfactory progress has not been made in North Bihar. May I know whether the work on the Lateral Road Project referred to in the said memorandum, will be started again ; whether new industries including Purnea Sugar Mill, will be set up there and whether Government will try to get the screw factory at Katihar and Jute Mills, Katihar, opened, which were closed down sometime ago.

Shri Vidya Charan Shukla : We will invite the attention of Bihar Government to all these points.

Shri Gunanand Thakur : The Border of North Bihar touches the border of Nepal, East Pakistan, Sikkim and Bhutan. This is a border area. May I know whether Government propose to prepare some special plan in order to meet the defence of that area needs ? All the parties are one on this issue. Mention about it has been made in the memorandum also.

Shri Vidya Charan Shukla : There are a number of reasons on account of which special attention should be given to the North Bihar. The reason told by hon. Member is also one of them.

Shri K. N. Tiwary : May I know the action taken on the memorandum submitted by the people of Bihar belonging to all political parties ; the steps taken to set up new industries in Bihar, and whether the matter has been disussed with that Department ; if so, the nature of talks held ?

Shri Vidya Charan Shukla : After receipt of the said memorandum we required about the issues raised therein. So far as the setting up of industries is concerned, some rural industrial estates have already been set up. Some small scale or medium scale industries were also started in North Bihar. Some of them are running properly and some of them are lying closed. They require special attention. I can assure the hon. Members that we have taken action on all the points made in the said memorandum. We are trying to remove drawbacks, if any. But at this time I have no detailed information about them.

सेना से मुक्त गोरखा सैनिकों का माओ की सेनाओं में भरती होना

*273. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ब्रिटेन की सेना से मुक्त हुए तथा तथा गोरख पुर में रहने वाले गोरखा सैनिक माओ की सेना में भरती हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bharat Singh Chauhan : What is the number of Gorkha soldiers in the Indian Armed Forces ?

Mr. Speaker : This question should be asked from the Defence Ministry.

Shri Bharat Singh Chauhan : These demobbed Gorkhas were our citizens. What is the number of these demobbed Gorkha soldiers and what is their condition at present ?

Mr. Speaker : It does not arise out of this question. He may give a separate notice and I shall admit that.

Shri Yashwant Singh Kushwah : Do these Gorkhas get pension and is there any restriction on them not to serve in a country which is hostile towards India ?

Shri Vidya Charan Shukla : The persons covered under the army rules get pension for a specified period and naturally there is an objection on them till they get pension. Even after they cease to get pension, if they indulge in such activities in collusion with a foreign power, which is hostile to us, it can be termed as an act of treason.

Shri Hukam Chand Kachwai : It has appeared in the newspapers that these demobbed Gorkha soldiers have been recruited in the armed forces of other countries. They are reported to have been employeed in the Chinese army. Has my inquiry been made in the matter and if not, what action Government propose to take in this connection ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already replied in the negative in answer to the main question. Had there been any such thing I would have furnished the information to the House.

Shri Hukam Chand Kachwai : Newspapers has been giving such reports, still the hon. Minister says he does not have such information. There is certainly something wrong with our intelligence.

मद्रास पत्तन पर "ड्राई डाक" के लिये प्रस्ताव

+

***274. श्री क० लकप्पा :** **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री पी० विश्वम्भरन : **श्री इसहाक सम्भली :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान राष्ट्रीय परिषद् को मद्रास पत्तन यातायात की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि परिषद् ने मद्रास पत्तन पर "ड्राई डार्क" बनाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार मद्रास पत्तन पर "ड्राई डाक" बनाने का है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) : योजना आयोग की अनुसन्धान कार्यक्रम समिति के कहने पर व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् ने 'मद्रास के क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण" पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन के अंग के रूप में परिषद् ने 'मद्रास पतन के यातायात सर्वेक्षण' पर एक प्रतिवेदन तैयार किया। इस परिषद् ने बड़े पोतों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पांचवी योजना में एक निर्जलीय गोदी के निर्माण की सिफारिश की। मद्रास पत्तन न्यास इस सिफारिश को पांचवी पंच वर्षीय योजना के अपने विकास कार्यक्रमों के निरूपण के समय दृष्टि में रखेगा इस बीच, परिषद् की सिफारिश के अनुसार पत्तन के अपने जलयानों की निर्जल गोदी तथा मरम्मत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मौजूदा 'बोट बेसिन" में एक दूसरी संसर्पिका निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री क० लकप्पा : व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् को मद्रास पत्तन में यातायात की स्थिति का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था। उसने मद्रास में एक "ड्राई डाक" का निर्माण किये जाने की सिफारिश की है। उसने यह सिफारिश कब की थी और सरकार ने उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया है ?

श्री इकबाल सिंह : वह सिफारिश पाँचवी पंचवर्षीय योजना के लिए है जिसे पांचवी योजना के दूसरे वर्ष में अमल में लाया जाना है। उन्होंने दोनों योजनाओं के लिए एक संसर्पिका (स्लिपवे) बनाने की सिफारिश की है। उसे हमने स्वीकार कर लिया है।

श्री क० लकप्पा : यह केवल कागजी सिफारिश है। जब चौथी पंचवर्षीय योजना ही अनिश्चित स्थिति में हैं, तो इसे पाँचवी योजना में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है ? मैं मंत्री महोदय के तर्क को नहीं समझ सकता। योजना आयोग पूर्णतया नौकरशाहों के हाथों में है जिन्हें मद्रास राज्य की आवश्यकताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मद्रास राज्य इन चीजों के लिए लगातार निवेदन करता रहा है परन्तु दक्षिण भारत का राज्य होने के कारण उसकी उपेक्षा की गई है। चूंकि मद्रास सरकार का इस "ड्राई डाक" को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है इसलिये गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग इस प्रस्ताव को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इसे चौथी पंचवर्षीय योजना से भी पहले कार्यान्वित किया जायेगा ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : योजनाओं का कागज तक सीमित रहने का कोई प्रश्न नहीं है। शायद मेरे माननीय मित्र को पता हो कि इस 'ड्राई डाक" के अतिरिक्त मद्रास पत्तन सम्बन्धी कई अन्य योजनाएं भी हैं—एक बाह्य पत्तन कार्यक्रम जिसमें एक आयल बर्थ तथा लौह अयस्क को अतिशीघ्र लादने की सुविधाओं का उपबन्ध। आयल बर्थ पर ही लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ऐसी बात नहीं है कि मद्रास या दक्षिण के किसी अन्य राज्य की उपेक्षा की जा रही है। हमें वहां की यातायात आवश्यकताओं की पूरी जानकारी है और इस बारे में हम अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यहां पर प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। यह सिफारिश एक "ड्राई डाक" के निर्माण के बारे में हैं और इसको

उन्होंने पांचवी योजना में शामिल करने की सिफारिश की है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा उन्होंने सिफारिश की है कि संसर्पिकाओं (स्लिपवे) में सुधार किया जाये। बोट बेसिन में सुधार करने तथा उसे नया रूप प्रदान करने के, जिसमें दूसरी संसर्पिका के निर्माण के लिए 34 लाख रुपये का उपबन्ध भी शामिल है, प्रस्ताव हमारे समक्ष है। हम हर एक चीज एक दिन में तथा एक ही पत्तन के लिए ही नहीं कर सकते हैं। हमें भारत के सारे पत्तनों को, उनके वित्तीय साधनों को और उनकी निर्माण क्षमता को ध्यान में रखना होता है और उन पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री सेझियान : क्या सरकार ने पाँचवी योजना में एक "ड्राई डाक" बनाने की व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ? उन्होंने चौथी योजना में दूसरी संसर्पिका (स्लिपवे) बनाने की सिफारिश भी की है। उस सिफारिश की क्रियान्विति में सरकार द्वारा कितनी प्रगति की गई है और मद्रास पत्तन में दूसरी संसर्पिका (स्लिपवे) के निर्माण के लिए चालू चौथी योजना में कितना धन नियत किया गया है और उसकी क्षमता कितनी होगी ?

श्री इकबाल सिंह : दूसरी संसर्पिका (स्लिपवे) के लिये जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी ने अभी बताया है, 34 लाख रुपये की राशि नियत की गई है। इसे अगले वर्ष आरम्भ किया जायेगा क्योंकि इस वर्ष हमने तेल गोदी का निर्माण, जिस पर लगभग 13 करोड़ रुपये खर्चा आयेगा, और लौह अयस्क लदान सुविधाओं में सुधार, जिसपर 70 लाख रुपये खर्च होंगे, का काम आरम्भ कर दिया है। चौथी योजना में मद्रास पत्तन के लिये कुल परिव्यय 23 करोड़ रुपये होगा। यह उसमें शामिल है और अगले वर्ष इसे आरम्भ किया जायगा।

श्री स० कुन्दू : जो उत्तर दिया गया है वह कुछ भ्रामक है। यह कहा गया है कि 'परिषद् ने पांचवी योजना में "ड्राई डाक" के निर्माण की सिफारिश की है' और आगे के वाक्य में कहा गया है कि 'पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपना विकास कार्यक्रम तैयार करते समय मद्रास पत्तन न्यास इसे ध्यान में रखेगा।' प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस निर्माण कार्यक्रम में पहल नहीं करेगी। क्या ऐसा महत्वपूर्ण मामला पूर्णतया पत्तन न्यास प्राधिकारियों पर छोड़ा जा रहा है ?

श्री इकबाल सिंह : पाँचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में वे हमें सिफारिश करेंगे। उसके बाद हम योजना आयोग को सिफारिश करेंगे। यही कहा गया है।

श्री क० लक्कप्पा : योजना आयोग तो एक बहुत बड़ा मजाक है। उन्होंने अब तक कुछ भी करके नहीं दिखाया है।

श्री इकबाल सिंह : जो भी प्रक्रिया है उसका हमें पालन करना होता है।

श्री जी० विश्वनाथन : हमें बताया गया है कि व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने योजना आयोग से सिफारिश की है और कि योजना आयोग ने भारत सरकार से सिफारिश की है। क्या यह सिफारिश का सिलसिला कहीं समाप्त भी होगा ? माननीय मंत्री स्पष्ट बताएं कि मद्रास में इस "ड्राई डाक" के निर्माण पर कितनी लागत आएगी और इसे किस वर्ष में पूरा किया जायेगा ?

श्री इकबाल सिंह : इस पर 8 करोड़ रुपये व्यय होंगे और इसे 1975-76 से आरम्भ करने की सिफारिश की गई है ।

श्री जी० विश्वनाथन : यह कब पूरी हो जायेगी ।

श्री रघु रामैया : यह पाँचवी योजना की अवधि में पूरी हो जायेगी ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : सरकार ने कहा है कि इसे पांचवी योजना में शामिल किया जायेगा और कि पत्तन न्यास पांचवी योजना तैयार करते समय इसे ध्यान में रखेगा, क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार ने इसे पांचवी योजना में शामिल करने के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है ? दूसरे, इस गोदी का आकार क्या होगा ?

श्री इकबाल सिंह : मैं यह जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को दे दूंगा । इस पर कुल 8 करोड़ रूपये लागत आएगी और यह सबसे बड़ी "ड्राई डाक" होगी । इस समय सबसे बड़ी "ड्राई डाक" हिन्दुस्तान शिपयार्ड की है । उस पर लगभग 4½ करोड़ रुपये लागत आई थी । उसकी क्षमता 60,000 मीटरी टन है । मद्रास वाली "ड्राई डाक" उससे बड़ी होगी ।

काश्मीर की समस्या को हल करने के लिये शेख अब्दुल्ला का फार्मूला

+

*275. **श्री सीताराम केसरी** :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर की समस्या को हल करने के लिए शेख अब्दुला ने एक फार्मूले का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Sita Ram Kesri : The hon. Minister has said that Kashmir problem no longer exists. The hon. Minister has also said that Sheikh Abdullah has suggested no formula for the settlement of Kashmir question. If that is so, I want to know whether Government are aware of a statement given by Sheikh Abdullah while addressing a Press Conference in the Press Club in which he had said that he had given a formula to the Government for the settlement of Kashmir question and in case Government are aware of that statement I want to know whether any action has been taken or is being taken to make it clear that Kashmir is as much a part of the country as any other part under the constitution ? I want to know whether any formula has been given by Shri Seikh Abdullah regarding Kashmir or should I understand that the hon. Minister has made it clear in his reply that Kashmir problem no longer exist.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है,

हमने अपनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है। बार बार इसकी व्याख्या करना जरूरी नहीं है और यह जरूरी नहीं है कि जब कभी शेख अब्दुला इसका उल्लेख करें हम फिर से इसकी व्याख्या करें।

श्री सीताराम केसरी : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य अब क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री सीता राम केसरी : मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर 'नहीं" में दिया गया है। अतः अनुपूरक प्रश्न कैसे पैदा होता है ?

श्री सीता राम केसरी : मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का हक हासिल है। इसीलिए मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्य को हक हासिल है। परन्तु जब उत्तर "नहीं" में दिया गया है, तो अनुपूरक प्रश्न पूछने से क्या लाभ। "नहीं" में उत्तर दिये जाने पर तो कोई अनुपूरक प्रश्न पैदा नहीं हो सकता।

श्री स० कुन्दू : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह था कि क्या शेख अब्दुला ने कोई फार्मूला दिया है और उत्तर यह दिया गया है कि सरकार के विचार सबको मालूम हैं। क्या यह उत्तर सही है ? क्या आप इससे संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Sita Ram Kesri : At that very conference on 15th October Seikh Abdullah made it clear that whatever he demanded was not designed to separate Kashmir from India. So I want to know whether he has given any formula to settle the Kashmir issue under the Indian Union ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उन्होंने कोई फार्मूला नहीं दिया है। उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं दिये हैं। शेख अब्दुला ने समय-समय पर अपना मत स्पष्ट किया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उन्होंने कोई फार्मूला दिया है। यह उनका अपना मत है।

Shri Beni Shanker Sharma : It has been very often said and even now it is being said that Kashmir problem no longer exists. When Kashmir is an integral part of India. I want to know from the hon. Minister the time by which the special provisions regarding Kashmir embodied in our constitution will be removed ?

Mr. Speaker : This question also not rise out of the main question.

श्री बेणी शंकर शर्मा : यह बहुत संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। निर्णय देना मेरा काम है, न कि माननीय सदस्य का। हर एक बात में आप मेरी जगह आ रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : A day will come when we will occupy that chair.

अध्यक्ष महोदय : यह पद सुखद नहीं है । अगर आपका दिल है तो आप आ जाइये ।

Shri Beni Shanker Sharma : It is said that Seikh Abdullah has given some formula These things are arise because there are certain special provisions for Kashmir in our constitution. If they remove those special provisons, then there will be no problems.

Shri Raghbir Singh Shastri : It has been reported in the press that the steering committee of people's convention convened by Seikh Abdullah in Srinagar has formulated an international constitutional set up whose details have also appeared in the Press. After that Seikh Abdullah has twice met the Pakistan High Commissioner and had discussions with him I want to know whether the subject matter of their discussion was the same international constitutional set up, because it has been said by Seikh Abdullah that communication, defence and foreign affairs these three matters will remain with central power whether that central power be India or Pakistan. I want to know the reaction of the Government about his discussion with Pakistan High Commissioner in this regard.

Secondly, I want to know whether a letter was written by Sheik Abdulla to Khan Abdul Gaffar khan in which it was written that in case be was prepared to stay at Mujahid Manzil then only he should visit Kashmir. Otherwise he should no go there because in that case he would bycot his visit and whether it is the reason why Badshah Khan had to postpone his visit to Kashmir ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने मुझ से दो प्रश्न पूछे हैं । पहला प्रश्न यह है कि क्या हमें इस बात की जानकारी है कि शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ किन विषयों पर बातचीत की । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ किन-किन मामलों पर बातचीत की । शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर की समस्याओं के बारे में एक शैक्षिक गोष्ठी की थी । वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं । परन्तु जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हमने इस बात को कोई मान्यता नहीं दी कि वह क्या कह रहे हैं अथवा क्या कह रहे हैं । यह सच है कि वह भारत के नागरिक हैं और शैक्षिक आधार पर विचार गोष्ठी कर रहे हैं । हम उन्हें भारत का नागरिक समझते हैं । हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने बादशाह खां को कोई पत्र लिखा है । हमें केवल उस वक्तव्य की जानकारी है जो बादशाह खां ने काश्मीर की अपनी यात्रा स्थगित करने के बारे में जारी किया है। इस विषय पर मुझे और अधिक जानकारी नहीं है ;

Shri Raghubir Singh Shastri : My question has not been answered. I want to know whether a person like Sheik Abdullah is at liberty to meet the Pakistan High Commissioner twice and whether Government are taking any action in this regard ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है माननीय सदस्य भी, यदि वह चाहें, तो पाकिस्तान उच्चायुक्त से मिल सकते हैं ।

Shri Prem Chand Verma : I want to know whether Government was apprised of whatever was said by Sheikh Abdullah in the Press Conference on 15th October and if not what is the utility of the Information Department of the Government, when such important matters are not brought to their notice.

Secondly, Sheikh Abdullah has made it clear that he is not a citizen of India. If Sheikh Abdullah is not a citizen of India, then in what capacity he can raise the Kashmir

issue ? When Sheikh Abdullah talks about this matter, he does not not call himself an Indian Citizen and he keeps India and Pakistan an equal footing. I want to know the reaction of the Government in this regard.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने एक बहुत विचित्र प्रश्न पूछा है। जहां तक प्रेस क्लब में दिये गये उनके वक्तव्य का सम्बन्ध है मैंने उनके वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। परन्तु उनको पढ़ना और बात है तथा उन्हें राजकीय मान्यता देना और बात है।

जहां तक शेख अब्दुल्ला की नागरिकता का सम्बन्ध है, मैंने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देखा है जिस में उन्होंने कहा हो कि वह भारतीय नागरिक नहीं है। वह एक भारतीय नागरिक की भाँति व्यवहार कर रहे हैं, एक भारतीय नागरिक की भांति रह रहे हैं तथा हम उन्हें भारतीय नागरिक समझते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I welcome the hon Minister's statement that he takes no cognisance of whatever is said by Sheikh Abdullah.

Sheikh Abdullah has given no formula. Bill he often says that there are three parties one is India, the second is Pakistan and the third are the people of Kashmir. Will Government give a categorial assurance to the House that they give no cognisance to Pakistan in the matter of Kashmir and no discussion or compromise will be made with Pakistan in this regard and that Kashmir belongs to India's and it will remain with India ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूं कि यह बात कई बार सभा में स्पष्ट की जा चुकी है कि काश्मीर के मामले से पाकिस्तान का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह हमारा आन्तरिक मामला है। पाकिस्तान ने काश्मीर के कुछ भाग पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जिसे हमने वापस लेना है।

श्री रा० की० अमीन : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में काश्मीर में "पाकिस्तान दिवस" मनाया गया है और शेष अब्दुला के समर्थकों द्वारा लोगों को 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाने को उकसाया गया है और चूंकि शेष अब्दुला को पाकिस्तान उच्चायुक्त तथा गृह-कार्य मन्त्री द्वारा बहुत अधिक महत्व दिया गया है लोगों में यह भावना फैल गई है कि काश्मीर का प्रश्न अभी हल नहीं हुआ है अपितु अभी यह मामला उलझा हुआ है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has said that Sheikh Abdullah had met the Pakistan High Commissioner, but he did not know what discussions he had with the High Commission of Pakistan. I want to know how far it is proper for the Government of India to remain ignorant about Sheikh Abdullah's discussions with Pakistan High Commissioner, when the hon. Minister is well aware of Pakistan's attitude towards India as also about the designs of Sheikh Abdullah whom he had thrice kept under detention and whose activities are still being watched ?

If the formula adopted by the steering committee has not been sent to the Government directly, I want to know whether any information has been furnished by the

Intellgence staff in Kashmir in that regard and if so, the reaction of the Government thereto ?

श्री यशवन्त चव्हाण : वास्तव में माननीय सदस्य दो बातों के बारे में भ्रान्ति कर रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि क्या हमें सूचना मिली है। मेरे पास सूचना है। परन्तु सूचना होना एक बात है और कानूनी अधिकार का प्रयोग करना दूसरी बात है।

सशस्त्र सेनाओं और पुलिस विभागों में मुसलमानों की भर्ती

+

*27. श्री गुणानन्द ठाकुर : श्री ए० श्रीधरन :
श्री सोम चन्द सोलंकी : श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह : श्री पी० एम० मेहता :
श्री किंकर सिंह : श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी : श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० कुन्डू :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया कि उन्होंने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं और पुलिस विभागों में मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को भर्ती किया जाना चाहिए ;

(ख) समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों का पाठ क्या है ;

(ग) उन्होंने वस्तुतः क्या शब्द कहे थे ;

(घ) क्या उन्होंने यह बात मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों की सम्मति से कही है अथवा क्या मंत्रिमंडल में ऐसा निर्णय किया गया है ; और

(घ) इसका हमारी धर्मनिरपेक्ष नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समाचार था कि मैंने गृह मन्त्रालय की सलाहकार समिति को सूचित किया कि मुसलमानों को पुलिस बल में भर्ती करने के लिए राज्यों को अनुदेश दिये गये हैं और यह कि केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में बलों के सम्बन्ध में ऐसा पहले से किया जा रहा है।

(ग) 8 अक्तूबर को हुई सलाहकार समिति की बैठक में एक सदस्य ने शिकायत की कि सेवाओं में मुसलमानों की संख्या में कमी हो रही है। तब मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि सेवाओं में अल्पसंख्यकों की नियुक्ति अथवा उनकी तैनाती में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता।

(घ) तथा (ङ). जबकि पुलिस सेवा में भर्ती के लिए मुसलमानों को कोई प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदेश नहीं दिये गये हैं, सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि किसी समुदाय के विरुद्ध कोई द्वेष न हो और यह कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। इसे राज्य सरकारों के भी ध्यान में लाया गया है।

Shri Gunanand Thakur : India is a secular state. Everyone has got the freedom in respect of religion in India. The Government have stated that they are considering to recruit muslims in the army. I want to know why the Government was denying the muslims the right of recruitment in the army for the last twenty two years. What is the cause of the delay ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is wrong to say that there was some difficulty in their recruitment for the last twenty two years or the Government were denying it. When we saw that the number is less in some states, we brought it to the notice of the different state Governments and asked them to remove such deficiency, if any. Although we do not make any reservation on the basis of religion, still we want that the minority Communities should have representation in our Armed Forces, Police and other organisations.

As far as the Central Government is concerned, I have replied that the number is satisfactory and there seems no difficulty. But as the number was less in the Police forces of some state Governments, so we brought this fact to their notice.

Shri Kanwar Lal Gupta : I rise a point of order. He has state that the Government recruits police on the basis of merit and he has informed that the number of muslims is less the police, so the states have been asked to recruit more muslims. How these two things are consistent ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Gunanand Thakur : The recruitment in the army is not based on caste religion, but on the health of the people, their activities and educational qualifications etc. Why have the Government kept the major minority community aloof for the last twenty two years ? Were they not trust-worthy ? If not, why the Government are going to recruit than now ? It creates same suspicion and I want that the Government should clarify it.

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मेरा मत यह है कि माननीय सदस्य की धारणा नितांत गलत है। वह कह रहे हैं कि सेवा में मुसलमानों के लिए संरक्षण नहीं रखा जा रहा है । यह बात सच नहीं है । सेना में भी अधिकारियों के संवर्ग और साधारण सैनिकों में अनेक मुसलमान भरती किए गए हैं । ये दो बातें भिन्न भिन्न हैं । पुलिस तथा सेना में अल्प-संख्यकों को संरक्षण देने का कोई प्रश्न नहीं उठता । परन्तु साथ ही साथ सरकार का यह देखना कर्त्तव्य भी है कि किसी अल्प संख्यक वर्ग के साथ भेदभाव तो नहीं बरता जा रहा । जब हमने कतिपय राज्य सरकारों को इस मामले के बारे में कहा था तो उस समय यह विचार था कि कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-भेदभाव बरता जा रहा था ।

Shri Om Prakash Tyagi : It is not the question of minorities. This is policy of appeasement. You are encouraging communal feelings and separatist tendencies by doing so.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमारे कुछ मित्रों के साथ यही परेशानी है कि जब हम अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करते हैं तो वे इसे तुष्टीकरण की रीति समझते हैं । आप की विचार धारा और मनोविज्ञान दोनों गलत हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या कोई पक्षपात किया गया था ? आप हमें बताइये । यह पक्षपात कहां किया गया था ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसा कोई पक्षपात नहीं था परन्तु यदि किसी के मन में पक्षपात की भावना है तो उसे दूर किया जाना चाहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप कैसे कहते हैं कि पक्षपात की भावना है । मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह वस्तु स्थिति है ।

Shri Yashpal Singh : There may be three causes for the less recruitment so far. Firstly, the muslims were not ready for it, secondly, they were not trusted. Thirdly, the muslims had become so weak in the congress regime that their height and chest became unfit for the recruitments, whico is responsible for it.

यशवन्त राव चव्हाण : यह सच नहीं है । साधारणतया भरती व्यक्ति की योग्यता के आधार पर की जाती है । यह सच है । परन्तु इसके साथ ही हमें जन भावना का विचार भी रखना पड़ता है । निश्चय ही हमारी जनता के कुछ वर्गों में ऐसी भावना थी । परामर्शदात्री समिति की बैठक में जिस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था वह अल्पसंख्यक समुदाय का था और यह पूछा गया था कि क्या अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के विरुद्ध भेदभाव किया जा रहा है। स्वभावत: मुझे उनको समझाना पड़ा ।

श्री स० कुण्डू : मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सभी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये और यदि कहीं भेदभाव है तो इस को न केवल शब्दों से अपितु ठोस कार्य द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए । गृह कार्य मन्त्री ने ऐसे समय उत्तर दिया है, जबकि देश अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों की आग से सुलग रहा है और गृह कार्य मंत्री का ऐसे समय वक्तव्य देना यह बताता है कि शायद गृह कार्य मन्त्री का विचार हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के बारे में ठीक नहीं है । उनका विशेष कार्यवाही करने का विचार है और उनके विचार में कौन से राज्य ऐसे हैं जहां मुसलमानों के प्रति भेदभाव बरता जाता है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं नहीं जानता कि वह क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यदि आपके विचार में उनके विरुद्ध भेदभाव हो रहा है तो आपका उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

यशवन्त राव चव्हाण : यदि कोई भेदभाव है तो हम उसकी ओर राज्य सरकारों के ध्यान आकर्षित करेंगे और मुझे इस मामले में भरती अधिकारी और राज्य सरकारों की न्याय भावना पर निर्भर रहना पड़ेगा ।

श्री स० कुण्डू : यदि कोई मन्त्री वक्तव्य देता है तो उसके पास कुछ तथ्य होने चाहिये । कौन से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी भावना व्यक्त की गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न और उत्तर नहीं समझा है । मैंने यह वक्तव्य अपने आप नहीं दिया है । संसद सदस्यों ने परामर्शदात्री समिति में

प्रश्न पूछा था कि क्या सरकारी सेवा में अल्पसंख्यकों की भरती करने में भेदभाव बरता जा रहा है। मैंने उसके उत्तर में कहा था कि यह सच नहीं है। मैंने उनको बताया था कि केन्द्रीय पुलिस सेवा के मामले में, जैसा कि मैं भारत सरकार के तीन पुलिस संगठनों यथा सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था तीनों संगठनों के अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय के थे। साथ ही मैंने उनको बताया था कि यदि उनके विचार में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कोई भेदभाव की भावना है तो हम राज्य सरकारों का ध्यान इस बात की ओर दिलायेंगे ताकि ऐसी कोई भेदभाव की भावना न रहे। उस वक्तव्य का गलत अर्थ लगाया गया है और माननीय सदस्य ने यह बात ठीक ही कही है कि उस समय देश के एक विशेष भाग में साम्प्रदायिक भावना थी। केवल साम्प्रदायिक भावना वालों ने ही मेरे कथन का गलत अर्थ लगाया है।

श्री ई० के० नायनार : मेरा तात्पर्य इस भावना की ओर है कि अल्पसंख्यक वर्ग को सरकारी नौकरियों में समुचित स्थान नहीं मिल रहा है। जब 1957 में केरल में नई सरकार सत्तारूढ़ हुई थी तो उन्होंने सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को नौकरी के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किये (**व्यवधान**) 10 प्रतिशत पद मुसलमान वर्ग के लिये आरक्षित किये गये।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि अल्पसंख्यक समुदाय को जिसमें मुस्लिम वर्ग भी शामिल है, सरकारी सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके और यदि प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तो क्या वे उसे पूरा करेंगे और अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के बारे में गम्भीरता से विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह उसका उत्तर पहले दे चुके हैं।

श्री बदरुद्दुजा : सरकार की अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम वर्ग के साथ, जिसका कि समूचे देश की सेवाओं में प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है, न्याय करने की भावना की प्रशंसा करते हुए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन में 70 लाख राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों में कितने मुसलमान हैं। मेरा यह कहना है कि सरकार कम से कम थोड़ा सा भी न्याय मुसलमानों के साथ करना आरम्भ करे सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे मुसलमानों को कार्यपालिका, न्यायपालिका और इससे आगे पुलिस में, जो अल्पसंख्यक समुदाय को स्वभाविक संरक्षण दे सकती है। मैं सरकार की मुसलमानों को न्याय देने की भावना का, जो कि उनको गत 22 वर्षों से नहीं मिला है, सच्चे दिल से आदर करता हूँ। (**व्यवधान**)

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने मुझ से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण ही प्रस्तुत किया है और मुझे भय है कि यह समस्या के प्रति दूसरा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण है। मैं निश्चय ही अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी चिन्ता को समझ सकता हूँ कि उनको सुरक्षा दल आदि में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, परन्तु उनका केवल इसमें शामिल होना ही उनकी सुरक्षा की गारन्टी नहीं है। हमें इस मामले में एक व्यावहारिक और सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी चिन्ता को समझता हूँ और मुझे इसके प्रति सहानुभूति है, परन्तु जिस तरीके से माननीय सदस्य समस्या को प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे यह आवश्यक रूप में साम्प्रदायिक बन जायेगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री जी० भा० कृपालानी : आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे अल्पसंख्यकों के बारे में एक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाये । शायद आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अभिप्राय कदापि ऐसा नहीं है । हो सकता है कि आप मुझे पहले सूचित न कर सकें । अब अगले प्रश्न को लेंगे ।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा गैर-सरकारी दौरे

*280. **श्री कंवर ल ल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस के तीन संसद् सदस्यों—सर्वश्री राम रेड्डी, एस० ए० अगड़ी और सी० एम० केदरिया ने सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण माँगा है कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन शीघ्र बुलाने के लिए माँग पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिये जो मंत्री राज्यों के दौरे करते रहे हैं उन्होंने सरकार से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त किया था अथवा क्या उन्होंने अपने टिकट स्वयं खरीदे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ;

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रकार अक्तूबर, 1969 में सरकार से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त किया, प्रत्येक ने कितनी-कितनी राशि प्राप्त की, किन-किन स्थानों का दौरा किया और उन स्थानों का दौरा करने के कारण क्या-क्या बताए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गृह-कार्य मंत्रालय से इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) मंत्रियों को गैर-सरकारी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं मिलता । इसलिए ऐसे मामले में किसी मंत्री द्वारा भत्ता प्राप्त किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has stated just now that Ministers do not claim T. A and D. A from the Government while on non-official journeys. Is it not a fact that ministers have toured those states where they had private work or they were to attend some party meetings ? I level this charge that it has happened during the Presidential election as well as during the recent session of A. I. C. C. The Ministers travelled by air and all this expenditure was met by the Government. If the Government denies this charge, will they furnish the details of the visits of the Ministers during the period from 15th July to 15th August ? If not what are the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : If the hon. Member puts a similar question separately, we have no objection in supplying all the information. It is not that the ministers, while on tour perform only the official duties. They have to meet the public also. But mainly they do the official work. It is not true that the ministers undertake tours tor their personal work.

Shri Ram Kishan Gupta : It is a very serious question and an inquiry must be made in this regard.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I had asked whether you would make an inquiry or not.

Shri Vidya Charan Shukla : There is no need of any inquiry. We are ready to furnish all the information.

Shri Kanwar Lal Gupta : Government aeroplanes and Government machinery has been misused.

Mr. Speaker : Give me the inquiry staff and I shall keep myself busy with this work only.

Shri Kanwar Lal Gupta : If you do not conduct an inquiry where from shall we get justice.

Shri Ram Kishan Gupta : Ministers have gone in every state to collect signatures, and aeroplanes were also used.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

धार्मिक न्यासों की निधियों का दुरुपयोग

*2177. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए धार्मिक न्यासों की निधियों के दुरुपयोग की जांच का काम अब पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राजनैतिक तथा गैर-धार्मिक प्रयोजनों के लिए धार्मिक न्यासों की निधियों के दुरुपयोग की कोई घटनाएं ध्यान में नहीं आई हैं। ऐसे कुछ मामले हुए हैं जिनमें धार्मिक न्यासों की निधियों का मालाबार क्षेत्र में न्यासियों के व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किया गया था। प्राधिकारियों ने सम्बन्धित पक्षों से दुर्विनियोग की गई राशियों को वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली है। त्रावंकोर देवास्वम बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों के फलस्वरूप बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विरुद्ध जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन एक जांच करने का आदेश दिया गया है। बताया गया है कि पांडिचेरी में तिरुमलरयनपट्टिनम के श्री रघुनाथ पेरुमल श्री वेंकटेश पेरुमल मंदिरों के जवाहरात उन मंदिरों के न्यासियों के बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुर्विनियोग किये गये। जवाहरात बाद में पुनः प्राप्त कर लिए गए है और मंदिर के न्यासियों का मंडल बदल दिया गया है। समस्त धार्मिक संस्थानों के हिसाब की लेखा-परीक्षा करवाने के

उद्देश्य से एक पृथक लेखा-परीक्षा पक्ष की नियुक्ति करने के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं। नागालैंड उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से सूचना अभी प्रतीक्षित है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास धार्मिक न्यासों की कोई निधियों के राजनैतिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई सूचना नही है।

पटना के निकट गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण

*2 8. **श्री वि० प्र० मंडल :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना के निकट गंगा नदी पर एक पुल बनाने की मांग निरन्तर की जाती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार वहां पुल बनाने के बारे में विचार कर रही है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया)। (क) जी हां।

(ख) चूंकि यह राज्य परियोजना है अत: बिहार सरकार मुख्यत: इस के निर्माण संबंधित है। तथापि, इस परियोजना के बारे में राज्य को वित्तीय सहायता देने के लिये भारत सरकार चौथी योजना काल में पटना में गंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिये 5% प्र० श० तक के व्यय के लिये बिहार सरकार को 4.5 करोड़ रुपये के अधिकतम के अधीन एक गैर-योजना ऋण देने पर सहमत हो गई है। शेष 50 प्रतिशत व्यय जिसे राज्य सरकार ने वहन करना है उसे समस्त राज्य योजना के अन्तर्गत समायोजित किया जा रहा है। परियोजना पर और कार्यवाही करना राज्य सरकार पर निहित है।

बिहार राज्य के कोयला क्षेत्र में राजनीतिक हत्याएं

*279. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार राज्य के कोयला क्षेत्रों में राजनीतिक हत्याएं हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक कोयला क्षेत्र में क्रमश: कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) और (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

वन्य-पशुओं के संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में स्कूलों में बुनियादी शिक्षा

*281. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत वन्य पशुओं और वनों के संरक्षण एवं प्रबन्धन की बुनियादी शिक्षा स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री **भक्त दर्शन**) : (क) सामाजिक अध्ययन, भाषाओं, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र आदि की पाठ्यपुस्तकों के लिए सामग्री तैयार करते समय जंगली जीवन और वनों के संरक्षण के लिए, अभिरुचियों, और संरक्षण के मुख्य विचारों को, जहां कही सम्भव होता है, शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद इस बात की जांच कर रही है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के विद्यार्थियों को, इस समस्या को कम से कम थोड़ी मात्रा में सही प्रकार समझने के लिए किस तरह ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जा सकता है।

(ख) और (ग). एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इसलिए अभी उसके ब्यौरे अथवा जिस तारीख से वह प्रभावी होगा वह तारीख बताना सम्भव नहीं है।

भारत सर्वेक्षण विभाग को नया रूप देना

*282. **श्री जे० के० चौधरी** : **श्री मयाबन** :
श्री रा० बरुआ : **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग को 200 वर्ष पुराने भारत सर्वेक्षण विभाग को नया रूप देने की कार्यवाही करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन समिति ने, केन्द्रीय सरकार के कुछ बडे वैज्ञानिक विभागों के कार्य-करण का व्यापक अध्ययन का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। यह समिति भारतीय सर्वेक्षण की संगठनात्मक संरचना, उसके कार्यकलापों का प्रबंध तथा समन्वय में सुधार के लिए उपाय भी सुझाएगी। इसके अतिरिक्त, आयोजना आयोग के सदस्य (विज्ञान) डा० बी० डी० नागचौधुरी भी जो इस समिति के भी सदस्य हैं, हमारे अनुरोध पर, भारतीय सर्वेक्षण को पुनर्गठित करने के लिए आवश्यक कदमों के सुझाव देने के लिए सहमत हो गए हैं।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार

*283. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और उदारता बरतने की सरकार की नीति, जिसकी घोषणा 26 अगस्त, 1969 को लोक-सभा में की गई थी, को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों, जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, के मामलों पर इस बीच पुनर्विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के समान समझा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस घोषणा से कितने कर्मचारियों को लाभ हुआ है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) पुनरीक्षण अस्थायी और स्थायी दोनों कर्मचारियों के लिये होगा ।

(ग) पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप 594 कर्मचारियों को लाभ हुआ है ।

धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक मेल जोल के आदर्शों के प्रचार में विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं का योगदान

*284. श्री वासुदेवन नायर :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या शिक्षा तथा युवक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक मेल जोल के आदर्शों का प्रचार करने में विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं के योगदान का अनुमान लगा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस दिशा में विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थायें अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे सकें, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ;

विवरण

सरकार, देश में धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक मेल-जोल के आदर्शों का प्रचार करने

में विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूक है और एकता के हित में विद्यार्थी समुदाय की रचनात्मक शक्ति, आदर्शवादिता तथा सेवा-भाव के उपयोग के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में प्रमुख कार्यकलापों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

(क) विश्वविद्यालय स्तर पर गांधी शताब्दी की राष्ट्रीय समिति की राष्ट्रीय एकता उप-समिति ने, देश के विभिन्न भागों से आने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच पारस्परिक सद्भावना तथा सदाशयता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, राष्ट्रीय एकता समितियां स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय एकता की समस्याओं से सम्बन्धित निष्कर्षों के फलस्वरूप सुझावों को कार्यान्वित करने तथा नए विचारों को विकसित करने के लिए इन समितियों को विश्वविद्यालयों द्वारा सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) हाल ही में चुनिंदा 37 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में लागू किये गये राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों को जनता के निकट ला कर भी राष्ट्रीय एकता का हित साधन होगा।

(ग) बहुत से क्षेत्रीय सेमिनारों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने स्कूल स्तर पर अध्यापकों के लिए पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह मार्ग दर्शाया गया है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों में से जातीयता, प्रान्तीयता आदि को किस प्रकार दूर किया जा सके।

(घ) सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जिसमें शिक्षा-विद तथा विद्यार्थी नेता शामिल हैं और जिसकी बैठक दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में होगी। इस समिति के विचारार्थ विषय हैं: पाठ्यचर्याओं, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्य-पुस्तकों की जांच करना ताकि उन सिद्धान्तों पर जोर दिया जा सके जिनसे एकता और आपसी सहिष्णुता को बढ़ावा मिले और ऐसी सामग्री को हटाया जा सके जिससे किसी भी आधार पर वर्गों और समुदायों के बीच मनमुटाव और घृणा को प्रोत्साहन मिलता हो और विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के संगठनों में से संकीर्ण साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक भावनाओं को दूर करने और उनमें राष्ट्र-ध्येय और मातृभावना को जाग्रत करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(ङ) सरकार ने विभिन्न प्रादेशिक भाषाई वर्गों के बीच सद्भावना उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से पहले ही चार अन्तर-राज्य विद्यार्थी-अध्यापक शिविरों का आयोजन किया है। वर्ष के दौरान वह कुछ और शिविरों का आयोजन करना चाहती है।

(च) सरकार, केन्द्रीय स्कूल संगठन के सहयोग से एक योजना पर भी अमल कर रही है जिसके अधीन केन्द्रीय स्कूल किसी भिन्न क्षेत्र में स्थित एक राज्य स्कूल को अपना रहे हैं और उस स्कूल के बहुत से विद्यार्थियों को पन्द्रह दिन की अवधि के लिए केन्द्रीय स्कूलों के अतिथियों के रूप में आकर रहने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य पत्रमित्रता (पेन-फ्रेंडशिप) और क्षेत्रीय सद्भावना बढ़ाना और एक दूसरे के रीति-रिवाज, गीत आदि सीखना है।

(छ) राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन में चूंकि पुस्तकें और विभिन्न भारतीय भाषाओं का

सीखना एक निर्णायक महत्व रखता है, इस दिशा में बहुत से कदम उठाए जा रहे है और इस सम्बन्ध में किए गए प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

(i) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई प्रत्येक भाषा में से 10 उत्कृष्ट लोकप्रिय पुस्तकों का प्रत्येक अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को धन उपलब्ध कराया गया है ताकि सारे देश में समान पुस्तकों का एक सेट उपलब्ध हो सकेगा जिसे सभी पढ़ सकेंगे और जिससे उन्हें देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित संस्कृतियों, सामाजिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों और रहन-सहन के ढंग की जानकारी मिल सकेगी। पुस्तकों की ऐसी माला का नाम 'आदान-प्रदान' होगा।

(ii) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास "प्रमुख अखिल भारतीय व्यक्तियों की राष्ट्रीय जीवनियाँ" माला के अधीन लोकप्रिय सस्ती पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है।

(iii) विश्वविद्यालय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर 'कोर' पुस्तकें प्रकाशित करने का काय भी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को सौंपा गया है जिससे विश्वविद्यालय स्तर पर भारत के सभी विद्यार्थियों को कुछ पुस्तकें संदर्भ साहित्य के रूप में उपलब्ध हो सकेंगी।

(iv) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को 100 पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्य भी सौंपा गया है, जो सभी स्कूली बच्चों के अनुपूरक सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जा सकेंगी और इस माला को "नेहरू पुस्तकालय पुस्तकें" कहा जाएगा। प्रत्येक पुस्तक की विषय वस्तु, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने, और भारत में अलगाव वाली प्रवृतियों के लिए जिम्मेदार अज्ञानता, अंध विश्वास और अरुचि को दूर करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए चुनी जाएगी।

(ल) सरकार शीघ्र ही चार क्षेत्रीय भाषा सस्थान स्थापित करेगी जिनके अन्तर्गत हिन्दी क्षेत्रों के भाषा अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को दक्षिणी भाषाएं तथा हिन्दीतर भाषाएं पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इसी प्रकार, अहिन्दी भाषी राज्यों के भाषा-अध्यापकों को भी अपने विद्यार्थियों को हिन्दी तथा अन्य गैर-क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रयत्न करना है कि अधिक से अधिक नागरिकों को बहुभाषी बनाया जा सके, जिसके फलस्वरूप अच्छी सद्भावना उत्पन्न होगी और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी पार्षद वक्तव्य

*285. श्री राम किशन गुप्त : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1969 को दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् द्वारा दिलाया गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन उपक्रमों को धन नहीं देगी तो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं और अधिक खराब हो जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली परिवहन उपक्रम को और ऋण देने का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन हैं ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की देखभाल के सम्बन्ध में नियमों तथा विनियमों में छूट का दिया जाना

*286. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की देखभाल के सम्बन्ध में नियमों तथा विनियमों में ढिलाई तथा उनसे छूट के बारे में एक संसद सदस्य का पत्र मिला है ;

(ख) क्या बहुत अधिक छूट दी जा रही है और उच्च स्तरों में ढिलाई की जा रही है ;

(ग) क्या दुर्घटनाओं पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन शिकायतों के आधार पर सरकार द्वारा की गई जांच के परिणाम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । राज्य सभा के सदस्य, श्री डी० एल० सेन गुप्त से दिनांक 1 जुलाई, 1969 का आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ था कि इंडियन एयरलाइन्स एक उड़ान दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच-अदालत द्वारा की गयी एक सिफारिश से उन्हें छूट प्रदान करने के लिये नागर विमानन के महानिदेशक पर जोर डालने का प्रयत्न कर रहे थे । वह सिफारिश यह थी कि सीधी उड़ान के निरीक्षण का प्रमाण-पत्र एक उचित लाइसेन्स-प्राप्त विमान संधारण इन्जीनियर द्वारा दिया जाना चाहिये ।

(ख) जी, नहीं । इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा विमानों के संधारण से सम्बन्धित नियमों तथा विनियमों में न तो कोई छूट दी जा रही है और न उड़न-योग्यता के नियत मानकों में रियायत ही की जा रही है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं

*287. **श्री हरदयाल देवगुण** : **श्री जय सिंह** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । श्रीमान् ।

(ख) जब कभी ऐसे मामले सूचित किये जाते हैं तो कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है । ऐसे मामलों को रोकने के लिये दिल्ली पुलिस द्वारा दुष्चरित्रों पर निगरानी रखने के लिये गश्त (गतवर वितनु वाहन इत्यादि) लगाई जाती है । सादे कपड़ों में व्यक्तियों को ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाया जाता है जहां ऐसी घटनाओं के होने की सम्भावना हो ।

वाराणसी में एक पटसन कम्पनी पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों के छापे

*288. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लगभग छह वर्ष पहले शांति प्रसाद जैन समवाय समूह की न्यू सेन्ट्रल जूट कम्पनी लिमिटेड, वाराणसी पर छापा मारा था और कम्पनी के खाते में भीषण हेरफेर तथा धोखाधड़ी पाई थी और यह भी पाया था कि इस कम्पनी ने लाखों रुपये का आय-कर चुराया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों इन छः वर्षों में उनके मन्त्रालय को कोई रिपोर्ट दी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी पता लगाया था कि पंजाब नेशनल बैंक ने इस कम्पनी को सम्पत्ति रहन रख कर करोड़ों रुपये का ऋण दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में वित्त मन्त्रालय या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश पर कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वाराणसी स्थित न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड के अहाते में, जैसा आरोप लगाया गया है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई छापा नहीं मारा था ।

नागालैंड में यात्रा करने की स्वतंत्रता

*289. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के मुख्य मंत्री ने केन्द्र के इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है कि देश के अन्य भागों के उन लोगों को जो उस राज्य में यात्रा करने के उच्छुक हों नागालैंड में आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को किन कारणों से नहीं माना गया है ; और

(ग) इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). नागालैंड से बाहर के भारतीय नागरिकों के नागालैंड में प्रवेश पर प्रतिबन्धों का प्रश्न केन्द्र द्वारा नागालैंड की सरकार के साथ उठाया गया था । नागालैंड सरकार का मत है कि इन प्रतिबन्धों को पूर्ण रूप से

हटाने के लिए सभी उचित समय नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रवेश-पत्रों के देने में अत्यन्त उदारता बरती जाती है और ऐसा किया जाता रहेगा।

भारत सरकार ने नागालैंड की राज्य सरकार के दृष्टिकोण पर यथोचित विचार किया है और यह मामला उनके साथ यथा समय फिर उठाया जाएगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रतिवेदित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप

*290. **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजपत्रित तथा अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है अथवा कार्यवाही की गई है ; और

(ख) सतर्कता आयोग द्वारा चूक करने अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों का ब्यौरा क्या है और सतर्कता आयोग के हाल के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2142/69**]

(ख) गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अलग-अलग मामलों में अलग-अलग आरोप हैं। विभिन्न आरोपों का विस्तृत वर्गीकरण अनुलग्नक-1 में दिया जाता है।

आयोग द्वारा दो प्रक्रियात्मक सुधारों का सुझाव दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध झूठी शिकायतें करते पाये गये व्यक्तियों के अभियोजन से सम्बन्धित दंड प्रक्रिया संहिता के सम्बद्ध उपबन्धों के संशोधन के बारे में सुझाव विधि आयोग को उनके विचारार्थ भेजा गया है। रेलवे सेवा आयोग के कार्यों के सम्बन्ध में अनुदेशों की नियम-पुस्तिका से सम्बन्धित दूसरा सुझाव रेलवे बोर्ड द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

त्रिपुरा को राज्य का दर्जा देना

*291. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा को राज्य स्तर देने सम्बन्धी कोई मांग अभी हाल ही में की गई थी ; और

(क) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सरकार का त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के दर्जे में फिलहाल परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

हरिजनों पर अत्याचार

*292: **श्री अदिचन :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों में देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के कोई समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी घटनायें हुई तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन मामलों में राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(घ) जहां कहीं ऐसे समाचार केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं, सम्बन्धित राज्य सरकारों से उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन पर ऐसे अपराध करने का संदेह हो, शीघ्र जांड़-पड़ताल करने का अनुरोध किया जाता है ।

विवरण

नागालैंड, पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा सरकारों और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह, चण्डीगढ़, गोवा, दमन तथा दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमिनदिवी द्वीपसमूह, मनीपुर, नेफा, पांडिचेरी और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि गत चार महीनों में हरिजनों पर अत्याचार की कोई सूचना नहीं मिली है । दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि 13-10-69 को तीन व्यक्तियों द्वारा एक हरिजन पर कथित प्रहार का एक मामला हुआ था । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और तीनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गये हैं । अन्य राज्य सरकारों और दादरा तथा नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र से सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों को फिर से मान्यता देना

*293. **श्री धो० ना० देव :** **श्री उमानाथ :**
श्री अजमल खां : **श्री के० रमानी :**
श्री एस० पी० राममूर्ति : **श्री वि० विश्वनाथ मेनन :**
श्री दे० अमात : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के कारण जिन संघों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी उनकी कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इन सभी संघों को फिर से मान्यता दे दी है ; और

(ग) क्या अब भी कुछ ऐसे संघ हैं जिनकी मान्यता समाप्त है और यदि हां, तो क्या उन्हें पुन: मान्यता प्रदान कर दी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सितम्बर, 1968 की अवैध हड़ताल में भाग लेने के कारण 102 फेडरेशनों/यूनियनों/एसोसिएशनों की मान्यता वापस ले ली गई है ।

(ख) और (ग). उन मन्त्रालयों/विभागों को, जो यूनियनों इत्यादि को मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम हैं, उन यूनियनों/एसोसिएशनों/फेडरेशनों को नई मान्यता प्रदान करने की सलाह दी गई है जिन की मान्यता सितम्बर, 1968 को हड़ताल के पश्चात् वापस ले ली गई थी । सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और आशा की जाती है कि ऐसी सभी यूनियनें/एसोसिएशनों/फेडरेशनों को आवश्यक औपचारिकतायें पूरी होते ही पुन: मान्यता प्रदान कर दी जायेगी ।

साम्प्रदायिकता को नष्ट करने के सम्बन्ध में सर्वदलीय सम्मेलन

*294. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिकता को नष्ट करने के लिए मार्गोपाय सुझाने हेतु 3 और 4 नवम्बर, को प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये थे ;

(ख) सम्मेलन में किन-किन दलों ने भाग लिया था ; और

(ग) सम्मेलन में किये गये निर्णयों को कार्य रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 3 और 4 नवम्बर 1969 को अपनी बैठक में सर्वदलीय सम्मेलन ने एक बयान पारित किया और साम्प्रदायिक मंत्री तथा मेल-जोल के निमित्त एक संयुक्त सामूहिक अभियान के आयोजन के लिए मार्गदर्शी निर्देश निर्धारित किये । बयान और मार्गदर्शी-निर्देशों की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रखी जाती है [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी० 2145/69]

(ख) सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लेने वाले दलों के नाम बताने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए** संख्या एल० टी० 2143/69]

(ग) अनुमोदित बयान और मार्गदर्शी-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ।

कोचीन में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना

*295. **श्री जनार्दनन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन के दूसरे जहाज बनाने वाले कारखाने (यार्ड) के अनुमानों को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ग) इस कारखाने का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : क) और (ख). जी, हां। मैसर्स मितसुविशि हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार की गई पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट पर आधारित 45.42 करोड़ रुपये का कोचीन शिपयार्ड परियोजना के लिए अनुमान सरकार ने अक्तूबर, 1969 में अनुमोदित किया। अनुमान में बिल्डिंग डाक, मरम्मत डाक, घाट, पम्प रूम, डाक गेट, बिल्डिंग कार्य, विद्युत सुविधाएं, जहाज, गाडियां, औजार और मशीनें मशीनरी और उपस्कर, भूमि अभिग्रहण, परामर्शी फीस इत्यादि सिविल इंजीनियरी कार्य शामिल हैं।

(ग) और (घ). पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त होने से पहले ही भूमि अभिग्रहण भूमि और मिट्टी सर्वेक्षण, जल और बिजली की व्यवस्था, सड़कों को बदलना इत्यादि, जैसे प्रारम्भिक कार्यों को शुरू कर दिया गया था और ये काम प्रगति पर है। मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड टोकियो के साथ शिपयार्ड के निर्माण में दिये जाने वाले तकनीकी योगदान, सलाह तथा सहायता के लिए करार करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एक परियोजना संगठन भी शीघ्र स्थापित किया जायेगा और वास्तविक निर्माण के 1970-71 में शुरू होने की संभावना है। निर्माण कार्य की प्रगति वर्ष प्रतिवर्ष आवंट निधियों के आधार पर की जायेगी। यह बताना बहुत जल्दी होगा कि परियोजना कब पूरी होगी।

पुलिस में मुसलमानों की भर्ती

*296. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि परामर्शदात्री समिति की 8 अक्तूबर, 1969 को हुई बैठक में उन्होंने कहा था कि गत दो वर्षों से वह राज्य सरकारों को भी मुसलमान पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए राजी करने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता रहा है ;

(ख) क्या सेवाओं में मुसलमानों के साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को कुछ प्रतिशतता सुरक्षित करने सम्बन्धी सरकार की नीति में किसी परिवर्तन के कारण उन्हें राजी किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो मुसलमानों के लिए कितनी प्रतिशतता सुरक्षित की गई है तथा यह कब से की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो हमारे संविधान के शब्दों तथा भावनाओं के प्रतिकूल साम्प्रदायिकता के आधार पर वह व्यक्तियों को भर्ती करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। आज इससे पहले तारांकित प्रश्न संख्या 275 के दिये गये मेरे उत्तर में सही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(ख) से (घ). मुसलमानों के लिए सेवाओं में कोई आरक्षण करने का कोई विचार नहीं है। संविधान के अन्तर्गत ऐसा आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के सम्बन्ध में ही संभव है।

बर्न लिप्यधिकार समझौते पर विचार विमर्श

*297. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन शिक्षा राज्य मंत्री की हाल की भारत-यात्रा के दौरान बर्न लिप्यधिकार समझौते पर विचार निमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ए) इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के मंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी ; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटेन के राज्य शिक्षा मंत्री को एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें इंग्लैंड सरकार द्वारा स्टाकहोम ज्ञापन को शीघ्र अपनाने के लिए जोर दिया गया था।

(ग) ब्रिटेन के मंत्री ने बताया था कि मामले की इंग्लैंड के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जांच कराई जाएगी। तथापि, उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि ब्रिटिश प्रकाशक प्रतिनिधि-मण्डल, जो भारत आ रहा है, स्टाकहोम ज्ञापन के अनुमोदित न किए जाने की दशा में भी, पुस्तकों की अन्तरिम मांग को पूरा कर सकेगा।

(घ) इस मामले में सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि शिक्षा के हित में स्टाकहोम पूर्वपत्र (प्रोटोकोल) की तरह भारत तथा अन्य विकासशील देशों के लिए कुछ विशेष उपबन्ध होने चाहिए।

Increase in I. A. C. Fare

*298. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether any increase has been made in the fares of the Indian Airlines since 1st November, 1969 ;

(b) whether a decision has also been taken to provide some extra facilities to passengers with this increase ; and

(c) if so, the time by which these facilities would be provided ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Indian Airlines continuously endeavour to improve facilities and amenities. The increase is necessitated by increased cost of fuel, wage bill and rising cost of passenger amenities.

महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद

*299. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

डा० रानेन सेन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद को हल करने के लिए और क्या प्रयास किये हैं ; और

(ख) क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार इस मामले पर विचार करती रही है और इस विवाद को यथाशीघ्र हल करने के प्रयास जारी है ।

केन्द्रीय सड़क निधि से केरल राज्य को नियत की गई धनराशि

*300. **श्री मंगला चुमाडोम :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के लिए केरल राज्य को केन्द्रीय सड़क निधि से कितनी धन राशि नियत की गई है ; और

(ख) चालू वर्ष में दक्षिण के अन्य राज्यों को कितनी कितनी धनराशि नियत की गई ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) और (ख). दक्षिणी राज्यों को चालू वर्ष के बजट से निम्नलिखित व्यवस्था की सूचना दी गई है :—

राज्य	(रु० लाखों में)
केरल	25.00
आंध्र प्रदेश	22.00
मैसूर	40.00
तमिलनाडु	30.50

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह

1801. **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रमुख पहाड़ी स्थलों पर अवकाश गृहों का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जी हां श्रीमान् । विचाराधीन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह है कि मसूरी में राष्ट्रीय अकादमी के भवनों के एक भाग को, जब अकादमी वहां से दिल्ली आ जाये, केन्द्रीय सरकार के अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह चलाने हेतु ले लिया जाय ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उखरूल रोड पर नागाओं द्वारा घात लगा कर किए गए आक्रमण में लोगों की मृत्यु

1802. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 सितम्बर, 1969 को मनीपुर में उखरूल रोड पर विद्रोही नागाओं द्वारा घात लगा कर किये गये आक्रमण में 6 व्यक्ति मारे गये थे और 18 अन्य व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ख) क्या मारे गये छः व्यक्तियों में मनीपुर राइफल्ज का एक असिस्टेंट कमांडेंट भी था ; और

(ग) क्या यह प्रधान मंत्री के मनीपुर के दौरे के तुरन्त बाद हुआ ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). 24 सितम्बर, 1969 को दिन के 11 बजकर 30 मिन्ट पर उखरूल की ओर इम्फाल से लगभग 18 मील दूर एक स्थान पर कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिनके विद्रोही नागा होने का संदेह है। सुरक्षा आयुक्त की रक्षा के लिए साथ जाने वाले मानीपुर राइफल के एक दल पर गोली चलाई गई। इस मुठभेड़ के परिणामस्वरूप मनीपुर राइफल के एक सहायक कमांडेंट समेत सुरक्षा दल के चार व्यक्ति मारे गये और आठ जख्मी हुए जिनमें से 2 अस्पताल में मर गए । घटना के तुरन्त

बाद सुरक्षा दलों ने खोज कार्यवाहियां आरम्भ की जिन में कुछ गोलाबारूद बरामद किया गया पुलिस द्वारा एक मामला भी दर्ज किया गया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

महाराष्ट्र जाने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन सुविधाएं

1803. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को परिवहन अन्य सुविधाएं देने के लिए सरकार ने क्या समुचित व्यवस्था की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । तथापि विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, महाराष्ट्र में बम्बई, पूना, औरंगाबाद और नागपुर सहित विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटन को प्रोत्साहन देने वाली उन पार्टियों को, जोकि विभाग द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल हैं, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन द्वारा अधिगत की गई आयातित कारें आवंटित की जाती हैं ।

जहां तक अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत पर्यटन विकास निगम की औरंगाबाद में 100 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक 100 शइयाओं की क्षमता वाले होटल को बनाने की योजना है ।

इसके अतिरिक्त, एयर-इंडिया द्वारा बम्बई में दो होटलों के निर्माण की निम्नलिखित योजना है :—

क्षमता	अनुमानित लागत
1. सान्ताक्रूज 100 कमरे	1 करोड़
2. जूहू बीच 300 कमरे	3 करोड़

इनके 1973 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य में निम्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :—

भाग I :

1. एलिफेंटा में केन्टीन व विश्राम कक्ष और क्लोक रूम ।
2. अजंता में केन्टीन व विश्राम कक्ष ।
3. एलोरा में केन्टीन ।
4. एलोरा और अजंता में पेय जल का प्रबन्ध
5. एलिफेंटा में जेटी ।

भाग II : (केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 उपदान)

1. औरंगाबाद में निम्न आय वर्ग का विश्राम गृह ।

2. अजंता में निम्न आय वर्ग का विश्राम गृह ।

3. अजंता में उद्यान ।

4. कार्ली में एक अवकाश गृह ।

5. करनाला में पर्यटन बंगला ।

6. वार्धा में पर्यटन बंगला ।

7. करनाला पक्षी शरण-स्थल का वियतिकरण ।

गुजरात राज्य में पर्यटक केन्द्र

1804. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन गुजरात राज्य में कितने पर्यटक केन्द्र हैं ।

(ख) उन केन्द्रों में पर्यटकों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ग) क्या सरकार के विचार में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन केन्द्रों पर दी जाने वाली सुविधाएं पर्याप्त हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). गुजरात स्थित पर्यटन केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उसके सहयोग से प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है :—

1. लोथल में जल व्यवस्था, पहुंच मार्ग, और केन्टीन व विश्राम कक्ष ।

2. सासन गिर में विश्राम-गृह में सुधार ।

3. केशोद हवाई अड्डे और सासन गिर के बीच परिवहन सुविधाएं ।

4. पोरबन्दर में निम्न आय वर्ग विश्राम-गृह ।

5. चोरवाड़ में एक अवकाश-गृह ।

6. नलसरोवर में अल्पाहार-गृह (कैफिटोरिया)

(ग) और (घ). साधनों की उपलब्धता और प्राथमिकताओं के क्रम को दृष्टि में रखते हुए, वर्तमान और प्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए सुविधायें प्रदान करनी होंगी । परन्तु यह एक निरन्तर बनी रहने वाली प्रक्रिया है । चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान अहमदाबाद का समेकित आधार पर विकास करने का प्रस्ताव है । साबरमती में एक ध्वनि

और प्रकाश प्रदर्शन के आजोयन का भी प्रस्ताव है। वहां पर एक पर्यटक बंगले का पहले ही निर्माण किया जा रहा है।

गुजरात का दौरा करने वाले विदेशी अतिथियों पर व्यय

1805. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 तथा 1969 में जिन विदेशी अतिथियों ने गुजरात में दर्शनीय स्थानों की यात्रा की उनका नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ख) उन पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जो विदेशी भारत सरकार के पर्यटन विभाग के अतिथियों के रूप में गुजरात गये उनके सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2144/69]

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर आए गुजरात के अधिकारी

1806 श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के गुजरात संवर्ग के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, जो तीन वर्षों से अधिक समय से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं ;

(ख) वे किन-किन पदों पर हैं ;

(ग) उनमें ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं जो एक ही मंत्रालय/संगठन में तीन वर्ष से अधिक समय से उसी पद पर काम कर रहे और जिनका सेवा काल एक से अधिक बार बढ़ाया गया है ;

(घ) क्या एक ही मन्त्रालय। संगठन में तीन वर्ष की अवधि के बाद इन अधिकारियों को रखना इस संबंध में मंत्रालय के आदेशों के प्रतिकूल है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका सेवा काल बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2145/69] (अनुलग्नक 1)

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2145/69] (अनुलग्नक II)

(घ) और (ङ): नियमों में निर्धारित सेवाकाल की अवधियां 3 से 5 वर्ष तक अलग-अलग हैं। किसी अधिकारी का सेवा काल एक ही पद में, दूसरे पद अथवा पदों की श्रेणी में उधार देने

वाले प्राधिकारी की स्वीकृति से लोकहित में बढ़ाया जा सकता है। ऐसी वृद्धि भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को केन्द्र में प्रतिनियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों के विरुद्ध नहीं है।

गुजरात में पर्यटक केन्द्रों का विकास

1807. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में पर्यटकों की रुचि के अधिक केन्द्रों का विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन के केन्द्रों का विकास किया जायेगा ;

(ग) क्या सौराष्ट्र में पोरबन्दर को, जो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान भी है, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक देखने आते हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या चौथी योजना में पोरबन्दर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). साबरमती आश्रम में एक ध्वनि और प्रकाश (सान एट लूमिएर) प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। गिर वन में कुछ अतिरिक्त सुविधायें भी प्रदान की जायेंगी।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख भारतीय पर्यटक और 250 विदेशी पर्यटक पोरबन्दर आते हैं।

(घ) और (ङ) अतिरिक्त पर्यटन सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की पोरबन्दर को महात्मा गांधी स्मारक पोरबन्दर काम्पलेक्स के अंग के रूप में विकास करने की एक योजना है।

मदुरै में ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन

1808. श्री मुथैलु : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै (तमिलनाडु) में ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मदुराई में मीनाक्षी मंदिर में लगभग 21 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक "ध्वनि और प्रकाश" प्रदर्शन के आयोजन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हिन्दी सिखाना

1809. **श्री सुब्रावेलु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही का डर दिखाकर हिन्दी की कक्षाओं में जाने के लिये बाध्य किया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह अनिवार्य अध्यापन कार्यक्रम किन नियमों के अन्तर्गत लागू किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 5 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी आयु (1-1-1961 को) 45 वर्ष से कम थी और श्रेणी III ग्रेड से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक स्थापनाओं के कर्मचारियों तथा कार्यप्रभारी कर्मचारी वर्ग को छोड़कर, सेवाकाल के दौरान हिन्दी में प्रशिक्षण अनिवार्य है । अतः ऐसे प्रशिक्षण के लिए भेजे गये कर्मचारियों के लिए कक्षाओं में, जो कार्यालय के समय में ली जाती हैं, नियमित रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है ।

संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य

1810. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा मन्त्रालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के बारे में लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या हैं ; और

(ख) नियुक्ति तथा चयन के बारे में संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार तथा उत्तरदायित्व क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). इन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के प्राधिकार, उत्तरदायित्व और कृत्य वे हैं जो संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से विमोचन) विनियम, 1958 के साथ गठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 और 323 में परिभाषित किये गये हैं ।

बड़े पत्तनों में पत्तन शुल्क की वृद्धि

1811. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंबई, कलकत्ता कोचीन आदि जैसे बड़े भारतीय पत्तनों पर पत्तन शुल्क धीरे बढ़ाया जा रहा है जो निर्यात एवं आयात के लिये हानिकारक हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कई क्षेत्रों में ऐसी आशंका व्यक्त की की जा रही है कि पत्तन शुल्क में अग्रेतर वृद्धि किये जाने से नौ कम्पनियां ऐसी भारतीय पत्तनों पर जहाज नहीं लायेगी ; और

(ग) इस प्रकार की स्थिति के समाधान के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) श्रमिकों की मजदूरी में सुधार, वेतन मानों में उदारता और विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और सामान और श्रम मूल्य में वृद्धि के कारण व्यय मे हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए बंबई, कलकत्ता इत्यादि जैसे कुछ बड़े पत्तनों ने समय-समय पर पत्तन प्रभारों में वृद्धि की है। परन्तु इन वृद्धियों से हमारे निर्यात और आयात पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि किसी वस्तु के अंतिम मूल्य में इसका बहुत तुच्छ अंशदान है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का आनरेरी रैंक

1812. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का "आनरेरी रैंक" प्रदान करती है ; और

(ख) यदि हां, तो ये रैंक किस आधार पर दिए जाते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कल्याण समिति

1813. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कोई कल्याण समिति है, जिसे सरकार से अनुदान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का नाम और कार्यकलाप क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार कार्य समिति की स्थापना के लिये कोई कार्यवाही करने का है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, नागपुर में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ नागपुर में सरकारी सहायक-अनुदान प्राप्त तीन रिहायशी कल्याण संस्थाएं कार्य कर रही है;

(ख) ये है :

(1) सिविल लाइन निवासी कल्याण संस्था, नागपुर,

(2) केन्दीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कल्याण समिति, टाइप-1 क्वाटर, कटोल रोड, नागपुर; और

(3) कटोल रोड सरकारी कालोनी निवासी कल्याण संस्था।

अन्य बातों के साथ-साथ समितियों के कार्यकलापों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लाभार्थ नियमित जीवन की वृद्धि करना, खेल-कूद का आयोजन, संस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यकलाप भी शामिल हैं ;

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रथम और द्वितीय श्रेणी में विभागों द्वारा पदोन्नत किये गये तथा सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

1814. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीधे भर्ती किये गये द्वितीय श्रेणी (अस्थायी एवं स्थायी) सीधे भर्ती किये गये प्रथम श्रेणी (अस्थायी एवं स्थायी) आदि-आदि के विभागों द्वारा पदोन्नत किये गये अधिकारियों के लिये विभागों द्वारा पृथक-पृथक वरिष्ठता सूचियाँ रखी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त अधिकारियों के साथ भर्ती के अनुसार अलग-अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है और उनके उच्च पदों के लिये उपयुक्त न होते हुये भी थोड़े ही समय में पदोन्नत कर दिया जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं तथा तरीकों से सभी सरकारी कर्मचारियों को समान अवसर नहीं मिलते?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग) प्रश्न पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। फिर भी, श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों की, चाहे वे सीधी भर्ती से आये हों या पदोन्नति द्वारा, पृथक वरिष्ठता सूचियाँ रखनी पड़ती हैं क्योंकि श्रेणी I के पदों का उच्च वेतमान, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व श्रेणी II के अधिकारियों की तुलना में अधिक हैं और श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों का कोई संयुक्त संवर्ग नहीं है। पद पर भर्ती पद के लिये अनुमोदित भर्ती के तरीके के अनुसार की जाती है। गृह मन्त्रालय द्वारा दिसम्बर, 1959 में जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य तत्वों के अनुसार यदि पदों का एक समूह अंशतः सीधी भर्ती द्वारा और अंशतः पदोन्नति द्वारा भरा जाता है तो सीधी भर्ती के व्यक्तियों और पदोन्नत व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों और पदोन्नत व्यक्तियों के बीच रिक्तियों के परिश्रमण की अनुसार निर्धारित की जाती है जो भर्ती नियमों क्रमशः सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिये आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर आधारित होती है। वरिष्ठता के ये सामान्य तत्व विशिष्ट वरिष्ठता नियमों के अधीन हैं जो किसी सेवा या पद विशेष के सम्बन्ध में बनाये गये होंगे।

Assaults on Harijans in Bihar

1815. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of assaults made on Harijans in Bihar during the last three months ; and

(b) the measures adopted by Government for their security ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). Facts are being ascertained from the State Government.

दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री

1816. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों के गठबन्धन से अवैध शराब बेचे जाने के बहुत से मामलों का पुलिस के उच्च अधिकारियों को पता चला है,

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों में, विशेषकर निजामुद्दीन, कालका जी, कोटला और बदर पुर के थानों के क्षेत्र में, अवैध शराब बेचने का व्यवसाय जोरों पर है;

(ग) यदि हां, तो क्या अचानक छापे मारना व्यर्थ रहा है क्योंकि छापा मारने वाले दल पहले ही अपने इरादे को सूचना थानों को दे देते हैं और यह सूचना छापा मारने वाले दल के पहुंचने से बहुत पहले अवैध शराब बेचने वाले लोगों को मिल जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (घ). 1-1-1969 से 15-11-1969 तक की अवधि में दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब बनाने और बेचने से सम्बन्धित 1055 मामले दर्ज किये। "दर्ज हुये मामलों की संख्या से प्रतीत होता है कि दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री होती है। 1 जनवरी, 968 से 15 नवम्बर, 1969 तक की अवधि में दो मामलों में 8 दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में पर्याप्त सतर्कता बरतने में उनको असफलता के कारण विभागीय कार्यवाही की गयी। भारी संख्या में मामलों का दर्ज होना पुलिस द्वारा सतर्कता बरतने तथा उनके द्वारा सफल अकस्मात छापे मारने का ही परिणाम है।

कुछ क्षेत्रों जैसे कालका जी कोटला मुबारकपुर इस सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक बदनाम है।

पश्चिम बंगाल में मोइरा कोयला खान में श्रम विवाद

1817. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल कोलफील्डज लिमिटेड के अध्यक्ष के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मोइरा कोयला खान में होने वाला विवाद दो राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला खानों को ऐसे दलों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये कार्यवाही की गयी है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के०एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : राज्य सरकार के तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

सैनिक राइफलों से विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता

1818. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि प्रतिवर्ष सैनिक राइफलों के साथ विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है;

(ख) क्या भारत ने इसमें भाग लेने के लिए कभी कोई सैन्य दल भेजा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सैन्य दल भेजने का कोई प्रस्ताव है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिताएं प्रत्येक चारवर्षों में एक बार होती हैं और सेना राइफल निशानेबाजी उनमें से एक प्रतियोगिता है ।

(ख) यद्यपि भारतीय निशानेबाज, विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं, किसी भी निशानेबाज ने अभी तक 'सेना राइफल' निशाने बाजी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है ।

(ग) भारत की राष्ट्रीय राइफल एसोशिएशन ने सशस्त्र सेना मे नागरिक प्रकार की निशानेबाजी प्रारम्भ करने के लिये पहले से ही कार्रवाही प्रारम्भ कर दी है । सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, दिसम्बर, 1969 में अन्तर सेना निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है । इन प्रतियोगिताओं में सेना राइफल खेलों में यदि कोई होनहार निशानेबाज अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप हुये तो विश्व निशानेबाजी प्रतियोगताओं में उनके भाग लेने पर विचार किया जायेगा ।

मंत्री के दौरों पर खर्च

1819. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा अगस्त से अक्तूबर, 1969 तक की अवधि में देश तथा विदेशों में किये गये दौरों पर कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ख) इन दौरों का उद्देश्य क्या था और उनसे देश को क्या लाभ पहुंचा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री ने अगस्त से अक्तूबर, 1969 तक की अवधि में कोई विदेश यात्रा नहीं की । भारत में उनके दौरे प्रधान मंत्री के विभिन्न स्थानों तथा राज्य सरकारों तथा विभिन्न दलों तथा व्यक्तियों के

वर्गों के अन्य नेताओं तथा प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठकों के सिलसिले में नियतकालिक यात्राओं के भाग थे। प्रधान मंत्री ने उन दौरों में लोगों को बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उपायों के महत्व को भी समझाया। गुजरात का दौरा, विशेष रूप से, उस राज्य में हुए गम्भीर साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में था।

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के अपने दौरों में उन्होंने कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की उड़ान भी की और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत के उपायों पर बातचीत की। प्रधान मंत्री के दौरों पर तथा उनके सचिवालय के अधिकारियों तथा उनके वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग पर, जो उनके साथ गया था, प्रधान मंत्री के सचिवालय के बजट से कुल 770 रुपये 95 पैसे का व्यय हुआ। सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किये गये संबंधित प्रबन्धों के सम्बन्ध में अथवा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के कुछ अधिकारियों द्वारा, जो उनके साथ गये थे, लिये गये यात्रा तथा अन्य भत्तों के विषय में हुए व्यय के बारे में सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है।

Expenditure Incurred on P. M's Visit to Manali (Himachal Pradesh)

1820. **Shri Mrityunjay Prasad :**
Shri D. Amat :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item appearing in the March of the Nation of 4th October, 1969 in which it has been stated that the Chief Minister of Himachal Pradesh had made a statement in the State Legislative Assembly that 688 police Officers and Constables and 11 officers of the Public Relations Department (Public Relation Officers) were on duty during the two-day stay of Prime Minister in Manali during May last and 11 Ministers were also in attendance and that the State Government had incurred nd expenditure of Rs. 75,817.55 on arrangements for her stay there ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the Prime Minister purposes to advise the State Governments to reduce such expenditure and if so, the items of economy ; and

(c) the duties for which Public Relation Officers were posted there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Arrangements for the protection of the Prime Minister are made by the State Governments/Union Territory Administrations who have to make adequate police, security and other related arrangements. In this case, the various categories of personnel were detailed for duty by the Union Territory Administration entirely of their own discretion.

According to them, out of 11 officials of the Public Relations Department, only two were Press officials who were on duty for assisting the Press and the remaining 9 were Technical personnel employed on duties connected with public address equipment news-reel coverage and tape-recorders, etc.

Allegation of Passing Secret Information to Pakistan by Villagers on Rajasthan Border

1821, **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that marriages and other customs of the people residing in

the villages near Rajasthan border, are observed openly in association with the people Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that the people in the aforesaid border areas send oper the secret information of India to pakistan ;

(c) if so, whether Government propose to declare the said area as military area rehabilitating the aforesaid people at distant places from the border ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charz Shukla) : (a) and (b). No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष (सेंट्रल हाल) में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिये संसद सदस्यों को पास जारी किया जाना

1823. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण अवसर पर गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये वैध पासों के बिना संसद सदस्यों को केन्द्रीय कक्ष (सैंट्रल हाल) में प्रवेश करने नहीं दिया गया ;

(ख) क्या संसद भवन में ऐसे समारोहों में भाग लेने के लिए संसद सदस्यों को गृह कार्य मंत्रालय द्वारा पास जारी किया जाना उचित है ; और

(ग) क्या पहले भी कोई ऐसे अवसर आये हैं जब केन्द्रीय कक्ष (सैंट्रल हाल) ऐसे समारोहों में भाग लेने के लिए सदस्यों को पास जारी किये गये थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने का समारोह एक महत्वपूर्ण राजकीय समारोह है जिसमें संसद सदस्यों के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को भी आमन्त्रित किया जाता है । अतः संसद के केन्द्रीय हाल में प्रवेश को उस अवसर पर निमन्त्रणों-द्वारा नियमित किया जाता है । यह प्रथा 1952 से प्रचलित है । तथापि ड्यूटी पर तैनात निगरानी और प्रहरी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश दिये गये थे कि किसी संसद सदस्य को हाल में प्रवेश करने से न रोका जाय यद्यपि वे निमन्त्रण पत्र लाना भूल गये हों किन्तु उनके पास उनका पहचान पत्र हो । सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आयी है कि उस अवसर पर किसी संसद सदस्य को केन्द्रीय हॉल में प्रवेश न करने दिया गया हो ।

Memorandum from Delhi Teachers

1824. **Shri Shashi Bushan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has received any Memorandum from the Teachers of Delhi ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard and the decision proposed to be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). A number of Memoranda have been received from various Teachers' Associations in Delhi. In the latest Memorandum received, the following demands have been made :

(1) Revision of pay scales on the basis of the recommendations of the Delhi Administration.

(2) New scales should be enforced with effect from 1-4-1967.

(3) All Delhi Teachers be given at least one increment.

Demand at Nos. (1) and (2) had been considered and Government had decided to revise the salary scales of Delhi teachers, as a special case, with effect from 21-12-1967, after taking into consideration the recommendations of Delhi Administration.

As regard demand No. (3), the Government have decided to fix the pay of the teachers at the next higher stage in their revised scales with effect from 21-12-1967 with the date of increment unchanged. Orders in this behalf were issued on 31-10-1969.

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुलों का निर्माण

1825. **श्री हेम बरुआ : क्या नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने का है एक जोगीघोपा में और दूसरा सिलघाट में ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना धन मांगा गया है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Relief to Inhabitants Afected by Floods in Purnea (Bihar)

1826. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1.20 lakhs of inhabitants of Purnea Distt. in Bihar out of a total population of about three lakhs are acutely affected by flood and drought ;

(b) if so, the relief measures adopted by Government for these 1.20 lakhs sufferers ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as it is received.

देश में विदेशी धन के आने पर प्रतिबन्ध

1827. **श्री नरेन्द्र कुमार सालवे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं को सहायता के रूप में तथा राजनीतिक प्रचार के

लिए विदेशी संगठनों, संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से भारत में धन के आने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु विधान बनाने का सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). विधायी प्रस्तावों को सूत्रबद्ध किया जा रहा है। संसद में विधेयक पुरःस्थापित करने से पहले विपक्ष के नेताओं से परामर्श किया जायगा।

दिल्ली में गांधी दर्शन प्रदर्शनी

1829. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गांधी प्रदर्शनी पर सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) राज्यों ने इसके लिये अलग-अलग कितना अंशदान दिया ;

(ग) क्या इस प्रदर्शनी में विदेशी अंशदान भी हैं ; और

(घ) दिल्ली में इस प्रदर्शनी के लिये और अन्य शताब्दी समारोह कार्यों के लिये बाहर के देशों ने क्या व्यवस्था की और इन देशों के नाम क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) गांधी शताब्दी संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा गठित गांधी दर्शन के लिए उप-समिति के अनुमान लगाया है कि कुल खर्च सरकारी अनुदान से एक करोड़ रुपये से कुछ अधिक होगा। खर्चे के सही आकडें, उपलब्ध होने पर, सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) गांधी दर्शन प्रदर्शनी के लिए राज्य सरकारों ने कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया। किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने अपने खर्च से प्रदर्शनी में मडंप स्थापित किए हैं।

(ग) और (घ). इंग्लैंड और सोवियत रूस ने गांधी दर्शन प्रदर्शनी में अपने आप अलग-अलग मंडपों का निर्माण किया है। अन्य देशों से प्राप्त प्रदर्शन हेतु वस्तुओं को गांधी दर्शन संबंधी उप समिति द्वारा निर्मित एक मंडप में रखा गया है।

दिल्ली में शताब्दी समारोह के संबंध में अन्य कार्यकलापों के लिए विदेशों द्वारा किए गए प्रबन्धों के बारे में सूचना राष्ट्रीय समिति से मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

बाढ़ के कारण जान-माल की हानि

1830. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री वि० नरसिम्हाराव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ के कारण सितम्बर, 1969 में जान-माल की विशेषतः राजस्थान को कितनी क्षति हुई है ; और

ख) क्षतिपूर्ति के लिये कितनी सहायता दी गई तथा क्या दी गई सहायता राजस्थान की मांग के अनुकूल है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा जैसा सूचित किया गया था अगस्त-सितम्बर 1969 में बाढ़ के कारण हुई क्षति का अनुमान 16 करोड़ रुपये था। खड़ी फसलों, सिंचाई कार्यों और सड़कों को भारी क्षति हुई थी।

प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार जिला अलवर में 27 व्यक्तियों की जाने गयी और 10,000 कच्चे मकान या तो बह गये या गिर गये।

अन्य राज्यों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) राज्य सरकार ने राहत कार्यों की अपनी जरूरतों के लिये 776.4 लाख रुपये की धन राशि का मूल्यांकन किया है केन्द्रीय दल की शिफारिश पर, जिसने घटनास्थल पर बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन दिया और राहत कार्यों के लिये धन राशि की आवश्यकता के लिये राजस्थान का दौरा किया, भारत सरकार ने 293.25 लाख रु० की अधिकतम सीमा को स्वीकार किया है। व्यय की प्रगति को ध्यान में रखते हुये धनराशि देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

बिहार में बाढ़ सहायता

1832. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) राष्ट्रपति के शासनाधीन बिहार से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी सहायता प्राप्त की गई है ;

(ग) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि लोगों को समय पर ही सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने अस्थायी तथा स्थायी बाढ़ सहायता की व्यवस्था को सुधारने के लिए तथा लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और इसके प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

1834. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के कारण ब्रह्मपुत्र घाटी में बहुत से व्यक्ति घिर गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) कितने गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) असम सरकार ने सूचित किया है कि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ के कारण कोई व्यक्ति नहीं घिरा था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बाढ़ से 2751 गांव प्रभावित हुए ।

चंडीगढ़ के विद्यार्थियों को छात्रवृति

1835. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने 1967 में यह आश्वासन दिया था कि चंडीगढ़ के उन विद्यार्थियों को जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की अदायगी के लिये विचारार्थ योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करते हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के मूल्य की छात्रवृत्ति मिलेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). प्रश्न में उल्लिखित आश्वासन चंडीगढ़ प्रशासन ने नहीं दिया था । किन्तु, चंडीगढ़ से संबंधित गृह मंत्री सलाहकार समिति की बैठक में, प्रशासन की ओर से यह कहा गया था कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त समकक्ष स्तर की अतिरिक्त छात्रवृत्तियां, प्रशासन द्वारा अपने बजट से दी जा सकती है । तदनुसार प्रशासन ने विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न श्रेणी और अवधियों की 17 छात्रवृत्तियों की स्थापना की है ।

अनुसूचित आदिम जातीय ईसाई विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां

1836. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची विश्वविद्यालय में अनुसूचित आदिम जातियों के ईसाई विद्यार्थियों को धर्मप्रचारकों (अदर्स) अथवा पादरी (क्लर्जी) अथवा धर्मप्रचारिकाओं (नन्स) के प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियों के रूप में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ख) विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद बिहार में कुल कितने विद्यार्थी पादरी अथवा धर्मप्रचारिकायें बने ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Samyukta Socialist Party Scheme for Forcible Occupation of Land in Bihar

1837. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Samyukta Socialist Party has formulated a scheme to acquire fallow land forcibly in the State of Bihar ; and

(b) measures adopted by Government in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). Facts are being ascertained from the State Government.

Aid to Delhi Administration

1838. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Administration is receiving less financial assistance from the Centre since Janasangh took over the Administration in the capital ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the amount of financial assistance given to the Delhi Administration and Municipal Corporation annually during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. Delhi is a Union Territory whose budget forms part of the consolidated Fund of India. The amounts provided in the Central budget for the Union Territory of Delhi can be operated upon by the Administration themselves subject to the powers delegated to them. There is no question of Delhi Administration receiving financial assistance in the form of grants or loans from the Central Government. The budgetary allocations for Delhi have not decreased since the Janasangh took over the administration in the Union Territory.

(b) Does not arise.

(c) As explained above, Delhi Administration does not receive any financial assistance in the form of loans and grants from the Central Government. However the budgetary allocations for the Union Territory of Delhi included in the Central Budget during the last three years are indicated below :—

(Figures in lakhs of Rs.)

Year	Revenue	Capital	Loans	Total
1966-67	2897.62	1075.64	1428.22	5401.48
1967-68	3560.61	1324.53	1668.12	6553.26
1968-69	4257.23	1748.72	1841.51	7847.46

The financial assistance (grants and loans) given to the Delhi Municipal Corporation (General Wing) during the last three years was as follows :—

(Figures in lakhs of Rs.)

Year	Loans	Grants	Total
1966-67	60.00	956.76	1016.76
1967-68	43.00	1002.13	1045.13
1968-69	10.00	1338.87	1348.87

Religious Convensions through Allurement

1839. **Shri Shiv Kumar Sharsti : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Ram Avtar Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Governments have through legislation, tried to check the malpractice of religious conversions by offering allurements etc. ;

(b) if so, the names of such States and whether the Central Government would also make efforts to save the entire country from this malpractice by enacting similar legislation at the Centre ; and

(c) if so, the time by which such action would be taken, and if not, the reasons therefor ?

The Ministes of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Legislation has been enacted in Orissa and Madhya Pradesh in the matter. A copy of the Orissa Freedom of Religion Act, 1967 and the Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 196 , was laid on the Table of the Lok Sabha on the 6th December, 1968 in reply to Starred Question No. 574.

Central legislation on the subject is not under consideration. The use of force for conversion can be dealt with under the existing provisions of the Indian Penal Code. Further, the subject matter primarily relates to 'public order' which falls within the State field of legislation.

उच्चन्यायालयों में विचाराधीन लेखयाचिकायें

1840. **श्री के० अनिरुद्धन : श्री उमानाथ :**
श्री सत्यनारायण सिंह : श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1969 को भारत में प्रत्येक उच्चन्यायालय में छः महीने से अधिक समय से कितनी लेखयाचिकाएं अनिर्णीत पड़ी थीं ; और

(ख) इन याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क)

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	—	4257
दिल्ली उच्च न्यायालय	—	3087
गुजरात उच्च न्यायालय	—	2589
मैसूर उच्च न्यायालय	—	4750
उड़ीसा उच्च न्यायालय	—	1062

अन्य उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) राज्य प्राधिकारियों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गयी है :—

(i) संस्थापनों, निपटानों और निपटाए जाने वाले बकाया मुकद्दमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में यथावश्यक वृद्धि की जाय ;

(ii) उच्च न्यायालय में रिक्तियां अविलम्ब भरी जांय ; और

(iii) जब कभी कोई सेवारत न्यायाधीश अन्य कर्त्तव्यों में लगाया जाता है और छः महीनों के भीतर उच्च न्यायालय में उसके वापस आने की सम्भावना न हो तो उसके स्थान में एक अतिरिक्त अथवा तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाय ताकि उच्च न्यायालय के कार्य में विलम्ब न हो।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े बकाया मुकद्दमों के प्रश्न की जांच करने तथा आगे के उपचारीय उपायों का सुझाव देने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया है।

बिहार में बक्सर जिले में हरिजनों की हत्या

1841. **श्री जनार्दनन :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में बक्सर उपमंडल में इसमानपुर बैरा क्षेत्र में जमींदारों द्वारा हरिजनों के एक वर्ग पर गोली चलायें जाने के कारण हरिजन मारे गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जमींदारों ने उन भूमिहीन हरिजनों पर आक्रमण किया था जो कि हाल ही में विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति निवास स्थान अधिनियम के अन्तर्गत इसमानपुर बैरा क्षेत्र में बसाये गए हैं ;

(ग) क्या इन जमींदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या पुलिस ने इन हरिजनों को संरक्षण दिया ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दल बदल की प्रथा को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था

1842. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोक सभा तथा राज्य सभा के पिछले सत्र में हुए विचार विमर्श को दृष्टि में रखते हुए दल-बदल को रोकने के लिए सरकार का कोई कानूनी व्यवस्था करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दल-बदल विषयक समिति द्वारा की गई सिफारिशों और संसद में उनके बारे में व्यक्त किये गये विचारों को दृष्टि में रखते हुए सरकार एक विधान पुर:स्थापित करने का विचार रखती है।

अखिल भारतीय सेवाओं में प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारी

1843. **श्री बि० प्र० मंडल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं की विभिन्न शाखाओं में प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की अलग-अलग संख्या तथा प्रतिशतता क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 1-1-69 को अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में सूचना नीचे दी जाती है :—

	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित आदिम जातियां	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
भारतीय प्रशासनिक सेवा	163	6 प्र० श०	65	2 प्र० श०
भारतीय पुलिस सेवा	89	6 प्र० श०	27	2 प्र० श०
भारतीय वन सेवा	17	2 प्र० श०	10	1 प्र० श०

अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भिड़न्त

1844. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1969 के प्रथम सप्ताह में किसी समय दियारा गांव के निकट आसाम-पूर्वी पाकिस्तान रजर्स तथा सीमा सुरक्षा दल के बीच भिड़न्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय तथा पाकिस्तानी जवान मारे गये अथवा जख्मी हुए ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान । 6 सितम्बर, 1969 को ईस्ट पाकिस्तान राईफल्स के सैनिकों ने दियारा स्थित हमारी सीमा वाह्य चौकी पर बिना किसी उकसाइट के गोली चलाई । जब हमारे सुरक्षा दल ने जवाबी गोली चलाई तो ईस्ट पाकिस्तान राईफल्स के सैनिक भाग गये ।

(ख) इस घटना में कोई भारतीय जवान न मारा गया और न घायल ही हुआ । पाकिस्तान की ओर हताहतों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) पाकिस्तान के अधिकारियों को उचित स्तरों पर विरोध पत्र भेजे गये हैं ।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा 19 सितम्बर 1969 को दिया गया वक्तव्य

1845. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 19 सितम्बर, 1969 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद ग्रहण करते समय श्री धवन के इस वक्तव्य का पता है जिसमें उन्होंने कहा था कि "मुझे उन व्यक्तियों की अपेक्षा दोनों साम्यवादी दलों के नेताओं की देश भक्ति में अधिक विश्वास है" क्योंकि कुछ संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति से उनकी नियुक्ति रद्द करने के लिए कहा था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरन्त बाद हुए प्रेस सम्मेलन में श्री धवन द्वारा दिये गये ऐसे भाषण की प्रेस रिपोर्ट को देखा है । यह समझा जाता है कि उनका यह उत्तर संवाददाता द्वारा प्रधान मंत्री से एक संसद सदस्य द्वारा की गई अपील कि श्री धवन की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को इस आधार पर रद्द किया जाय कि श्री धवन ने कम्युनिस्टों को खुली छुट्टी दे रखी है विचार व्यक्त करने के लिए कहे जाने पर था ।

(ख) स्पष्टत: उत्तर इस इरादे से दिया गया था कि श्री धवन उक्त संसद सदस्य की अपेक्षा दोनों साम्यवादी नेताओं की देश भक्ति में अधिक विश्वास करते हैं ।

Murders by Bohar Community in Rajasthan

1846. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister has received a complaint in September, 1969 from District Dhaulpur in Rajasthan against the harassment (murders and looting) of some communities by Bohar Community with the help of Police ;

(b) If so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such complaint has been received.

(b) and (c). Does not arise.

Sale of Milk Powder received by Delhi Municipal Corporation for Distribution among Poor Student

1848. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a conspiracy regarding the sale of milk powder, received by the Delhi Municipal Corp ration's schools for distribution among the poor students, by some employees, in the market has been unearthed ;

(b) whether it is also a fact that the matter has been referred to the Central Intelligence Bureau for investigation ; and

(c) if so, the full details thereof and the action being taken to punish the culprits ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). A complaint about mis-appropriation of damaged milk powder has been received by the Delhi Municipal Corporation, which is under investigation by their Vigilance Department.

हुसैनीवाला में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये बंगले तथा मकान

1849. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुसैनीवाला स्टेशन के निकट हुसैनीवाला सीमा पर अधिकारियों के परिवारों के लिए बंगले तथा भाण्डागार बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों या मजदूरों के लिये जो हुसैनीवाला सीमा पर दिन-रात काम करते रहते हैं, भी क्वाटर बना रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी, हुसैनीवाला में सीमावर्ती बाहरी चौकी सीमाशुल्क-चौकी इत्यादि के आवास के लिए स्थायी कार्यालय बैरक और भण्डागार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

चण्डीएढ स्थित "बैंक आफ इंडिया" से चोरी

1850. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 अक्तूबर, को चण्डीगढ़ में बैंक आफ इंडिया की एक स्थानीय शाखा से दुस्साहसपूर्ण ढंग से 3 लाख रुपये की चोरी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो संदिग्ध व्यक्ति का पता लगाने तथा उसे गिरफ्तार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). बताया गया कि 22-10-69 को बैंक आफ इंडिया की चण्डीगढ़ शाखा से 2,84,547 रुपये की चोरी हो गई थी । चण्डीगढ़ स्थित पुलिस ने इस सम्बन्ध में एक मामला दर्ज किया है जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

गुजरात में साम्प्रदायिक नर संहार

1851. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में साम्प्रदायिक संहार में भारी संख्या में लोग मारे गये ;

(ख) क्या यह सच है कि मारे गये व्यक्तियों में से अधिकतर अल्प संख्यक सम्प्रदाय के थे ;

(ग) क्या यह सच है कि अनस्का तथा रथात के प्रश्नों को सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने से मुसलमानों में साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला और इससे हिन्दुओं में व्यापक प्रतिक्रिया हुई ; और

(घ) क्या इस बार अहमदाबाद तथा गुजरात की घटनाओं में सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बहुसंख्यक समुदाय के बड़े वर्गों में साम्प्रदायिक विष फैलाया गया है ;

(ङ) यदि हां तो सामान्यत: भारत राज्य से तथा विशेषकर गुजरात से साम्प्रदायिकता के कलंक को मिटाने के लिए सरकार क्या अल्प कालिक तथा दीर्घ कालिक उपाय करने का विचार रखती है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 17 नवम्बर, 1969 को सदन के पटल पर रखे गये विस्तृत विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) यह अपने मत का मामला है । दंगों के कारणों की जांच हो रही है ।

(घ) तथा (ङ). साम्प्रदायिक समस्या के सभी पहलुओं पर, 16 अक्तूबर 1969 को राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति द्वारा, और 3 व 4 नवम्बर 1969 को सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा विचार विमर्श किया गया था । सरकार का यह मत है कि साम्प्रदायिक मैत्री और मेल-मिलाप के पक्ष में सभी राजनैतिक दलों द्वारा एक संयुक्त सामूहिक अभियान चलाना और शिक्षा देना, सद्भावना की शक्तियों को सबल बनाने और भविष्य में साम्प्रदायिक झगड़ों को फैलने से रोकने में सहायक सिद्ध होंगे । केन्द्रीय सरकार भी स्वीकृत निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए राज्य द्वारा की गई कार्यवाही के पुनरीक्षण के लिए उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती है ।

भागलपुर विश्वविद्यालय संकाय के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए यात्रा बिलों के बारे में पत्र/शिकायत

1852. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर विश्वविद्यालय संकाय के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये यात्रा बिलों के बारे में कोई पत्र/शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस विषय पर माननीय सदस्य से एक पत्र अक्तूबर, 1969 में प्राप्त हुआ था ।

(ख) और (ग). ऐसी ही एक शिकायत मिलने पर राज्य सरकार ने जांच पड़ताल की

थी तथा शिकायत में सार पाया गया। तदनुसार राज्य सरकार ने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को सलाह दी कि विश्वविद्यालय के नियम और कानून के अनुसार संबंधित अध्यापक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय। कुलपति इस मामले को निर्णय के लिए सिंडीकेट के सम्मुख रख रहा है।

रांची विश्व विद्यालय

1853. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अन्य उद्देश्यों के लिए भवन आदि के मामले में रांची विश्वविद्यालय की दयनीय स्थिति की ओर सरकार/प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सुझाव दिया गया है कि रांची के दूसरे राज भवन को, जैसा कि पूना में किया गया है, रांची विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सितम्बर, 1969 में माननीय सदस्य से प्रधान मंत्री को इस विषय पर एक पत्र मिला था। प्रधान मंत्री द्वारा भेजे गये उत्तर में बताया था कि पूना विश्वविद्यालय के मामले में राजभवन, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने विश्वविद्यालय को सौंपा था, विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ और राज्य सरकार को उसी समय एक नया राजभवन निर्माण कराना था। रांची विश्व-विद्यालय के लिये रांची के राजभवन को सौंपने के प्रस्ताव पर इसी अनुभव के आधार पर विचार किया जाना था।

दुर्घटनाओं के कारण भारत तथा विदेशों में मृत्यु दर

1854. **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रति एक हजार गाड़ियों के पीछे 8 व्यक्ति मारे जाते हैं जब कि ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली और अमरीका में प्रति 1000 मोटर गाड़ी मृत्यु दर केवल 1 है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य देशों में प्रति 100 मील में घातक की औसत संख्या 10 है जबकि भारत में 66 घातक दुर्घटनाएं होती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों द्वारा अन्य उपायों के साथ साथ निम्न उपाय किये गए हैं अथवा किये जा रहे है :—

(1) चलते फिरते पैट्रोलों का बार बार प्रबन्ध किया जाता है और बड़ी तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के विरुद्ध कानून के आधीन कार्यवाही की जाती है।

(2) चलते फिरते पुलीस पैट्रोलों तथा उड़न दस्ता द्वारा गाड़ियों की अचानक जांच की जाती हैं।

(3) यातायात के खतरों के बारे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को चेतावनी देने के लिए सड़कों पर साइन पट्टिकाएं लगाई जाती हैं।

(4) राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य मुख्यमार्गों का सुधार किया जाता है और यथा संभव हद तक कमियों को दूर किया जाता है।

भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा के सारे प्रश्न की जांच करने करने के लिए पांच सदस्यों का एक अध्ययन दल भी नियुक्त किया है। दल के मुख्य विचाराधीन विषय नीचे दिये जा रहे हैं :—

(1) भारत में दोनों शहरों क्षेत्रों तथा मुख्यमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं की जांच करना, ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों को निश्चित करना और ऐसी सड़क से सम्बद्ध आंकड़े। सांख्यिकी एकत्रित करने तथा उनके विश्लेषण के लिए एक समुचित संगठन स्थापित करने के लिए सुझाव देना, और

(2) सड़क सुरक्षा में सड़क इस्तेमाल करने वालों को शिक्षा देने के लिए और यातायात नियमों और विनियमों के और अच्छी तरह कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना और सड़कों पर अत्यधिक सुरक्षा के सुनिश्चयन के लिये सड़कों के आवश्यक सुधार के लिए सुझाव देना।

"कामैक्स" दल पर व्यय

1855. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री बेघर बेहेरा :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री जय सिंह : **श्री श्रीनिवास मिश्र :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में सितम्बर के पहले सप्ताह में भारत यात्रा पर आये 'कामैक्स' दल के आतिथ्य सत्कार पर सरकार ने कितनी धन राशि व्यय की ;

(ख) भारत में आये दल के समक्ष भारतीय संस्कृति का स्वरूप प्रस्तुत करने में भारतीय दल कहां तक सफल रहा ; और

(ग) इस यात्रा से भारत को प्राप्त होने वाले ठोस लाभ क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कामैक्स (भारत), जो एक स्वैच्छिक संगठन है, तृतीय कामैक्स का मेजबान था। राष्ट्रमण्डल युवक समारोह के आयोजकों ने समारोह के लिए वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में जब शिक्षा मंत्री से सम्पर्क किया था तो उन्हें बताया गया था कि इस प्रकार के प्रयोजन के लिए अनुदान देने के वास्ते बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी मन्त्री जी ने अपनी विवेकाधीन निधि में से 5000 रुपये के सांकेतिक अनुदान को स्वीकृति दे दी थी।

(ख) और (ग). जहां तक इस मन्त्रालय को जानकारी है, कामैक्स 'समारोह' में भाग लेने वाले भारतीय विद्यार्थियों को, भारतीय संस्कृति का चित्रण करने के लिए कोई हिदायत नहीं दी गई थी। उन्होंने, विदेशी विद्यार्थियों के साथ रहने के प्रयोग में भाग लिया था और शायद उस प्रयोग में उन्हें लाभ हुआ होगा।

वर्ष 1969 के दौरान दिल्ली में छुरे बाजी की घटनायें

1856. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 की अवधि में छुरे बाजी के कारण दिल्ली में कितने व्यक्तियों की हत्या की गई है ; और

(ख) इस अवधि में गुण्डगर्दी के कारण कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार तथा दण्डित किया गया और उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 39 (15-11-1969 तक)।

(ख) 1-1-1969 से 15-11-1969 तक की अवधि में 78 व्यक्ति छुरेबाजी की घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किये गए। 11 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया है। उनमें से 6 को आजीवन कारावास की सजा दी गयी और 5 को 5 वर्ष की अवधि के लिए कड़ी कैद की सजा दी गयी। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस द्वारा इस अवधि में बम्बई पुलिस अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 151 इत्यादि के अन्तर्गत 10,255 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इनमें से अब तक 4987 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया है। 14 से जमानत। जमानती देने को कहा गया और 6 को कैद की सजा दी गयी।

पंजाब पुलिस के पुलिस उप निरीक्षक संघ राज्य क्षेत्र में डी० एस० पी० की प्रतिनियुक्ति पर सेवा निवृति

1857. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनियुक्त पंजाब सर्किल के एक पुलिस उप निरीक्षक को जुलाई, 1969 की एक गजट अधिसूचना के अनुसार अगस्त, 1968 से अपने पद से सेवा निवृत कर दिया गया जबकि वह सितम्बर, 1968 में नियमित रूप से कार्य कर रहा था और उसे डाक्टरी आधार पर चार महीने की छुट्टी दी गई थी तथा उसे गजट में पुलिस उप निरीक्षक घोषित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह किन आधारों पर किया गया था ; और

(ग) क्या यह अधिसूचना किसी पहली अधिसूचना को रद्द करने के लिये निकाली गई थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश में सहायक उत्पाद-शुल्क तथा कराधान आयुक्त के पद पर काम करने वाले श्री ज्ञान चन्द बाली को दिल्ली उच्च न्यायालय के हिमालय न्यायपीठ ने 30 मई, 1967 को न्यायालय द्वारा दिये गये एक फैसले में दिल्ली पुलिस का एक स्थायी पुलिस उप-अधीक्षक घोषित किया। 29 फरवरी, 1968 को श्री बाली की आयु 58 वर्ष की हो गई। उनका सेवा-काल 31 अगस्त, 1968 तक के लिए बढ़ा दिया गया। उनके सेवाकाल को आगे बढ़ाने की स्वीकृति देने वाले किसी आदेश के अभाव में वे 31 अगस्त, 1968 के अपराह्न से स्वत: ही सेवा-निवृत हो गये। उनकी सेवा निवृत्ति के बारे में सितम्बर, 1968 में एक अधिसूचना जारी की गई। तदनन्तर यह मालूम हुआ कि श्री बाली ने 31 अगस्त, 1968 के उपराह्न में हिमाचल प्रदेश के सहायक उत्पादन-शुल्क तथा कराधान आयुक्त के पद का कार्यभार नहीं सौंपा था यद्यपि ऐसा करना उनका कर्त्तव्य था। उस अवधि को ध्यान में रखते हुए जिसके दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सहायक उत्पाद-शुल्क तथा कराधान आयुक्त के पद पर वास्तव में कार्य किया था उनका सेवाकाल 16 सितम्बर, 1968 तक बढ़ाना पड़ा। 31-8-1968 से श्री बाली की सेवा निवृत्ति के बारे में सितम्बर, 1968 में जारी की गई अधिसूचना को रद्द करते हुए तथा 17-9-1968 से उनकी सेवा निवृत्ति अधिसूचित करते हुए एक अधिसूचना 2 जुलाई, 1969 को जारी की गई थी। श्री बाली को 31-8-1968 के बाद कोई छुट्टी नहीं दी जा सकी क्योंकि वे सेवा-निवृत्त हो चुके थे। पंजाब सरकार श्री बाली को अपने संवर्ग का अधिकारी मानने के लिये कभी भी सहमत नहीं हुई।

सरकारी कर्मचारियों का आनन्द मार्ग की गतिविधियों में भाग लेना

1858. **श्री जि० मो० विस्वास :** **डा० रानेन सेन :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आनन्द मार्ग की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आदेश को वापस लेने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सर्वोच्च न्यायालय ने इसके समक्ष दायर की गई लेख्य याचिका तथा स्थगन के लिए उपस्ताव के एक नोटिस पर आदेश जारी कर दिये हैं कि सरकार स्थगन के लिए उपस्ताव के नोटिस के अन्तिम रूप से निपटाए जाने तक आनन्द मार्ग अथवा उसके किसी भी संगठन की गतिविधियों के साथ सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धों के बारे में गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेश लागू न

करें। तदनुसार मंत्रालयों को अगले आदेशों तक पहले के अनुदेशों पर कार्यवाही न करने के अनुदेश जारी किए गये हैं।

पर्यटक व्यापार के बारे में एक रिपोर्ट का प्रकाशित किया जाना

1859. **श्री मीठा लाल मीना :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के महानिदेशक के कहने पर भारतीय जनमत संस्थान ने हाल ही में रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप पर्यटन व्यापार पर पड़े प्रभाव के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट में संस्थान ने यह कहा है कि अवमूल्यन के कारण पर्यटन व्यापार से विदेशी मुद्रा की आय में काफी कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा पर्यटक व्यापार को अवमूल्यन पूर्व के स्तर में लाने के लिए अवमूल्यन के पश्चात क्या सरकार द्वारा कोई ठोस प्रयत्न या उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग के अनुरोध पर भारतीय जनमत संस्थान (इन्डियन इन्स्टीच्यूट आफ् पब्लिक ओपीनियन) ने पर्यटकों के खर्चे की विधाओं (पेटर्न्स), और भारत में प्राप्त पर्यटन सुविधाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं, का अध्ययन करने के लिये नवम्बर 1968 से अक्तूबर 1969 तक विदेशी पर्यटकों के बारे में नमूने के तौर पर एक संरक्षण किया। संस्थान ने विभाग के उपयोग के लिये प्रथम छः महीनों में किये गए सर्वेक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में संस्थान ने कहा है कि रुपयों में मूल्यांकन की दृष्टि से प्रति व्यक्ति खर्चा 1968-69 में 36.6% अधिक था, परन्तु डालर में मूल्यांकन की दृष्टि से यह खर्चा 13.3% कम था। परिणाम यह निकलता है कि रुपये के हिसाब से पर्यटक वर्ग द्वारा अधिक खर्च किये जाने तथा पर्यटकों की संख्या द्रुत गति से वृद्धि होने के बावजूद भी 1965 की तुलना में डालर के हिसाब से विदेशी मुद्रा की आय में मालूमी कमी आई है।

(ग) विदेशी पर्यटकों को अधिक संख्या में भारत आने के लिये आकृष्ट करने के लिये किये जा रहे उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :-

(1) विदेशों में उत्कृष्ट पर्यटन साहित्य द्वारा व्यापक प्रचार।

(2) चार्टर उड़ानों के परिचालन विषयक नीति का उदारीकरण।

(3) कुछ देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीजा और वीजा शुल्क की समाप्ति।

(4) विमानक्षेत्रों पर सरलीकरण प्रणाली की सुव्यवस्था।

(5) विमानक्षेत्रों को जाने वाली सड़कों का सुधार।

(6) गुलमर्ग, कोवालम और गोआ में इन स्थानों को लक्ष्य बना कर आने वाले यातायात के लिये अवकाशकालीन सैरगाहों का निर्माण ।

(7) सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यकलाप द्वारा एवं साथ ही निजी क्षेत्र को ऋण और प्रोत्साहन दे कर होटलों में अधिक आवास तथा अधिक अच्छी परिवहन सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था ।

(8) पुरातत्विक स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थलों का और अधिक अच्छा अनुरक्षण ।

(9) भिखारियों और दलालों जैसे पर्यटकों के लिए उद्वेगकारी तत्वों के निराकरण के प्रयत्न ।

(10) अपने चार क्षन्तर्राष्ट्रीय बिमानक्षेत्रों में बृहत् सुधार ।

सितम्बर, 1969 में ब्रिटेन के राज्य मंत्री और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के बीच बातचीत

1860. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1969 में नई दिल्ली में भारत के शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और ब्रिटेन के शिक्षा तथा विज्ञान के राज्य मंत्री के बीच कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या ब्रिटेन के मन्त्री को कोई स्मरणपत्र दिया गया था और यदि हां, तो उस स्मरणपत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के आर० वी० राव) : (क) से (ग). जब लंदन के शिक्षा तथा विज्ञान विभाग के राज्य मन्त्री शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री से मिले थे तो उन्होंने ब्रिटेन सरकार द्वारा स्टाकहोम संलेख (प्रोटोकोल) के शीघ्र अनुमोदन तथा भाषाओं को पढ़ाने के लिए भाषा प्रयोगशालाओं के व्यापक प्रयोग से सम्बधित बातों पर चर्चा की थी, शिक्षा मंत्री ने ब्रिटेन के मन्त्री को यह बताने का प्रयास किया कि भारत स्टाकहोम संलेख के शीघ्र अनुमोदन को अधिक महत्त्व देता है ।

ब्रिटेन के मंत्री ने कहा कि स्टाकहोम संलेख के संबन्ध में भारत के विचारों पर विचार करने के लिए इसे ब्रिटेन के सम्बन्धित प्राधिकारियों के सम्मुख रखा जायेगा । उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि भाषा प्रयोगशालाओं के माध्यम से भाषा सिखाने की समस्या पर भी भारतीय प्राधिकारियों द्वारा ब्रिटिश परिषद के साथ और बातचीत की जा सकती है । उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश प्रकाशक प्रतिनिधि मंडल, जिसको हाल में भारत आना था, पुस्तकों संबंधी आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में शायद भारत सरकार के साथ उपयोगी बातचीत करे, चाहे यद्यपि स्टाकहोम संलेख का अनुमोदन करना शेष है ब्रिटेन की सरकार द्वारा

स्टाकहोम संलेख के शीघ्र अनुमोदन के प्रश्न से सम्बन्धित एक स्मारकपत्र ब्रिटेन के मंत्री को उपलब्ध कराया गया था ।

जहाजों के भाड़े की दरों में वृद्धि

1861. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान से अमरीका जाने वाले जहाजों के भाड़े की दरों में 1 दिसम्बर, 1969 से वृद्धि की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की गई थी और यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये थे ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां । भारत का पश्चिमी तट और पाकिस्तान यू०एस०ए० सम्मेलन ने 1-12-1969 से 5 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि की घोषणा की है ।

(ख) परिचालन लागत की वृद्धि को सम्मेलन ने कारण बताया है ।

(ग) सम्मेलन और आल इंडिया सिपरस कौंसिल के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श एक दफा जुलाई 1969 और फिर अक्तूबर, 1969 में हुए । सम्मेलन ने बहुत सी वस्तुओं को सामान्य वृद्धि से मुक्त किया है । उन्होंने कुछ संवेदी वस्तुओं की वर्तमान दर को भी कम किया है और कुछ अन्य पर उन्होंने 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की है ।

एशियन होटल्स कम्पनी का बनाया जाना

1862. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल मालिकों की एक भारतीय फर्म के सहयोग से एक एशियन होटल्स कम्पनी बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को बनाने का प्रयोजन क्या है और इसका विस्तारपूर्वक कार्य किस प्रकार होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक तथा उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). ओबेराय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से ज्ञात हुआ है कि उन्होंने को-आपरेटिव होलसेल एस्टैब्लिशमेंट, कोलम्बो द्वारा, जो कि होटलों के निर्माण के प्रयोजनार्थ बनाया गया श्री लंका सरकार का सांविधिक निगम है, स्थापित एशियन होटल्स कम्पनी के साथ प्रबन्धात्मक करार किया हैं, और इस करार में इस बात की व्यवस्था की गई है कि ओबेराय होटल्स कोलम्बो में होटल का प्रबन्ध और परिचालन करेगा जिसके लिये किये गये भुगतानों को उन्हें स्वदेश ले जाने की अनुमति होगी । सरकार के पास कम्पनी और उसके कार्य के सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

नये शिक्षा आयोग की नियुक्ति

1863. **श्री अदिचन** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1969 को भारतीय औद्योगिक संस्था, नई दिल्ली के दीक्षान्त समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने बेरोजगार इन्जीनियरों के लिए भारत की शिक्षा पद्धति को दोषी ठहराया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विचार से सरकार का विचार शिक्षा पद्धति को कार्य उन्मुख बनाने के लिए शिक्षा पद्धति की जांच करने हेतु एक नया शिक्षा आयोग नियुक्त करने का विचार है ; और यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त अभिभाषण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अधिक कार्य-उन्मुख बनाने हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में अन्य क्या उपाय अथवा कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रपति ने, हमारी शिक्षा पद्धति में, रोजगार के प्रति, व्यावहारिक झुकाव के महत्व पर जोर दिया है।

(ख) और (ग). एक और शिक्षा आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु कोटि और स्तर सुधारने के लिए तकनीकी शिक्षा की चौथी पंचवर्षीय आयोजना का निर्माण किया गया है। आयोजना में संकाय विकास, पाठ्यचर्याओं का पुनर्गठन, पाठ्य पुस्तकों समेत अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण और पाठ्यक्रमों के विविधिकरण की व्यवस्था है। पालिटेक्निक शिक्षा के पूरे प्रश्न की जांच करने और दीर्घकालिक आधार पर उसके पुनर्गठन, अर्थात तकनीशियनों की मांग के अनुरूप, आयोजना तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

लघु उद्योग स्थापित करने के लिए इन्जीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को प्रशिक्षित करने के लिये विशेष कार्यक्रमों का प्रस्ताव है।

प्रतिलिप्याधिकार सम्बन्धी स्टाकहोम अधिसमय

1865. **श्री धीरेश्वर कलिता** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जागेश्वर आदव :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने अभी तक प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी स्टाकहोम अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को इस बारे में कोई और पत्र लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। उन्होंने इसका अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है।

(ख) भारत सरकार ने शिक्षा तथा विज्ञान के ब्रिटिश राज्य-मंत्री को उस समय एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया था जब उन्होंने सितम्बर, 1969 में शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के राज्य-मंत्री से भेंट की थी।

(ग) ब्रिटिश मंत्री ने चर्चा की थी कि वह इस मामले की ब्रिटेन के उपयुक्त प्राधिकारी के सामने पेश करेंगी। ब्रिटिश सरकार से और कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में स्थान की कमी

1866. **श्री घोरेश्वर कलिता** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए स्थान की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संग्रहालय के लिए अतिरिक्त कक्ष बनाने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

लड़कियों की शिक्षा

1867. **श्री घोरेश्वर कलिता** :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लड़कियों की शिक्षा की प्रगति बहुत ही धीमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लड़कियों की शिक्षा की प्रगति की गति बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2146/69**]

बड़े पत्तनों का विकास

1868. **श्री जनार्दनन** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश के बड़े पत्तनों के विकास के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बड़े पत्तन के प्रस्तावित विकास की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

संसद कार्य, तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). बड़े पत्तनों के लिए विचारार्थ विकास का मुख्य ब्यौरा चौथी पंचवर्षीय योजना प्रलेख के प्रारूप में दिया गया है जिसकी एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े पत्तनों के विकास के लिए भौतिक कार्यक्रम की अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपये है जिसमें पाँचवी योजना का 20 करोड़ रुपये का "स्पिल ओवर" भी शामिल है।

दिल्ली के अध्यापकों के वेतन मानों के पुनरीक्षण सम्बन्धी समिति

1869. **श्री जनार्दनम :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री गु० च० नायक :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री अ० दीपा :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने सम्बन्धी जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने उन्हें अधिक वेतनमान देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा किन नये वेतनमानों के लिये सिफारिश की गई है ; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट, अभी भी दिल्ली प्रशासन के परीक्षणाधीन है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के महा-प्रबन्धक का अपने विमानों के बेडे के बारे में वक्तव्य

1870. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के महा-प्रबन्धक ने बम्बई में 2 सितम्बर, 1969 को अपने वक्तव्य में कहा था कि कारपोरेशन के विमानों के बेड़े की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है ; और विद्यमान वायुयानों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण अच्छे वायुयान तेजी से खराब होते जा रहे हैं और कारपोरेशन को बाध्य होकर डकोटा विमानों का प्रयोग करना पड़ रहा है जिससे प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक तथा उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 1 सितम्बर, 1969 को बम्बई में इंडियन एयरलाइन्स के स्टेशन मैनेजरों के सामने भाषण करते हुए महाप्रबन्धक ने 1970-71 में कारपोरेशन के बेड़े की स्थिति की ओर निर्देश किया तथा 1968-69 और 1969-70 के दौरान इसके विमानों, विशेषतौर पर कारवेलों, के प्रशंसनीय रूप

से प्रकृष्ट उपयोग का उल्लेख किया। "अत्यधिक प्रयोग के कारण अच्छे वायुयान खराब होने" की ओर कोई निदेश नहीं था। परन्तु, उन्होंने पिस्टन इंजन वा डकोटा विमानों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता की ओर जरूर निर्देश किया था क्योंकि उनके परिचालन बहुत महंगे पड़ते थे।

बिहारशरीफ में बम रखने के कारण गिरफ्तारी

1871. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1969 को बिहारशरीफ में अपने पास बम रखने के कारण जिन तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था उनके नाम और व्यवसाय क्या हैं ;

(ख) उन बस्तियों के नाम क्या हैं जिनमें पुलिस ने बम बनाने वाली मशीनें, बम, पिस्तौल, गोलियां, रसायन आदि पकड़े थे और अवैध रूप से रखे गये हथियार और सामग्री कितनी मात्रा में पकड़े गये हैं ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). बिहार सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल रख दी जायगी।

वाराणसी में आनन्द मार्ग के कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी

1872. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 सितम्बर, 1969 को वाराणसी में गिरफ्तार किये गये भागुआ वस्त्र धारी आनन्द मार्ग के स्वयं सेवकों के नाम क्या हैं तथा उन्हें गिरफ्तार किये जाने के क्या कारण थे ;

(ख) सिगरा क्षेत्र के जिस मकान से पुलिस ने बहुत से बम, चाकू तथा अन्य अस्त्र बरामद किये थे उसके मालिक अथवा निवासी का नाम क्या है और क्या इस मामले में आनन्द मार्ग का हाथ था ; और

(ग) यदि हां, तो आनन्द मार्ग के कितने साधू गिरफ्तार किये गये हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

डगलस डी०सी०-9 विमान

1873. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डगलस डी० सी०-9 विमान के निर्माताओं ने इण्डियन एयर लाइन्स को की गई मूल्य पेशकश के बारे में क्रयादेश देने की अन्तिम तिथि को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाया ;

(ख) यदि हाँ, तो विमानों की लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या इण्डियन एयर लाइन्स इस सम्बन्ध में डगलस विमान के निर्माताओं के साथ बात-चीत कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). डगलस डी०सी०-9 के प्रस्ताव की, जोकि 21 अगस्त, 1969 तक प्रभावी था, अवधि को बाद में बढ़ा दिया गया था परन्तु बढ़ाये गये प्रसतव में प्रत्येक विमान की कीमत में 260,352 अमेरिकन डालर (19,52 640/- रुपये) की वृद्धि कर दी गयी। इण्डियन एयरलाइन्स के लिये एक उपयुक्त विमान का चयन करने में सरकार को सलाह देने के लिये एक तदर्थ समिति गठित की गयी है, परन्तु डी०सी०-9 विमान खरीदने का विचार इस कारण से छोड़ दिया गया है कि भारत में डगलस के प्रतिनिधि के विरुद्ध अनैतिक व्यापार का एक प्राइमा फेसी केस सामने आया है और उस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में स्थिति

18 4. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री सु० कु० तापड़िया :
डा० सुशीला नैयर : श्री बेदब्रत बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : श्री हिम्मतसिंहका :
श्री क० लकप्पा : श्री प्रदिचन :
श्री ए० श्रीधरन : श्री हेम बरुआ :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वर्तमान शांत वातावरण को देखते हुए सरकार का विचार राज्य में संकट को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार 11 अप्रैल, 1969 को प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित 8 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर तेलंगाना क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताओं को शीघ्र तथा दीर्घकालिक पूर्तियाँ प्रदान करने की दृष्टि से निरन्तर निगरानी रख रही है। अभी तक इस सम्बंध में की गयी कार्यवाही के ब्यौरे 21 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 889 के उत्तर में सदन में पहले ही प्रस्तुत कर दिये गये हैं। सरकार यह भी विचार कर रही है कि और क्या उपाय करने आवश्यक हैं ताकि 8 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

Complaints Regarding Management of Patna and Muzaffarpur University in Bihar

1876. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth services** be pleased tc state :

(a) whether it is a fact that he has received some complaints regarding the management of Patna and Muzaffarpur Universities in Bihar during the last two years ;

(b) whether any action has since been taken on these complaints ; and

(c) if so, the remedial measures proposed to be taken ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). No complaint has been received by the Government of India against the Patna and Bihar Universities. However, the State Governmeni had set up in February, 1966 the State University Enquiry Commission "to enquire into, report generally on the working of the different Universities of the State and particularly, to report on (a) the working of the Senate, Syndicate and the Academic Council and the Examination Board, (b) the irregularities on the part of the officers of the Universities in the disposal of their official work, (c) the work of the affiliated colleges, (d) the financial conditions of the Universities, and (e) the comments made by the Inter-University Board in their report in respect of different Universities". The Commission was also required to report on the changes to be made in the provisions of Acts, Statutes and Ordinances and Regulations with a view to bringing about an overall improvement in the affairs of the Universities and also on such other matters as the Commission thought fit.

2. The Commission submitted its report by August, 1967 in which certain irregularities on the part of the Universities had been pointed out. Under the provisions of the Universities Acts, the reports were referred to the respeetive University Senates for comments. Their comments have been received and action is being taken by the State Education Department in the matter.

3. The reports of the State University Enquiry Commission regarding Patna and Bihar Universities attracted the notice of the University Grants Commission also.

4. The University Grants Commission considered the report of the State University Enquiry Commission on the working of Patna University at its meeting held in August, 1967 and desired that the views of the Patna University be invited on the report. The views of the Patna University were received and were referred to the State Government for comments. The State Government in February, 1969 informed the Commission that the matter had been considered by the Committee on 'Higher Education in Bihar' set up by the State University Commission and the recommendations of this Committee were under the examination of the State Government. The State Government has not yet informed the University Grants Commission about its decisions.

5. The report of the State University Enquiry Commission on the Bihar University was considered by the University Grants Commission in its December, 1967 meeting. The Commission felt seriously concerned about the distressing situation as revealed by the State University Enquiry Commission and appointed a Committee to go into the matter to sugges' remedial measures that may be taken to bring about improvements in the conditions prevailing in the University. The University Grants Commission in its July, 1968 meeting received the report of its Committee and desired that the comments of the State Government may be obtained on the report. These comments are still awaited.

Pakistani Nationals in Delhi

1878. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Avtar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several Pakistani nationals are living in Delhi illegally under the protection of some influential local Congressmen :

(b) whether it is also a fact that some action was taken against them by the Delhi Administration ;

(c) whether it is also a fact that some women also entered into India illegally and went to Aligarh and Kashmir ; and

(d) if so, the number of such men and women amongst Pakistani nationals separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Nehru Memorial Museum

1879. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state ;

(a) the complete outlines of Nehru Memorial Museum located in Teen Murti House, New Delhi :

(b) the total expenditure incurred thereon so far and the estimated amount to be spent thereon till the completion of the whole scheme ; and

(c) whether provision for research work would also be made therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) The aims and objects of the Nehru Memorial Museum and Library, which have been outlined in the Memorandum of Association of the Nehru Memorial Museum and Library Society envisage the following :—

1. Establishment and maintenance of the Museum ;
2. Establishment of a library on modern India ; and
3. Promotion of research in modern Indian history with special reference to the Nehru era.

The Nehru Memorial Museum and Liberary has been planned from the outset as a research centre on modern Indian history, from Raja Ram Mohun Roy to Jawaharlal Nehru. The Museum is a personalia museum but its scope has been expanded to cover various aspects of India's struggle for freedom. It has been drawing increasing number of visitors from all walks of life and all parts of India ; the number during the current year will exceed a million.

The resources of the library include published an unpublished material bearing on the history of India from 19th and 20th century. A rich collection of books and old news papers has been built up. Among the unpublished papers are the records of various non-official organisations and associations and the correspondence of eminent leaders belonging to various schools of political thought in India.

The Nehru Memorial Museum and Library has also undertaken an Oral History Project with the object of capturing and recording before it is too late the knowledge possessed by living persons which does not find its way into written records. There are several close colleagues and associates of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and other leaders who possess valuable information which can supplement the written record and needs to be recorded for use in research now and in future.

In addition to the main objectives as indicated above, the Nehru Memorial Museum is also providing certain ancillary services to the scholars such as microfilming and Xerox copying, which facilitate their research.

(b) The total expenditure on the Nehru Memorial Museum and Library from 14th November, 1964, when it was inaugurated, to 31st October, 1969, has been Rs 34,63,376.

The annual recurring expenditure on the maintenance of this institution is of the order of Rs. 12 lakhs. In addition an allocation of Rs. 39 lakhs has been made in the Fourth Five Year Plan for the construction of a new library building which is conceived as an integral part of this organisation from the very beginning.

(c) The provision for research work is included in the estimates.

Person Dropped by Parachute on Jaipur-Ajmer Highway

1880. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Shri Chand Goyal :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the press report stating that a person with parachute had been dropped recently from an aircraft of Jaipur-Ajmer Highway ;

(b) whether it is a fact that he could not be traced inspite of search made by the local police ;

(c) whether Government have investigated into the matter ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d). Facts are being ascertained from the State Government.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के निदेशकों की प्रधान मन्त्री के साथ बैठक

1882. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 अगस्त, 1969 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के द्वारा प्रधान मन्त्री के साथ आयोजित बैठक में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन कार्य कर रहे 32 निदेशकों में से केवल 9 की ही बैठक के लिए आमन्त्रित किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के उन 23 निदेशकों ने, जिन्हें आमन्त्रित नहीं किया गया था, बैठक में उन्हें शामिल न किये जाने का विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो 3 निदेशकों को शामिल नहीं करने के क्या कारण थे और उनके विरोध-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ग). 9 निदेशकों को, जिनके साथ कुछ समस्याओं पर विचार-विमर्श करना था, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष द्वारा आयोजित बैठक में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने 26.8.1969 को प्रधान मन्त्री से भी मुलाकात की थी।

(ख) जी, नहीं।

अन्दमान के उस बंगले का आरक्षण जिस में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ठहरे थे

1883. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आजाद हिन्द सरकार के अध्यक्ष के रूप दिसम्बर में अन्दमान में पोर्ट ब्लेयर गये थे और 'रास' द्वीप में भूतपूर्व मुख्य आयुक्त के बंगले में ठहरे थे जिस पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था ;

(ख) क्या इस बंगले को अब स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा गिराया जा रहा है है ;

(ग) क्या अक्तूबर मास में अन्दमान जाने वाले सात संसद सदस्यों ने उनको तार भेज कर उनसे इस बंगले को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने की प्रार्थना की थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या 'रास' द्वीप स्थित इस बंगले के गिराये जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और क्या नेताजी के सम्मान में और आजाद हिन्द फौज के स्वतन्त्रता संग्राम की परम्परा को जीवित रखने के हेतु इस बंगले को सुरक्षित रखने और इसकी मरम्मत करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नेता जी सुभाष चन्द्र बोस सन् 1943 के अन्त में पोर्ट ब्लेयर गये थे जब अन्दमान जापानियों के कब्जे में था। किन्तु प्रश्न के भाग (क) में उठाई गयीं अन्य बातों के उत्तर के लिये कोई प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) रास द्वीप में स्थित बंगला, जो पहले चीफ कमीश्नर का निवास स्थान था, गिराया नहीं जा रहा है फिर भी कालावधि और मौसम की परिस्थितियों के कारण भवन की दशा गिर रही है और वह अब अत्यन्त क्षीण अवस्था में है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) गिराने को रोकने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि गिराने के ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। बंगला मरम्मत होने लायक नहीं हैं अतः उसके संरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। पोर्ट ब्लेयर में नेता जी के स्मारक बनाने तथा सैलुलर जेल को एक स्मारक के रूप में रखने का फैसला पहले ही किया जा चुका है।

पश्चिम बंगाल में संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में घेराव

1884. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ऐसी रिपोर्टें मिली है कि पिछले 8 महीनों में पश्चिम बंगाल में शिक्षा संस्थाओं में और ऐसी संस्थाओं के प्रधानों का घेराव किया गया है और घेराव के ऐसे अनेक मामलों ने हिंसात्मक उपद्रवों का रूप धारण किया ;

(ख) क्या उस राज्य मे विभिन्न विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों का घेराव किया गया था, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था ;

(ग) क्या राजनीतिक तत्वों ने हिंसात्मक घेराव करके अनेक मुख्याध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों को उनकी शिक्षा संस्थाओं से बाहर निकाल दिया था ;

(घ) क्या ऐसे घेरावों के कारण शिक्षा संस्थाओं की सम्पति नष्ट हुई, अनेक शिक्षकों एवं छात्रों की हत्या हुई और उन्हें चोटें लगी और ऐसी संस्थाएं बन्द हुई ; और

(ङ) यदि हां, घेराव की ऐसी घटनाओं का मन्त्रालय को प्राप्त विवरण क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजनैतिक प्रतिक्रियावादियों के नाम पर लूटपाट डकैती और हत्यायें

1885. **श्री शारदा नन्द :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री रा० बरुआ :**
श्री सूरज भान : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक प्रतिक्रियावादियों के नाम पर लूटपाट, डकैती और हत्यायें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं श्रीमान्। ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन पर इस प्रकार के अपराधों को करने का सन्देह है, कानून के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत पर्याप्त कार्यवाही करना सम्भव है।

Meeting of Chief Executive Councillor of Delhi with Prime Minister

1886. **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri P. C. Adichan :

Will the Minister of **Education and Youth** Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Executive Councillor of Delhi had placed certain suggestions before the Prime Minister about the teachers of Delhi on the 5th September (Education Day) ; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Goverament thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) In the course of the discussions, the Chief Executive Councillor suggested that the scales of pay of Delhi teachers should be enhanced and that the formula for the fixation of pay in the new scales should be revised.

Having regard to the several representations received in regard to this matter, Government of India have decided, as a special case, to agree to fix the pay of the Delhi teachers in the revised scale at the next higher stage with the date of annual increment remaining unchanged. Necessary orders have already been issued to the Delhi Administration and the local bodies to implement the decision.

Inter-State Council Recommended by ARC

1887. **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the proposal of the Administrative Reforms Commission to constitute, under Article 263 of the Constitution, an Inter-State Council for Centre-State relations ; and

(b) if so, the details thereof, and if not the reasons therefore ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The recommendation of the Administrative Reforms Commission regarding the setting up of an inter-State Council under article 263 of the Constitution is under consideration.

Freight Charges Payable on Export Commodities

1888. **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that we have to pay more freight charges on many export commodities than what our competitors have to pay ;

(b) if so, whether any scheme is under consideration to compensate it ;

(c) if so, the outline of the scheme and if not, the reasons therefor ;

(d) whether any Commission would be appointed to examine the entire question of freight charges in relation to our foreign trade ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) It is not practicable to identify all our export commodities on which freight charges may be higher than what our competitors have to pay. However, individual cases where incidence of shipping freight charges is high keep coming to the notice of Government. Each case is examined on merits and pursued with the Conferences etc. concerned through the Freight Investigation Bureau who have succeeded in securing suitable reductions in a large number of cases.

(b) and (c). There is no such scheme under consideration of Government. The grant of any freight subsidy on our exports would be against the rules of GATT and would attract the provisions of the Anti-Dumping Rules.

(d) and (e). Appointment of a Commission would not serve any useful purpose since the grant of any freight subsidy is in any case out of question. It is, therefore, advisable to continue the present arrangement of seeking redressal of our grievances from the Conference concerned wherever it can be established that the incidence of shipping freight charges on any commodity is high, discriminatory or anomalous.

Increase in Freight Charges by Japan Spain Corporation

1889. **Shri Sharda Nand** :
Shri Atal Bihari Vajpaye :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Japan Spain Corporation and other Companies have increased freight charges by 7½ per cent in respect of cargo that is shipped to Hongkong and Japan from India ; and

(b) if so, the steps taken by Government, their results and future plan in this regard with a view to maintaining the balance in the competitive foreign markets ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) Government is not aware of any Japan Spain Corporation but the Japan/Persian Gulf/Japan Conference, the Malabar Far East Rate Agreement and the Bay of Bengal/Japan/Bay of Bengal Conference, which cover the trade in question, have increased the freight rates by 7½% with effect from 1-10-1969.

(b) Government is pressing all the Conferences operating in India's foreign trade to agree to prior consultation with shippers before imposing any general freight increases. In the present case, the Conference have, as a result of discussions with the representatives of the Government of India and the All India Shippers' Council, reduced the quantum of the increase from 10% to 7½% and also postponed the effective date of the increase from 1-7-1969 to 1-10-1969. Special treatment has also been accorded to a number of commodities by granting them exemption from the general increase.

Employees of Madhya Pradesh Government on Deputation to Centre

1890. **Shri Ram Singh Ayarwal** :
Shri Bansh Narain Singh
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether employees of Madhya Pradesh Government on deputation to various Ministries of the Government of India are receiving the benefit of merger of part of dearness allowance on dearness pay which was announced by Madhya Pradesh Government for its employees :

(a) whether it is a fact that some of Ministries of the Government of India are not treating a part of dearness allowance as dearness pay as a result of which they are not receiving the benefit in house rent allowance and city compensatory allowance ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this connection so that the employees may receive the benefit accruing therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). Under the existing orders, the State Government employees who come over on deputation to the Centre are entitled to the Dearness Pay under the rules of the State Government if they opt for the scales of pay under the State Government. Similarly, in such cases dearness pay is taken into account for purposes of House rent allowance and City compensatory allowance, if the State Government Rules provide that the dearness pay shall be taken into account for such purpose.

दरयापुर (गुजरात) में विस्फोट

1891. **श्री राम सिंह अयरवाल :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री वंश नारायण सिंह : **श्री राम किशन गुप्त :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के दरयापुर क्षेत्र में हाल ही में एक बम विस्फोट के कारण दो व्यक्तियों की हत्या हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा क्या उनमें से एक व्यक्ति दक्षिण पंथी साम्यवादी दल से सम्बद्ध था और उस क्षेत्र की शान्ति समिति का सदस्य था ;

(ग) यदि हां, तो उसे शान्ति समिति का सदस्य किसकी सिफारिश पर नियुक्त किया गया था ; और

(घ) क्या अहमदाबाद के हुये दंगों के दौरान संसद सदस्य श्री भूपेश गुप्त ने उसकी कार का उपयोग किया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अहमदाबाद नगर में 17 अक्तूबर, 1969 को एक विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(ख) से (घ). मृत व्यक्तियों में से एक का नाम मोहम्मद सिद्दीकी था । अन्य तथ्य राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं ।

गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों में भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों के हाथ होने के बारे में जांच

1892. **श्री राम सिंह अयरवाल :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पता लगाने के लिये सरकार ने कोई जांच कराई है कि गुजरात में हाल में हुये साम्प्रदायिक दंगों में भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों का हाथ था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जी नहीं श्रीमान्। आयोग द्वारा हाल के दंगों की जांच प्रगति पर है।

जामिया-मिलिया में आग लगाने का प्रयास

1893. श्री राम सिंह अयरवाल : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अक्तूबर, 1969 के दिल्ली के जामिया-मिलिया में आग लगाने की घटना हुई थी;

(ख) पुलिस प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं और अब तक किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि पुलिस ने विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस प्राध्यापक का नाम क्या है और सरकार द्वारा अभी तक अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 20 अक्तूबर, 1969 को जामिया-मिलिया के एक भाग में आग लगी। वह दमकल द्वारा बुझाई गई। पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया और उसकी जांच की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी तट के पुलों और सैक्शनों का निर्माण

1894. श्री लोबो प्रभु : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम तट के कौन-कौन से पुल और सेक्शन भी पूरे नहीं हुये ;

(ख) निर्धारित समय में कार्य पूरा न करने के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अधिकारियों द्वारा अनुसूचित रूप से स्वविवेक से काम लिये जाने के कारण नियोजन के बेकार पड़े रहने और भ्रष्टाचार के अवसरों को रोकने के लिए सरकार द्वारा विलम्ब के लिये दण्ड न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). कोलावा जिले में सड़क की छह मील लम्बाई में और रत्नागिरि जिले में लगभग

14 मील और महाराष्ट्र में कोलावा जिले में वी० वे० जी० मार्ग के मील सं० 9 में पहुंच मार्गों सहित पुल निर्माण, कुम्टा मातकल मंगलोरमार्ग और मंगलोर बैंदुर मार्ग के कुछ भागों में 35 मील लम्बी सड़क, 5 पुल अर्थात सदाशिवगढ के निकट काली पुल, होन्नावर के निकट शराबती पुल, मविनाहोली पुल, कोनेयनाला पुल, वलगुलीनाला पुल और कुदेनाला पुल, और पादुविडमी, कातपाडी, उदीपी और भातकल पर मैसूर में चार उपमार्ग, दो पुल तेल्लीचेरी उपमार्ग में इरान-होली पुल और बलिपट्टम पुल और पांच उपमार्ग अर्थात कसारगोडी, बंदगारा, कनहूर, वलांचेरी और तेल्लीचेरी केरल में, मनडोवी नदी के ऊपर का पुल जिसका निर्माण जारी है और कोलवली और जुआरी पुल जिन्हें अभी शुरू करना है, गोआ में, पूरे हो गए हैं। मामले के गुणावगुणो के अनुसार जब कभी यह पाया गया है कि निर्माण कार्य में देरी ठेकेदार की त्रुटि में हुई है, तो करार की शर्तों के अनुसार दण्ड दिया गया है अथवा निविदाएं रद्द की गई हैं और जमा अग्रिम धन (अरनेस्ट मनी) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जब्त किया गया है। करारों के अनुसार वे और भी कार्यवाही कर रहे हैं। करार की वर्तमान शर्तें राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त समझी जाती हैं, अतः दण्ड में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोआ के लिये विमान सेवा

1895. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर से बम्बई जाने वाले विमानों के सप्ताह में एक अथवा दो बार गोआ में न रुकने के क्या कारण हैं जब कि मंगलौर और गोवा के बीच अन्य संचार साधनों से यात्रा करने में 48 घन्टे का समय लगता है ; और

(ख) ऐसा न होने पर कोचीन से बम्बई जाने वाले विमान के जो गोआ में रुकता है मंगलौर में भी न रुकने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) बंबई-मंगलौर मार्ग पर उड़ान संख्या आई० सी०-159 और 160 के बम्बई-मंगलौर-बंबई खंड पर यातायात काफी भारी रहा है, इस मार्ग पर गोआ में विराम बनाने का अर्थ होगा बम्बई और मंगलौर के बीच सीधे यातायात के लिए कम स्थानों (सीटों) की उपलब्धि। फिर भी गोआ, मंगलोर और बंगलौर को विमान सेवा द्वारा जोड़ने के उद्देश्य से, इस मार्ग पर गोआ में सप्ताह में कुछ दिन का विराम बनाने के प्रश्न की इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अगली ग्रीष्म अनुसूची के भाग के रूप में जांच की जायेगी।

(ख) बम्बई-कोचीन सेवा पर अत्यधिक यातायात वहन होता है और गोआ पर विराम अधिकांशतः एक तकनीकी विराम के रूप में ईंधन लेने और इस प्रकार बम्बई और कोचीन से अधिकतम भार वहन करने के लिए होता है। इस कारण बम्बई-कोचीन उड़ान पर, जोकि गोआ मार्ग से परिचालित होती है, मंगलौर पर विराम बनाना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय सेवा निगम

1896. **श्री लोबो प्रभु** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री दिनांक 8 अगस्त 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विचार विश्वविद्यालय को यह सुझाव देने का है कि जहां उपलब्ध धनराशि से राष्ट्रीय सेवा कोर योजनाओं को आयोजित नहीं किया जा सकता वे उन छात्रों को जो नेशनल केडेट कोर अथवा राष्ट्रीय संगठन कार्यक्रम में से किसी में भाग नहीं लेना चाहते राष्ट्रय सेवा कोर की स्वीकृति प्रणाली के अधीन अपनी इच्छा से काम करने तथा अपनी रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दी जाये जिसका बाद में मूल्यांकन किया जाये ;

(ख) चौथी योजना में नेशनल केडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा कोर तथा राष्ट्रीय खेल कूदों के लिये अलग-अलग कितनी धन राशि नियुक्त की गई है ;

(ग) इनके मध्य व्याप्त अन्तर का क्या औचित्य है ; और

(घ) सभी कालेजों से जानकारी लेकर छात्रों द्वारा व्यक्त वरियता के आधार पर धन नियत करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (ख) से (घ) इस सुझाव का हम स्वागत करते हैं कि जहां एक विद्यार्थी किसी एक या अन्य कारणों से राष्ट्रीय सेवा कोर, नेशनल केडेट कोर अथवा राष्ट्रीय खेलकूद कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकता उसको राष्ट्रय सेवा कोर की स्वीकृति प्रणाली के अर्धीन अपनी इच्छा से काम करने के लिए उत्साहित किया जाय और एक प्रतिवेदन पेश किया जाय जिसका बाद में मूल्यांकन हो । विश्वविद्यालयों को इसके बारे में सूचित कर दिया जायेगा, माननीय सदस्यों को शायद इस बात की जानकारी होगी कि कई विश्वविद्यालय पहले ही सामाजिक सेवा लीग में चला रहे हैं जिनमें विद्यार्थी सामाजिक कार्य में भाग ले रहे हैं, एक आयोजन, फोरम बनाने की भी योजना है जिसके अन्तर्गत सामाजिक सेवा करना सम्भव है । माननीय सदस्य सुझाव के प्राप्त होने पर इस दिशा में हो रहे वर्तमान कार्यकलापों में वृद्धि होगी ।

2. चौथी योजना में 650 लाख रुपये के कुल उपबन्ध में से 490 लाख रुपये राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम तथा 160 लाख रुपये राष्ट्रीय खेलकूद संगठन (एन० एस० ओ०) के कार्यक्रमों के विकास के लिए खर्च करने का विचार है । ऐसी सम्भावना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय सेवा में 6 लाख विद्यार्थी आ जायेंगे और लगभग 2 लाख विद्यार्थी वार्षिक राष्ट्रीय खेलकूद संगठन (एन० एस० ओ०) के कार्यक्रमों में भाग लेंगे । योजना व्यय में नेशनल केडेट कोर सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार का खर्च शामिल नहीं है । इसको प्रतिरक्षा मंत्रालय के गैर-योजना आय-व्ययक से पूरा किया जाता है । जब राष्ट्रीय सेवा कोर तथा राष्ट्रीय खेल-कूद संगठन (एन० एस० ओ०) योजना पर विचार हो रहा था, तो अभिप्राय यह था कि कालेज के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को तीनों योजनाओं अर्थात नेशनल केडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा कोर, अथवा राष्ट्रीय खेल-कूद संगठन (एन० एस० ओ०) में से किसी एक योजना में भाग लेने के लिए अपना विकल्प देना चाहिए । तथापि संसाधनों की कमी के कारण, सभी

विद्यार्थियों को योजनाओं में लेने का विचार त्याग दिया गया और यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रीय सेवा कोर राष्ट्रीय खेल-कूद संगठन के कार्यक्रमों को स्वेच्छिक आधार पर अग्रिम योजनाओं के रूप में चालू किया जाय ।

Manipur Youth Going to Pakistan for Guerilla Training

1897. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Om prakash Tyagi :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the reports published in the newspapers dated the 9th August, 1969 to the effect that 200 youth of Manipur have gone to Pakistan to get training in Guerilla warfare are correct ;

(b) whether it is also a fact that China is encouraging Manipur also like Nagaland to become hostile to India ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to frustrate the plan of China-Pakistan in regard to Manipur ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Some Manipur Youths were reported to have gone to Pakistan to get assistance for organising subversive activities in Manipur.

(b) and (c). The attitude of China Forwards north eastern region is well known and adequate measures are being taken to thwart such designs. Some Manipuri youngmen on their return from Pakistan and also some persons connected with subversive activities have been arrested. Security Forces are maintaing Constant Vigilance.

Demand for Greater Autonomy for Tamil Nadu

1898. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Tamil Nadu had demanded greater autonomy for the State and on the rejection of the said demand by the Central Government, have threatened to launch an agitation ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Hindi Correspondence Between Centre and State

1899. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the correspondence in Hindi between the Union and State Governments during 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the names of such States, as have not made any correspondence in Hindi with the Union and State Governments ; and

(c) the efforts made by Government in this regard and the reaction of these State Governments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement regarding letters received in Hindi from State Governments and

replied to by the various Ministries/Departments of the Government of India during the three quarters of the year 1968-69 is attached. Figures for earlier periods were not maintained.

(b) The Official Languages (Amendment) Act provides that the English language shall be used for purposes of communication between the Union and a State which has not adopted Hindi as its official language unless it chooses to correspond in Hindi. In addition to the Hindi speaking States, the non-Hindi speaking States of Gujrat, Maharashtra and Punjab have also started using Hindi for some correspondence with the Union Government.

(c) The Official Languages Act has left the initiative in this regard with the State Governments.

STATEMENT

Statement showing the number of letters received in Hindi from State Governments and replied to by the various Ministries/Departments of the Government of India during the three quarters of the year 1968-69.

	Period	Number of Letters Received in Hindi and Replied to	
		In Hindi	In English
1.	July, 1968—September, 1968	2525	1195
2.	Oct. 1968—December, 1968	2377	952
3.	Jan. 1969—March, 1969	3709	561

In addition to these a few originating letters were also issued in Hindi by the Ministries/Departments of the Government of India.

Hindi in Central Government Offices

1900. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the name of the Offices of the Central Government which have not so far started work in Hindi at the State level or the Central level ;

(b) the action taken by Government in this regard : and

(c) tha progress made in respect of work in Hindi in the Central Secretariat and Central Government Offices in 1968-69 as compared to 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Official Languages Act, 1963, as amended, provides for the use of both Hindi and English for various official purposes of the Union. The Central Government employees are free to use either of the languages to transact their official work. No statatics are being maintained regarding the offices in which use of Hindi, in addition English, has not been started, but efforts are being made to encourage the Hindi knowing staff to begin using Hindi for official work in Central Government offices located in Hindi speaking States.

(b) Sudsequent to the enactment of Official Languages (Amendment) Act, 1967 detailed administrative instructions were issued for the implementation of its provisions. A senior officer of the rank of Joint Secretary has been made responsible in each Ministry/Department for ensuring the implementation of the same. Progress in this behalf is also watched through quarterly progress reports furnished to the Ministry of Home Affairs where these are scrutinized and follow up action taken as necessary. It has been decided that Hindi should be used *inter alia* for all originating correspondence addressed to the Govern-

ments of Hindi speaking States and the Union Territory administrations of Delhi and Himachal Pradesh. Exceptions may be made to the extent necessary in the case of D. O. letters communications involving technical and legal matters and circular letters which are addressed to all State Governments and Union Territories.

(c) The requisite information is already set forth in the Annual Assessment Report 1968-69 on the programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union laid on the Table of the House on 29th August, 1969.

भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता के संविधान में संशोधन

1901. **श्री रा० बरुआ :** **श्री मयाबन :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यूनेस्को से सम्बन्धित सहकारिता सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग के संविधान में संशोधन करने का निश्चिय किया है ।

(ख) यदि हाँ, तो संशोधन करने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार को इस निर्णय से अपना अपेक्षित उद्देश्य पूरा करने में क्या सहायता मिलेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां, संविधान का संशोधन अक्तूबर, 1969 में हुआ था ।

(ख) संशोधन का प्रमुख कारण आयोग के कार्य में देखी गई कुछ असंगतियों को दूर करने की आवश्यकता थी तथा इसे अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाना था ।

(ग) चूंकि पाँच उप आयोगों, अर्थात (1) शिक्षा, (2) प्राकृतिक विज्ञान (3) सामाजिक विज्ञान (4) सांस्कृतिक कार्य कलाप और मानवता, (5) जन-संसार को समान सदस्यता (प्रत्येक में 10 सदस्य) के आधार पर ठोस निकाय बनाया गया है, यह आशा की जाती है कि अब सभी पांचों सैक्टरों पर समान और तत्काल ध्यान दिया जायेगा । चुने हुए गैर-सरकारी संगठनों को समान मताधिकार के साथ (पहले के आयोग के विचार विमर्श में भाग तो ले सकते थे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था) संस्थावार सदस्यता प्रदान करने से युनेस्को और आयोग के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आयोग और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अधिक अच्छा संपर्क स्थापित होगा ।

इंडियन एयर लाइंस द्वारा एवरो 748 विमानों की खरीद

1902. **श्री रा० बरुआ :** **श्री नि० रं० लाश्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री मयाबन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइंस ने 10 एवरो 748 विमानों का और क्रय करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे सम्भवत: कब तक खरीद लिये जायेंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये विमान अभी तक केवल लाभप्रद मार्गों पर ही उड़ाये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार उन्हें अन्य मार्गों पर भी उड़ाने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० **कर्ण सिंह**) : (क) और (ख). जी, हां । उनके इंडियन एयर लाइन्स को 1971-72 के दौरान वितरित किये जाने की आशा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अतिरिक्त एच० एस० 748 विमानों का क्षेत्रीय मार्गों पर वहन-क्षमता में वृद्धि के लिये उपयोग किया जायेगा ।

बिहार में राष्ट्रपति का शासन

1903. **श्री रा० बरुआ** :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रीचंद गोयल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के राज्यपाल ने बिहार के बारे में केन्द्र को एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजा है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या बिहार के राज्यपाल ने राज्य विधान सभा के भंग किये जाने का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो बिहार में राष्ट्रपति का शासन समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (**श्री विद्या चरण शुक्ल**) : (क) से (घ). बिहार के राज्यपाल स्थायी सरकार की सम्भावना की निरंतर छानबीन कर रहे हैं और उपयुक्त समय पर राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श करेंगे । अत: विधान सभा भंग भी नहीं की गई है ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल सम्बन्धी चन्द्रा समिति की सिफारिशें

1904. **श्री रा० बरुआ**:
श्री नि० रं० लास्कर
श्री मयावन:
श्री चेंगलराया नायडू:

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल सम्बन्धी चन्द्रा रेड्डी समिति के निर्णय की सिफारिशों को देखते हुए अनुदानों में कमी करने के निर्णय को बदल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ग) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूलों के अनुदानों के बारे में सरकार के पूर्व निर्णयों को बदलने से कोई कठिनाइयां तो उत्पन्न नहीं हो जायेंगी?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) से (ग) : यद्यपि सरकार ने स्कूलों को अनुदान देने को प्रभावित करने वाली समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं, समिति ने जिस राशि की सिफारिश की है, उससे अधिक अनुदान देने के लिए पग उठाये जा रहे हैं ।

एयर इन्डिया को परिवहन क्षमता की तुलना में उसका वार्षिक औसत ईन्धन खर्च

1905. **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इन्डिया की परिवहन क्षमता की तुलना में उसका वार्षिक औसत ईन्धन खर्च क्या है;

(ख) अन्य विमान कम्पनियों की तुलना में इसका आफ रिकार्ड फेयर कटस कितना है; और

(ग) क्या एयर इंडियन अधिक व्यापार प्राप्त करने के लिए उसी अंश तक अपने किरायों को घटाने पर विचार करेगी?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : माननीय सदस्य संभवत: एयर इन्डिया की वहन क्षमता की तुलना में उसकी औसत माल क्षमता के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं ।

1966-67 67-68 और 68-69 के वर्षों के लिए एयर इन्डिया के कुल भार अनुपात (उपलब्ध टन किलोमीटर से राजस्व टन किलोमीटर का अनुपात जिसे सामान्यतया प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है । और यात्री भार अनुपात (राजस्व यात्री किलोमीटर का अनुपात जिसे सामान्यतया प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है) निम्न प्रकार से है :—

	1966-67	1967-68	1968-69
यात्री %	47.0	46.0	46.6
कुल %	49.5	48.0	48.8

(ख) : केलेण्डर वर्ष 1968 के लिए विमानन उद्योग के यात्री भार अनुपात के 51% के मुकाबले एयर इन्डिया का 1968-69 के दौरान यात्री भार अनुपात 46.6 % था ।

(ग) : अन्तर्राष्ट्रीय किराये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संस्था के सम्मेलनों में तय किये

जाते हैं। संस्था का कोई भी एक सदस्य एक तरफा तौर पर अपना अलग अन्तर्राष्ट्रीय किराया तय नहीं कर सकता। इसे संस्था के सब सदस्यों का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। संस्था के अन्य सदस्यों की तरह, एयर इन्डिया भी अपनी सेवाओं पर यात्री भार अनुपात में वृद्धि की दृष्टि से विभिन्न अभिवृद्धि विषयक किरायों के लिए संस्था के सम्मेलनों में निरंतर प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहे हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर नियंत्रण

1906 : **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री मोहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारयों के नियोजक किन्हें माना जाता है;

(ख) राज्यों के कार्य कर रहे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर राज्य सरकार का क्या नियंत्रण होता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति तथा उन्हें दण्ड देने सम्बन्धी राज्य सरकारों की सिफारिशें की गई तथा उन्हें कार्यान्वित किया गया है और कितने मामलों में ऐसा नहीं किया गया;

(घ) इन मामलों का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दण्ड देने तथा उनकी नियुक्ति के मामले में राज्य सरकारों को पूर्ण अधिकार देगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, उन अधिकारियों को छोड़कर जो संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग पर हों, उन राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होते हैं जिनके संवर्ग में वे तब होते हैं जब वे राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे हों और केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तब होते हैं जब वे केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे हों अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है। सेवा में भर्ती केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों का अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण है। वे उनके अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने और उनकी नियुक्तियों की व्यवस्था करने के लिए सक्षम हैं। वे संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बर्खास्तगी, सेवा से हटाना तथा अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दण्डों को छोड़ कर अन्य सभी दण्ड दे सकते हैं।

(ग) तथा (घ) : चार मामलों में राज्य सरकार की सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं और उन्हें कार्यरूप दिया गया। पांच ऐसे मामले हैं, जिन्हें अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया। तीन मामले विचाराधीन हैं। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार की सहमति अपेक्षित नहीं है।

(ङ) अखिल भारतीय सेवाओं (अनुशासन तथा अपील) नियमावली 1969 के अन्तर्गत राज्य सरकार जिसके अधीन वह अधिकारी उस कार्य को करने अथवा न करने के समय जिसके लिये नियमों के अधीन उसको कोई दण्ड दिया जा सकता हो, कार्य कर रहा हो, उस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां करने तथा उस पर बर्खास्तगी, सेवा से हटाना अथवा अनिवार्य-सेवा निवृत्ति को छोड़ कर अन्य दण्ड देने के लिए सक्षम है। बाद के तीन दण्ड अखिल भारतीय सेवाओं के किसी अधिकारी पर केवल केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा दिये जा सकते हैं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार नियुक्ति-प्राधिकारी है। अतः अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की बर्खास्तगी, सेवा से हटाना अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के अधिकार राज्य सरकार को प्रत्यायुक्त नहीं किये जा सकते हैं।

सेवा के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाये रखने के उद्देश्य से उनकी नियुक्ति केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा की जाती है।

इंडियन एवियेशन तथा इन्टरनेशनल एयर ट्रेवल एसोशियेशन

1907. **श्री भगवान दास :**
श्री कं० हाल्दर।
श्री वि० कु० मोडक :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एवियेशन बैंचर का इन्टरनेशनल एयर ट्रेवल एसोशियेशन के साथ क्या सम्बन्ध है;

(ख) इन्टरनेशनल एयर ट्रेवल एसोशियेशन में भारत का क्या प्रतिनिधित्व है;

(ग) क्या यह सच है कि इन्टरनेशनल एयर ट्रेड एसोशिएशन का नियंत्रण अमरीका के कुछ उड्डयन एकाधिकारियों के हाथ में है;

(घ) क्या यह सच है कि अवांछनीय छल योजना और अमरीकी एकाधिकारियों की स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण एक बार ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कार्पोरेशन ने उस एसोशिएशन से अलग होना चाहा था; और

(ङ) यदि हां, भारतीय यात्रियों तथा भारतीय उड्डयन के हितों की रक्षा के लिए यदि कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) : इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोशिएशन (इन्टरनेशनल एयर ट्रेवल एसोशियेशन नहीं) अनुसूचित एयरलाइनों का एक विश्व संगठन है। इन्डियन एयरलाइन्स और एयर-इन्डिया दोनों ही इसके सदस्य हैं और

इसके विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों में, जहां कि इन दो एयरलाइनों से सम्बन्धित विमान किरायों और क्रियाविधियों के बारे में चर्चा की जाती है, इसका प्रतिनिधित्व रहता है।

(ग) जी, नहीं। आई० ए० टी० ए० के इस समय कुल 102 विमान-वाहन सदस्य हैं जिनमें से केवल 30 अमेरिकन हैं। यह अपने मुख्य सम्मेलनों में, जहाँ कि किराये दरें निश्चित की जाती हैं, सर्वसम्मति के नियम के आधार पर कार्य करता है और एक छोटा सा विमान-वाहक सदस्य भी किसी समझौते को नकारात्मक मत देकर रोक सकता है।

(घ) : इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास परिषद द्वारा किये गये निर्णय

1908. **श्री क० अनिरुद्धन :**

श्री रवि राय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर 1969 में हुई पर्यटक विकास परिषद की बैठक में क्या-क्या मुख्य निर्णय किये गये ;

(ख) क्या सदस्यों से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि हमें अपने पर्यटक केन्द्रों के लिए बेहतर प्रचार पर अधिक जोर देना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अक्तूबर, 1969 में दार्जीलिंग में हुई पर्यटन विकास परिषद की तेरहवीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल० टी० 2147/69]

(ख) बहुत से वक्ताओं ने सामान्य तौर पर अधिक अच्छी प्रकार के प्रचार की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर जोर दिया, तथा पर्यटन विभाग के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रकाशित नये साहित्य संग्रह पर अनुकूल टिप्पणियां की गईं।

(ग) विभाग ने मार्केट के दृष्टिकोण से एक नई नीति अपनाई है जोकि केवल स्मारकों पर ही नहीं अपितु भारत के लोगों तथा उनके रीति रिवाजों एवं त्यौहारों पर भी विशेष प्रकाश डालती है। तदनुसार, अत्यन्त उन्नत प्रकार की प्रचार सामग्री का एक बिल्कुल नया सेट प्रकाशित किया गया है। कौंटीनेंटल यूरोप में एयर इंडिया के सहयोग से और अधिक प्रभावी प्रचार की व्यवस्था की जा रही है।

निवारक निरोध अधिनियम में संशोधन

1909. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवारक निरोध अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता पुनः निर्धारित करना

1910. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के बारे में 16 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10009 तथा 10010 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय से विचाराधीन उनकी वरिष्ठता पुनः निर्धारित करने संबन्धी अभ्यावेदनों पर इस बीच निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है, और क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो और विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त और गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी हाँ ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि पहले से निश्चित की हुई सम्बन्धित कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) गृह मंत्रालय ने ऊपर (ख) में निर्दिष्ट विचार का अनुसमर्थन किया है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयुक्त ने कुछ और सूचना मांगी है जोकि उसे दे दी गई है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

1911. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा मन्त्रालय । विभागवार प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित और अराजपत्रित) के कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित किये गये ;

(ख) इन वर्षों में वर्षवार संघ लोक सेवा आयोग अथवा सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा इन पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया ; और

(ग) इन वर्षों में वर्षवार उनमें से कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया और पदों पर नियुक्त किया गया ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम. सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Recognition of Bihar State Non-Gazetted Employees Federation

1912. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have withdrawn the recognition of the Bihar State Non-Gazetted Employees Federation and have decided to grant recognition to certain groups of persons who had baen expelled from this Federation with the result that there is great resentment among the employees ;

(b) whether it is also a fact that the Patna High Court has stayed the implementation of Government's decision to derecognise the said Federation ; and

(c) if so, whether it is proposed to restore the recognition of the Federation till the time a popular Government is formed there and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Recognition of the said Federation has not been withdrawn. In the annual general meeting of the Federation held this year, there was a dispute about the office-bearers elected in the meeting and two groups of employees claimed that they had been elected as office bearers and saught Government's recognition as elected representatives. After making necessary enquiries, it was found by the State Government that representatives of one of the two groups had the support of six of the ten recognised Service Associations which formed the Federation. The State Government, therefore, decided to recognise an *ad-hoc* Committee consisting of the group which had the majority support of the members of the recognised associations, pending regular election to be held to elect office-bearers. The Departments of the State Government were requested to deal with this *ad-hoc* Committee till further orders. In the meantime, the other group went to the High Court and challenged the decision of the State Government. The Patna High Court issued orders pending the disposal of the writ that the Government's decision referred to above should be stayed. Accordingly, the State Government have issued instructions to the Departments not to act on the decision referred to above. The State Government are awaiting the final orders of the High Court in the matter.

पर्यटकों की रुचि के स्थानों का विकास

1913. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री 22 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4664 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार (1) गौतम कुण्ड और अहिल्या स्थान (2) बिसल (3) गिरिजास्थान (4) जाघबन और (5) बिसफी का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने की व्यवहार्यता तथा लागत आदि की जांच सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वह इसके वित्तीय तत्सम्बन्धी आशयों और पर्वता के बारे में निर्णय कर सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जैसा कि पहले ही एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए, जिनके कारण

प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारण अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गया है, भारत सरकार के लिए निकट भविष्य में इन स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करना संभव नहीं है । अतः इनके सम्बन्ध में व्यवहार्यता अध्ययन किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कोचीन पत्तन के बर्थों में मिट्टी का जमा हो जाना

1914. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन के बर्थों में मिट्टी जमा हो जाने से जो कठिनाइयां अनुभव की गई थीं क्या वे अब दूर हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं नये ड्रेजरों का प्रबन्ध किया गया है ; और

(ग) उसकी नवीनतम स्थिति क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जमा मिट्टी को दूर करने के लिए 1968 में कोचीन पत्तन न्यास द्वारा एक पुराना ड्रेजर "गंगा" खरीदा गया था । पत्तन न्यास द्वारा एक नये होपर सक्शन ड्रेजर तथा एक नये ग्रांब ड्रेजर के लिए मैसर्स गार्डन बीच वर्कशाप, कलकत्ता, को क्रयादेश दिये गये हैं जो 1971 में प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(ग) इस समय दोनों टैंकर बर्थों पर और प्रायः सभी घाट बर्थों पर तथा साथ की दो जैटियों पर और तीनों धारा बांध घाटों पर 30 फुट की गहराई उपलब्ध है ।

मैसूर के राज्यपाल श्री धर्मवीर द्वारा राज्यपालों कार्य के बारे में वक्तव्य

1915. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के राज्यपाल श्री धर्मवीर के इस आशय के कथित वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि राज्यपालों को उनके कार्यों के बारे में निश्चित हिदायतें देने की आवश्यकता है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस सुझाव पर विचार करेगी। और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखे हैं ।

(ख) और (ग). केन्द्र राज्य सम्बन्ध विषयक अपने प्रतिवेदन में प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की है कि उस तरीके के बारे में, जिसमें राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए, मार्गदर्शक अनुदेश उस अन्तर्राज्य परिषद द्वारा तैयार किये जाने चाहिये जिसकी संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत स्थापना किये जाने की सिफारिश की गई है । सरकार द्वारा आयोग के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

Missing Boy Traced in Hanuman Temple of Delhi

1916. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on 3rd September, 1969 an eleven year old boy named Shravan Kumar of Karol Bagh who had been missing for the previous 15 days was traced in the Hanuman Temple of Delhi ;

(b) whether the priest of the said temple has also been arrested in this connection ;

(c) the total number of arrests made so far in this connection ; and

(d) the action taken so far by police authorities in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) On 2-9-1969, a boy named Shri Roshan Lal S/o Shri Sarvan Kumar, aged eleven years was traced in Hanuman Temple of New Delhi. The boy was reported missing for a month by his father earlier.

(b) No, Sir.

(c) and (d). A case u/s 363 I. P. C. is being investigated by the Police. Two persons have been arrested so far in this connection.

Expenditure on Training in Hindi Type-writing and Shorthand to Cental Government Employees

1917. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure being incurred on the Hindi type-writing and shorthand training being imparted by the Government to the Central Government employees ; and

(b) whether the services of all such employees who have received this training and have passed the examination, are being utilised for that work ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The expenditure incurred on the Hindi Teaching Scheme as a whole is given in the enclosed statement. Separate figures of expenditure incurred on training in Hindi type-writing and shorthand are not being maintained.

(b) The Scheme for training of Central Government Employees in Hindi Type-writing and Shorthand is primarily a preparatory measure for switch over to use of Hindi for official purposes of the Union. This trained staff is being gradually utilized to a great extent as the quantum of work done in Hindi increases.

STATEMENT

Year-wise expenditure booked under the Head 'Hindi Teaching Scheme to the Central Government Employees' :

Year	Amount (Rs. in Lakhs)
1955-56	—
1956-57	1,44,360
1957-58	6,82.579
1958-59	8,98,885
1959-60	9,73,146
1960-61	11,44,776
1961-62	13,07,885

Year		Amount
1962-63		17,40,577
1963-64		17,70,321
1964-65		20,40,912
1965-66		22,93,256
1966-67		22,14 200
1967-68		22,64,500
1968-69		26,19,600
1969-70	(B. E.)	26,75,00

Hindi Stenography Examination

1918. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Central Government Employees who have passed Hindi Stenography examination of the Central Training School so far ;

(b) the number of trained employees, whose services are being utilised as Stenographers (Hindi) by their respective Ministries and the numbers of employees still to be utilised as Stenographers (Hindi) ;

(c) whether his Ministry is considering over a scheme to appoint such employees to suitable posts ; and

(d) if not, the justification of incurring expenditure on such type of training by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There were 42 L.D.Cs in March, 1969 who successfully completed the Hindi shorthand course from the Secretariat Training School.

(b) to (d). The training in Hindi stenography is imparted to ensure progressive use of Hindi for the various official purposes of the Union. It is, not the intention of such training that after passing the prescribed examination these persons will be appointed as Hindi stenographers necessarily.

Spread of Education amongst Backward Classes of Society

1919. **Shri Ram Avtar Shastri :**
Shri Molahu Prashad :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government lay special emphasis on the spread of education among the backward classes of the society ; and

(b) if so, the details of Government's educational policy adopted during the last 5 years in regard to promotion of education among the said classes ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Government is striving to promote education among the backward classes of society through provision of facilities for free education, grant of scholarships, free supply of books and teaching and learning materials and provision of hostels.

रामगढ़ के राजा के विरुद्ध मामलों में मध्यस्थ निर्णय

1920. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगढ़ के राजा श्री के० एन० सिंह ने केन्द्रीय सरकार को इस अनुरोध के साथ एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके विरुद्ध मामलों को मध्यस्थ निर्णय के माध्यम से निपटाया जाये : और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री संत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली परिवहन की बसों द्वारा यात्री यातायात की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होना

1921. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन, दिल्ली में यात्री यातायात की आवश्यकता पूरा करने में असमर्थ है और बस लेने के लिए यात्रियों को कई घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों और यात्रियों, विशेष रूप से विद्यार्थियों के बीच बारबार होने वाले झगड़ों का यह एक मुख्य कारण है ; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं । दिल्ली परिवहन उपक्रम के अनुसार व्यस्ततम समय में प्रतीक्षा अवधि साधारणतः 20 मिनट से अधिक नहीं होती है । प्रतिरक्षा अवधि को कम कर 15 मिनट करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

Pakistani Nationals in Mandsaur (Madhya Pradesh)

1922. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2428 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the dates on which the 23 Pakistani nationals who are at present living stealthily in Mandsaur district of Madhya Pradesh, got themselves registered ;

(b) the number of times they got the periods of their visas extended prior to their going underground ;

(c) the periods for which their visas were extended each time in each case, separately ; and

(d) the names of there Pakistani nationals and the action proposed to be taken by Government to oust them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pending Cases in High Courts

1923. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri J. Sundar Lal :**
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of cases pending in each High Court at present ;

(b) the number of such cases which are pending for more than five years ;

(c) the number of such cases which are pending for more than 10 years and no judgement has been delivered ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to expedite the pending cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a)	Gujarat High Court	15,527 as on 1-11-1969.
	Orissa High Court	8,054 as on 1-11-1969.
(b)	Gujarat High Court	2,489
	Orissa High Court	169
(c)	Gujarat High Court	Nil
	Orissa High Court	3

Information in respect of other High Courts in regard to parts (a), (b) and (c) of the question is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) State authorities have been advised to take the following measures :

(i) the judge-strength in each High Court should be increased to the extent necessary, taking into consideration the institutions and disposals and the arrears to be cleared ;

(ii) the vacancies in the High Courts should be filled without delay ; and

(iii) whenever a serving Judge is diverted to other duties and he is not likely to come back to the High Court within six months, an Additional Judge or *Ad hoc* Judge should be appointed in his place so that the work in the High Court does not suffer.

A Committee of three Judges with the Chief Justice of India as Chairman has been constituted to go into the question of arrears in the High Courts and to suggest further remedial measures.

दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिक

1924. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार ऐसे कितनी पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं, जो वैध पारपत्रों पर दिल्ली आये हैं, अपना पंजीकरण करवाया और अब यहां पर ठहरने की निश्चित अवधि के पूरा होने के पश्चात दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में रह रहे हैं ; और

(ख) उन्हें निष्काषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Pakistani Citizens in Gujarat

1925. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the nnmber of Pakistani citizens residing in the various districts of Gujarat State according to the information collected by Government, who had come to various districts of the above mentioned State on valid passports and who are still residing there stealthily though the period of their stay has expired ; and

(b) the action taken by the Centrai Government and the State Government to deport them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मैसूर राज्य में पुरातत्वीय सर्कल

1926. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के पुरातत्वीय विभाग के अन्तर्गत मैसूर राज्य के लिए एक पुरातत्वीय सर्कल बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

Scheme for Removal of Social Evils

1927. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri P. M. Sayeed :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a scheme so as to enable our students to take interest in the economic and social progress of the country *i.e.* in the removal of social evils as casteism, provincialism, untouchability, communalism etc. ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the educationists and the representatives of the students institutions have also been consulted in drawing up the said scheme ; and

(d) if so, what manner and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V K. R. V. Rao) : (a) to (d). The Government of India have either been directly implementing certain schemes or have been encouraging various organisations to implement specific projects to enable our students to take interest in the removal of social evils such as casteism, provincialism, untouchability and communalism. The main programmes in this direction are :

(a) The National Integration Sub-Committee of the National Committee for Gandhi Centenary have helped the establishment of a number of National Integration Samitis at University level consisting of teachers and students to take effective measures to curb regionalism and communalism in the University life. At present 36 such samitis are set up. These samitis consider and draw up their own programme of action for implementation.

(b) A National Board of School Text-books has been set up. This Board in co-operation with the Boards at the State level would continuously review text-books in order to ensure that such books become a powerful instrument of building up the right attitudes which can promote national integration, a feeling of national identify, a sense of secularism, a bias towards modernity and rationality and a feeling of social awareness.

(c) The National Council of Educational Research and Training have brought out after holding a series of regional seminars, a Handbook for Teachers at the school level which, among others, provides guideline as to how to secure removal of casteism, provincialism, etc. among the teachers and students.

(d) A Committee of educationists and student leaders has been set up in order to advise the Government on the remedial steps to be taken for removal of casteism, provincialism and linguism from the academic life.

(e) The Government in co-operarion with the National Council of Educational Research and Training have held four Inter-State student-teacher camps to bring about understanding between different regional and linguistic groups. They propose to hold few more camps during the year. Government in co-operation with the Central Schools Organisation are also implementing a scheme under which Central Schools are adopting a State School situated in a different region and have been inviting a number of students from that school to come and live as guests of the Central Schools for a period of fortnight. The scheme is designed to promote pen-friendship, regional understanding and to learn each other's customs, songs etc. Four such visits have already been organised.

(f) As books and learning of different Indian languages has decisive role in the promotion of national integration, a number of steps have been initiated in this direction and important activities in this regard are :

(i) Funds have been made available to the National Book Trust to translate upto 10 outstanding popular books from each language of the 8th Schedule of the Constitution of India into every other Indian language so that the whole country will have one set of common books which they can read and which would give them knowledge of the cultures, social customs, usages and way of life prevalent in different regions of the country. The series of such books will be known as 'Aadan Pradan'.

(ii) The NBT are bringing out popularly priced books on the series 'National Biographies of important all-India figures'.

(iii) The NBT have further been entrusted with the production of core books in certain important disciplines at University level so that there would be some common books which would be available as reference literature to all students in India at University level.

(iv) The NBT have also been entrusted with the task of bringing out 100 books to serve as supplementary readers for all school children and this series will be called 'Nehru Library Books'. The subject matter of each book will be selected keeping in view the importance of promotion of national integration and removal of ignorance, superstitions and prejudices that are responsible for the divisive tendencies in the country.

(g) Government are proposing to establish four Regional Institute of Languages under which language teachers in Hindi areas could be given training to teach southern languages and languages other than Hindi to their students. Similarly, language teachers from non-Hindi States will also be trained to teach Hindi and other non-Regional languages to their students. The effort is to make as many citizens as possible multilingual, which in turn, will promote better understanding and thus promote national integration,

Special Facilities for Visiting Religious Places

1928. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri P. M. Sayeed :**
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether our cultural, traditional and religious places where people from every region in India assemble with love and faith, and exchange their views forgetting their differences, are very helpful in creating emotional integration in India ;

(b) if so, whether Government propose to provide special incentives to the people to visit these holy places ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Due to limited resources, Government is not at present in a position to take up schemes of this nature, although the general plans for tourist development do include several places of religious importance.

एयर इंडिया द्वारा बोइंग 747 विमानों का प्रयोग

1929. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोइंग 747 विमानों को अगले वर्ष के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर वाणिज्यिक उद्देश्यों से चलाया जायेगा ;

(ख) ऐसे कितने विमान नियमित रूप से भारतीय हवाई अड्डों से हो कर जायेंगी ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक बोइंग 747 विमान 362 अथवा 490 यात्रियों को ले जायेगा क्या उनके अवतरण, पारगमन, सीमा शुल्क तथा उनके लिए अन्य आवश्यक समुचित व्यवस्था हमारे अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कर दी गई है ; और

(घ) इसके अतिरिक्त यातायात के लिए हवाई अड्डों के निकट कितने ट्रांसिट होटल बनाएं जाएंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन (डा० कर्ण सिंह) : (क) बोइंग-747 विमानों को 1970 में किसी समय अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर परिचालित करने की आशा है ।

(ख) नवम्बर 1969 से मार्च, 1970 तक की अवधि के लिए भारत के लिए में से परिचालन करने वाली विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गयी नवीनतम अनुसूचियां भारतीय हवाई अड्डों पर बोइंग 747 विमान के परिचालनों को दृष्टि में नहीं रखतीं ।

(ग) सरकार सरलीकरण की समस्या के समाधान में लगी हुई जिसके दो पहलू हैं :

(i) विमान क्षेत्र टर्मीनलों पर अधिक सुविधाओं की व्यवस्था ; और

(ii) सीमा शुल्क, आप्रवासन तथा आरोग्य प्रणाली-पत्र जैसी सीमान्त औपचारिकताओं से संबंधित कागजी कार्यवाही का सरलीकरण ।

ऊपर (i) के सम्बन्ध में, श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक समिति ने हाल ही में मामले की जांच की और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनलों के आधुनिकीकरण तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं । ये सामान्यतया सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ।

जहां तक (ii) का सम्बन्ध है, सीमान्त औपचारिकताओं के विभिन्न नीति विषयक पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापक आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तथा बिना बिलम्ब किये कार्यान्वित किये जाते हैं, समय समय पर अपनी बैठकें करती रही हैं ।

(घ) एयर इण्डिया बम्बई हवाई अड्डे पर एक ट्रांजिट होटल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । भारत पर्यटन विकास निगम की भी कलकत्ता हवाई अड्डे पर एक ट्रांजिट होटल बनाने की योजतायें हैं ।

एयर इंडिया को बोइंग 747 वायुयानों का दिया जाना

1930. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री नन्द कुमार सोमानी : **श्री बेणीशंकर शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग 747 वायुयान एयर इंडिया को अब तक दिये जाने की सम्भावना है ;

(ख) कितने वायुयानों के लिए आर्डर दिया गया है तथा कब कब दिये जायेंगे ;

(ग) इन वायुयानों को किन मार्गों पर चलाया जायेगा ; और

(घ) इन वायुयानों के चलाये जाने के बाद एयर इंडिया कौन-कौन से नये मार्गों पर विमान सेवाएं आरम्भ करेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर इंडिया ने तीन बोइंग 747 विमानों को खरीदने के आर्डर दिये हैं, जिनमें से दो के मार्च-अप्रैल 1971 में और तीसरे के मार्च 1972 में प्राप्त होने की आशा है।

(ग) इन विमानों को भारत यू० के-यू० एस० ए० मार्ग पर उपयोग में लाये जाने का प्रस्ताव है।

(घ) बोइंग 747 किमानों के प्राप्त हो जाने पर बोइंग 707 विमान बेड़े में कुछ अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो जायगी। इसका एयर इंडिया की सेवाओं का पूर्वी अफ्रीका से पश्चिमी अफ्रीका तक विस्तार करने के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के नये विभागों को कर्मचारी देना

1931. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण की राष्ट्रीय परिषद्) के पुनर्गठन के बाद उसके नये विभागों युनिट को कर्मचारी देने में किसी मानदण्ड का अनुसरण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). संयुक्त निदेशक ने नये विभागों में उपलब्ध कर्मचारी देकर अस्थायी प्रबन्ध किए गये थे। परिषद् की शासी निकाय द्वारा इस मामले का पुनरीक्षण किया जाएगा।

पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग का नाम बदल कर पाठ्य पुस्तक विभाग रखना

1932. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के भूतपूर्व पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग के मूल्यांकन एकक का नाम दो एक छोटे परिवर्तन करके पाठ्य पुस्तक विभाग रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने का औचित्य क्या था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) जी नहीं। पाठ्य पुस्तक विभाग के कार्य भूतपूर्व पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन विभाग की मूल्यांकन एकक के कार्यों

से भिन्न हैं। इस यूनिट ने परीक्षा सुधार संबन्धी कार्य किया था। नये पाठ्य-पुस्तक विभाग पर निम्नलिखित कार्य का कार्यभार होगा :

(1) पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन और उनकी कोटि में सुधार करने के लिए राज्यों को सलाह देना।

(2) पाठ्य-पुस्तकों के लेखकों, कलाकारों आदि का प्रशिक्षण।

(3) आदर्श पाठ्य-पुस्तकों तथा तत्सम्बन्धी सामग्री का निर्माण।

(4) पाठ्य पुस्तकों के निर्माण मुद्रण तथा निर्माण के मामलों में समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करना।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्यांकन विभाग के समाप्त किए जाने के पश्चात मूल्यांकन कार्यक्रमों को जारी रखना

1933. श्री पी० एन्थनी रेड्डी :
श्री ई० के० नायनार ;

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग के समाप्त किये जाने के बाद भी मूल्यांकन कार्यक्रम चल रहे हैं और पाठ्य पुस्तक विभाग इन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के आर० वी० राव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। परीक्षा सुधार कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जाने की व्यवस्था है। कार्यक्रम को विस्तृत ढंग से विकसित करने और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के अन्दर और उसके बाहर, इस क्षेत्र में कार्य को समन्वित करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। इसी बीच क्रम बनाए रखने के लिए, पाठ्यपुस्तक विभाग में नियुक्त मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा, बहुत से राज्यों और संघ क्षेत्रों में पहले से ही चल रहे कार्यक्रमों की जांच पड़ताल की जा रही है।

Grants to Tamil Nadu and U. P. for Primary and Higher Secondary Education

1934. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the amounts of grants and other aid provided by the Education Ministry, Planning Commission and Central Government to Tamil Nadu and U. P. separately, for Primary, Secondary and Higher Secondary Education respectively during the years 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the amount of aid and grant likely to be provided to each of the aforesaid States during the year 1969-70 ;

(c) whether Government propose to provide annual grant and other aid on this account to aforesaid two States on per student basis ; and

(d) if not, the reasons for making discrimination between Tamil Nadu and U. P. ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The requisite information is given below :

		1967-68			1968-69		
	Name of State	State Plan Schemes	Centrally sponsored scheme	Total	State Plan Schemes	Centrally sponsored schemes	Total
			(Rupees in Lakhs)				
1.	Tamil Nadu	253.95	3.99	257.94	232.02	1.68	233.70
2.	U. P.	219.00	5.36	224.36	248.00	2.05	250.05

The assistance is provided on an over-all basic, and, not sector-wise.

(b) The amount of assistance to be provided during 1969-70 is not yet known.

(c) and (d). The amount of assistance is determined taking into account relevant factors, such as the size of the State Plan and the outlay proposed for education in that Plan. Assistance based on the basis of students already in school will adversely affect backward States.

Air-India Earnings

1935. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the earnings of Air-India during 1967-68 and 1968-69 separately ;

(b) the earnings out of the said amount separately from the tours undertaken by the Ministers of officers and the Central Government and the State Governments ;

(c) the amount paid as salaries and allowances and bonus to the employees and officers and the amount spent on the maintenance of the planes of the Air India during the said period ; and

(d) the cost of the free flights allowed during the said period and the names of the persons to whom the said flights were allowed and the dates when allowed ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The revenue earned by Air-India during 1967-68 and 1968-69 was Rs. 5.59 crores and Rs. 6.03 crores respectively.

(b) No separate records of such revenues are being maintained.

(c) The information is given below :

	1967-68	1968-69
	(Rs. in lakhs)	
(i) Pay, allowances and bonus plus ex-gratia payment to the employees and officers.	1,082.38	1,195.73
(ii) Expenses on maintenance of aircraft.	198.44	271.20

(d) Air-India grant free or rebated passages to their employees as laid down under the Air-India Employees' Passage Regulations, 1960. They also grant free or rebated passages under the IATA Regulations to employees of other airlines, and certain other authorised categories of persons such as those participating in inaugural flights. As the number of passages so granted is large and such passages are granted by the various offices of Air-India, the information is not readily available.

Reconstitution of Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology

1936. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry have under consideration any proposals regarding the reconstitution of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology ;

(b) if so, the broad outlines in this regard and the date from which this reconstitution is likely to take effect ;

(c) the number of posts of various categories of staff likely to be created in the newly constituted organisation ; and

(d) the manner in which the surplus staff would be utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The matter is under consideration.

(d) Question does not arise.

हिन्दी आशुलिपि परीक्षा

1937. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा भी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें इन सभी कर्मचारियों को बैठने की अनुमति दी जायेगी जो पहले ही केन्द्रीय प्रशिक्षण स्कूल की हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास कर चुके हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 28 जून, 1969 को हुई अपनी छठी बैठक में हिन्दी सलाहकार समिति ने सिफारिश की कि जिस प्रकार अंग्रेजी आशुलिपिकों की भरती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षाएं ली जाती हैं उसी प्रकार हिन्दी आशुलिपिकों के लिये भी प्रतिवर्ष परीक्षाएं ली जानी चाहिएं। सिफारिश विचाराधीन है।

Hindi Training to Central Government Employees

1938. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5282 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the time by which Hindi would be taught to all those Central Government employees who were below 45 years of age on the 1st January, 1961 :

(b) the time by which all the 2,10,000 employees trained in Hindi would be asked to work in Hindi so as to make Hindi the Official Language and English the associate language in real sense of the term ;

(c) when replies to communications received from the Hindi-speaking states and Maharashtra, Gujarat and Punjab and the public would be sent direct in Hindi without translation by the employees and officials of the Ministry ; and

(d) the sections in which work in Hindi has been started directly ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affair (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Efforts have been intensified to teach Hindi every year to as large a number of employees as possible It is not possible at this stage to indicate as to by when all the remaining employees would learn Hindi.

(b) The Official Languages Act 1963, as amended, has ushered in a prolonged phase of boilingualism in the Union Administration. Thus there is no restriction on the use of either Hindi or English and all Central Government employees are free to use either Hindi or English for transacting the Official work. However, all the Ministries/Departments have been requested to encourage their Hindi knowing staff to begin using Hindi for writing notes and drafts.

(c) Some letters are being drafted in Hindi already. As the Hindi knowing employees gain further experience, the number of such letters is likely to increase.

(d) Hindi is being used for some noting and drafting in 183 sections of the Secretariat Departments and Ministries.

Underground Pakistan Nationals in Madhya Pradesh

1939. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 2828 on the 8th August, 1969 and state :

(a) the number of Pakistani nationals in the various districts of Madhya Pradesh, who have gone under ground for a period of more than five years : and

(b) the number of such Pakistani nationals, out of those, as have since been deported to Pakistan ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Correspondence with Hindi-Speaking States

1940. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of offices of his Ministry and of the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra alongwith the names of the places where they are situated ;

(b) the number out of them in which the entire work is carried on in Hindi and the time by which Government propose to start and carry on the entire work in Hindi in the remaining offices ;

(c) the time by which his Ministry propose to start entire correspondence with these offices in Hindi ;

(d) whether Government propose to appoint one Hindi Typist and one Translator in each of the offices of his Ministry and those of the autonomous bodies under his Ministry.

in Hindi speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra so that the work could be started in Hindi ; and

(e) if so, the time by which it would be done ; if not, the manner in which Hindi work is likely to be disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 22. A statement is annexed.

(b) The Official Languages Act, 1963, as amended, provides for the use of Hindi and the English language for various official purposes and the employees are free to use either language for noting and drafting.

(c) It is not possible at this stage to indicate precisely as to by when entire correspondence with these offices will be carried on in Hindi. Therefore, the question of carrying out the entire work in Hindi alone in any office does not arise.

(d) Each office has to assess its own requirement keeping in view the quantum of work as also its organisational set up and appoint the required staff for translation and typing.

(e) Does not arise.

STATEMENT

1. Director, Intelligence Bureau, North Block, New Delhi.
2. Director, National Academy of Administration, Charleville Estate, Mussorie (U. P.).
3. Office of the Registrar General of India, Kotah House Annexe, 2/A, Man Singh Road, New Delhi.
4. Inspector General, Special Police Establishment, R. K. Puram, New Delhi.
5. Director, Secretariat Training School, R. K. Puram, New Delhi.
6. Director, Coordination (Police Wireless), Rail Bhavan, New Delhi.
7. Director, National Police Academy, Mount Abu (Rajasthan).
8. Commandant, National Fire Service College, Nagpur.
9. Inspector General, Central Reserve Police, R. K. Puram, New Delhi.
10. Director, National Civil Defence College, Nagpur-1.
11. Office of the Special Inspector General, Indo-Tibetan Border Police, V. Block, (East), R. K. Puram, New Delhi-22.
12. Mobile Civil Emergency Force, Seminar Pavilion ; Exhibition Grounds, New Delhi-1.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. Commissioner, Linguistic Minorities, 40-Hamilton Road, Allahabad-2.
15. Directorate General, Border Security Force, New Delhi,
16. Directorate, DHANICS, Vikas Bhavan, New Delhi.
17. Communal Disturbances Enquiry Commission, Reserve Bank, Building, New Delhi.
18. Central Bureau of Investigation, Faridkot House, New Delhi.
19. Inspector General, Central Industrial Security Force, 183 Jor Bagh, New Delhi.
20. Regional Office (North), Hindi Teaching Scheme, Jamnagar House, New Delhi.

21. Regional Office (West), Hindi Teaching Scheme, Manackgi Wadia Building, Bombay.

22. Union Public Service Commission, New Delhi.

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग

1941, श्री **नारायण स्वरूप शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी भाषी राज्यों तथा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में उनके मन्त्रालय में तथा उनके मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के कितने कार्यालय हैं तथा किन-किन स्थानों पर हैं ;

(ख) उनमें कितने कार्यालयों में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में किया जाता है तथा सरकार का विचार शेष कार्यालयो में संपूर्ण कार्य हिन्दी में कब तक कराने का है ;

(ग) उनके मंत्रालय का विचार इन कार्यालयों के साथ सम्पूर्ण पत्र व्यवहार हिन्दी में कब तक आरम्भ करने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार, हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों तथा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में उनके मंत्रालय के प्रत्येक संचालक तथा उनके मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के कार्यालयों में हिन्दी टाइपिस्ट और अनुवादक नियुक्त करने का है ताकि वहां हिन्दी में कार्य आरम्भ हो सके ;

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक हो जायेगा ; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का विचार हिन्दी कार्य किस प्रकार करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). इस मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे कोई कार्यालय नहीं हैं जिन में फिलहाल सारा काम हिन्दी में किया जा रहा हो। यह बताना संभव नहीं है कि कब तक सारा काम हिन्दी में किया जाने लगेगा । तथापि, अधिकांश कार्यालयों में गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग प्रचलित किया जा रहा है ।

(घ) से (च). जिन कार्यालयों में हिन्दी का कार्य करने के लिए हिन्दी अनुवादकों और टाइपिस्टों की आवश्यकता हुई है वहां उनकी भर्ती की गई है । जैसे जैसे हिन्दी कार्य का जोर बढ़ता जायेगा, और पदों का निर्माण होता रहेगा । जिन कार्यालयों में अलग से हिन्दी अनुवादकों और टाइपिस्टों की नियुक्ति नहीं की गई है उनमें हिन्दी का काम मौजूदा हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की सहायता से किया जा रहा है ।

विवरण

क्रम संख्या	संगठन का नाम	हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों तथा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित कार्यालयों की संख्या
1.	नागर विमानन विभाग	101
2.	भारत मौसम विज्ञान विभाग	9
3.	पर्यटन विभाग	7
4.	रेल सुरक्षा आयोग	3
5.	एयर इण्डिया	16
6.	इंडियन एयरलाइन्स	34
7.	भारत पर्यटन विकास निगम	20
8.	अशोक होटल्स लिमिटेड	1
9.	जनपथ होटल लिमिटेड	3

Use of Hindi in Offices and Autonomous Bodies under Ministry of Shipping and Transport

1942. **Shri Narain Swarup Sharma :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of offices of his Ministry and of the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra alongwith the names of the places where they are situated ;

(b) the number out of them in which the entire work is carried on in Hindi and the time by which Government propose to start and carry on the entire work in Hindi in the remaining offices ;

(c) the time by which his Ministry propose to start entire correspondence with these offices in Hindi ;

(d) whether Government propose to appoint one Hindi typist and one Translator in each of the offices of his Ministry and those of the autonomous bodies under his Ministry in Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra so that the work could be started in Hindi ;

(e) if so, the time by which it would be done ; and

(f) if not, the manner in which Hindi work is likely to be disposed of ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) A statement giving the required information is attached.

(b) to (f). The work dealt with in these offices and autonomous bodies is of technical and scientific nature. It is, therefore, not administratively feasible to switch over to Hindi

or carry correspondence with them in Hindi at this stage. At present the volume of Hindi work in these offices does not justify the appointment of Hindi Typists and Translators. Hindi work is carried on by other staff knowing Hindi and trained in Hindi.

STATEMENT

Offices

1. Deptt. of Lighthouses and Lightships, New Delhi.
2. Inland Water Transport Directorate, New Delhi.
3. Inter-State Transport Commission, New Delhi.
4. Andaman Laccadives Harbour Works, New Delhi.
5. Directorate General of Shipping, Bombay.
6. Seamen's Provident Fund Organisation, Bombay.
7. Office of the Minor Port Dredging and Survey Organisation, Bombay.
8. Office of the Government Director on Board of Directors of Indian Shipping Companies, Bombay.
9. Office of the Superintending Engineer, Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing), Bombay.
10. Office of the Superintending Engineer, Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing), Lucknow.
11. Office of the Superintending Engineer, Ministry of Shipping and Transpor (Roads Wing), Jodhpur.
12. Office of the Superintending Engineer, Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing), Patna.
13. Regional Office, I. W. T. Directorate, Patna.

Autonomous Bodies

1. Bombay Port Trust, Bombay.
2. Kandla Port Trust, Gandhidham.

सहायकों को अनुभागाधिकारी के पदों पर पदोन्नति

1943. **श्री राम चरण** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों के ग्रेड को विकेन्द्रित करने के बाद, गृह मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों द्वारा प्रशासित मंत्रालयों तथा संलग्न कार्यालयों में कार्य कर रहे सहायकों को अनुभागाधिकारी पदों पर पदोन्नत किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में अस्थायी रूप से अनुभागाधिकारी पदों पर कार्य कर रहे सहायकों की सामूहिक वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या क्या है ;

(ग) निर्माण तथा आवास विभाग में अस्थायी रूप से अनुभागाधिकारी के पद पर कार्य कर रहे सहायक की सहायकों की सामूहिक सिविल सूची में अन्तिम क्रम संख्या क्या है ;

(घ) यदि कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति कर दी गई है तथा वरिष्ठ सहायकों को अभी तक कोई अवसर नहीं दिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस भेद भाव को दूर करने के लिये कोई उपाय कर रही है, यदि हां, तो इस बारे में क्या आदेश जारी किये गये हैं अथवा जारी किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). 1-10-1962 को सहायकों की सिविल सूची में उन सहायकों की अन्तिम क्रमांक संख्याएं जो सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा निर्माण और आवास विभाग में दीर्घकालीन आधार पर स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्रमश 1441 और 804 हैं ।

(घ) और (ङ). विकेन्द्रित ढांचे में पदोन्नतियों में असमानता अनिवार्य है । केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया गया है कि गृह मन्त्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली वरिष्ठता की कुछ सीमा के भीतर ही पदोन्नतियां की जायें ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की रियायतें

1944. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-12-67 एस्टेब्लिशमेंट दिनांक 12-7-68 के अनुसार अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को क्या रियायतें दी गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन रियायतों से अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिये कोई आरक्षण नहीं दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो सचिवालय में ऊंचे रिक्त आरक्षित पदों को कैसे भरा जाएगा ; और

(घ) क्या सरकार इस बारे में कोई रियायत दे रही है ; और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-12-67 स्थापना (ग), दिनांक 11 जुलाई, 1968 (12 जुलाई, 1968 नहीं) की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी० 2148/69]

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) अनुमानतः इसका सम्बन्ध सचिवालय में उप सचिव के तथा उससे ऊंचे दर्जों के प्रशासनिक पदों से है । ऐसे पदों में कोई आरक्षण नहीं है, जो सामान्यतः विभिन्न सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा, भारतीय रेलवे सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, इत्यादि) से लिये गये अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं । चयन के क्षेत्र में अधिकारियों की योग्यता/उपयुक्तता तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रवरण किये जाते हैं ।

(घ) जहां तक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से सम्बन्धित नियमों अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता

के क्रम में पदोन्नति के लिए उनकी बारी मिलती है और यदि अयोग्य न हो तो उन्हें पदोन्नत कर दिया जाता है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में वर्तमान नियमों में किसी रियायत का कोई प्रश्न नहीं है।

सहायकों को अनुभाग-अधिकारी के पदों पर पदोन्नति तथा उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या

1945. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों तथा विनियमनों द्वारा प्रशासित मंत्रालयों तथा संलग्न कार्यालयों में कार्य कर रहे अनुभाग अधिकारियों की क्या संख्या है ;

(ख) उनमें कितने व्यक्तियों को पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की गई है ;

(ग) अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों व सम्प्रदायों से सम्बन्धित ऐसे कितने स्थायी सहायक हैं जो सात वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं ; और

(घ)वर्ष 1956 से कितने स्थायी सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की गई है, और केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों के पदोन्नति किये गये अनुभाग अधिकारियों की कुल संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली की भूतपूर्व सेन्ट्रल जेल में हार्डिंग बम कांड के शहीदों का स्मारक

1946. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने वर्ष 1958 में लाल किले, दिल्ली के समीप हुये भारतीय क्रान्तिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता करते समय अपने सार्वजनिक भाषण में कहा था कि सेन्ट्रल जेल का क्षेत्र, जहां हार्डिंग बम के मामले से सम्बन्धित शहीदों को फांसी दी गई थी, को एक स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस वायदे को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार के पास हार्डिंग बम मामले के शहीदों के लिए एक स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). स्वर्गीय पं० गोविन्द बल्लभ पन्त द्वारा दिये गये विशिष्ट भाषण के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। तथापि, हार्डिंग बम के मामले से सम्बन्धित शहीदों के लिए एक स्मारक बनाने के प्रश्न पर 1959-60 में विचार किया गया था किन्तु 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में काम आये सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक स्मारक बनाने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए

इस प्रयोजन के लिए एक पृथक स्मारक न बनाने का निर्णय लिया गया । इस स्मारक को लाल किले के सामने बनाने का प्रस्ताव है । वर्तमान अनुमान यह है कि यह स्मारक अप्रैल, 1971 तक तैयार हो जायेगा ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायकों की भर्ती

1947. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संवर्ग में भरती के लिए वही व्यक्ति विज्ञापित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने वर्ष 1968 में आवेदन पत्र दिया था और इसके लिए कोई नए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रतिबन्ध के कारण बहुत से स्नातक, जो इस बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं इस पद के लिए अगली परीक्षा में निर्धारित आयु से अधिक हो जाएंगे और वे परीक्षा में बैठने से वंचित हो जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध के क्या कारण है और ऐसे प्रत्येक अर्ह अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण) : (क) से (ग). 20 जुलाई, 1968 को सहायक श्रेणी परीक्षा, 1969 अधिसूचित की गई थी और वह फरवरी, 1969 में होनी थी । बैठने के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु सीमाएं निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख 1-1-1969 है, अर्थात् परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी । यह परीक्षा, जो फरवरी, 1969 में होनी थी, 30 दिसम्बर, 1969 तक स्थगित करनी पड़ी । चूंकि यह परीक्षा 1969 के भीतर ही ली जा रही है, अतः आयु सीमा निर्धारण करने के लिये निर्णायक तिथि अपरिवर्तित रहती है और किसी प्रतिबन्ध का प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में अधिकारी प्रधान पद्धति

1948. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के वर्क्स डिवीजन में 'अधिकारी प्रधान पद्धति' के प्रयोगात्मक रूप में सफल संचलन में कठिनाइयां अनुभव की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्क्स डिवीजन में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किये गये अधिकारी प्रधान पद्धति के संचलन के पुनरीक्षण से मालूम हुआ कि अनुभव की गयी कठिनाईयां निम्नलिखित मुख्य कारणों से थीं :—

(i) आधारभूत कार्यकर्ताओं, अर्थात अवर सचिवों तथा अनुभाग अधिकारियों की संख्या कुछ अपर्याप्त थी ;

(ii) आधारभूत कार्यकर्ता (अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी) के स्थानान्तरण अथवा

छुट्टी पर अनुपस्थिति अस्थायी रुकावट पैदा करती थी जिसने कार्य की गति को कम कर दिया ।

आधारभूत कार्यकर्ताओं की संख्या अनुभाग अधिकारी के स्तर पर बढ़ा दी गयी और प्रत्येक आधारभूत कार्यकर्ता को आवश्यक निरन्तरता की व्यवस्था के लिये एक सहायक दिया गया ।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी भारत सरकार के शासनतन्त्र और उसकी कार्य-प्रणाली सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में, जिसकी एक प्रतिलिपि 13-11-1968 को सदन के पटल पर रखी गयी थी, अधिकारी प्रधान पद्धति पर विचार किया है । इस पद्धति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की टिप्पणियों और सिफारिशों की मन्त्रालयों/विभागों की रचनाओं, पद्धतियों और कार्यप्रणालियों के पुनर्गठन के बारे में उसकी अन्य सिफारिशों के साथ जांच की जा रही है । इस जांच में अधिकारी प्रधान पद्धति के संचलन में समय-समय पर अनुभव की गयी समस्त कठिनाईयां सम्मिलित होंगी ।

सरकारी कर्मचारीयों के वेतन मानों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1949. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने एक प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि मंत्रालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन मानों की संख्या 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा मन्त्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालय में समान पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन मानों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मन्त्रालय की उपरोक्त सिफारिश के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग के कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन के अध्याय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ख) यह प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

दिल्ली में कार चोर

1950. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1969 के पहले सप्ताह में दिल्ली में कार चुराने वाले एक गिरोह का पता लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कारें बरामद की गई और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए ; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कार-चोरी के मामलों के सिलसिले में सितम्बर 1969 के प्रथम सप्ताह में तीन व्यक्ति तीन गिरफ्तार किये गये। बताया जाता है कि ये तीन व्यक्ति कारों की चोरी के लिये उत्तरदायी हैं। एक कार बरामद की गयी और 2 पहले ही छोड़ी हुई पायी गई।

(ग) व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड की धारा 379/411 के अन्तर्गत मामले दर्ज किये गये हैं और जांच-पड़ताल की जा रही है।

पाकिस्तानी तथा चीनी जासूस

1951. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या गृह-कार्य मंत्री 1 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1889 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966, 1967 तथा 1968 में पंजाब, बिहार, त्रिपुरा, नेफा तथा राजस्थान में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी तथा चीनी जासूसों में से कितने जासूसों पर अभियोग चलाया गया तथा दण्ड दिया गया ;

(ख) उन में से कितने जासूसों को पाकिस्तान निष्कासित कर दिया गया ;

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर और आसाम की सरकारों से इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). जम्मू तथा कश्मीर और असम सरकारों से प्राप्त सूचना इस प्रकार है : —

राज्य	वर्ष	जासूसी के सन्देह में गिरफ्तार किये गये विदेशियों की संख्या	उन देशों का नाम जिनसे वे सम्बन्धित हैं
जम्मू तथा कश्मीर	पिछले तीन वर्षों के दौरान दिसम्बर, 1968 तक।	47	पाकिस्तान
		2	नेपाल
		3	तिब्बत
		1	चीन
असम	1965 से मार्च, 1969 के मध्य तक।	4	पाकिस्तान

जाली अमरीकी डालर

1953. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने हाल ही में कुछ व्यक्तियों को जाली अमरीकी डालर बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है ;

(ख) क्या पुलिस ने दो अमरीकी धर्म-प्रचारकों के मकानों की तलाशी ली थी ;

(ग) यदि हां, तो उस तलाशी का क्या परिणाम निकला है ;

(घ) क्या इस मामले में मथोडिस्ट गर्ल्स स्कूल, मुरादाबाद के उप-प्रधानाचार्य भी अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ङ) क्या उसके विरुद्ध कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अमरीकी डालरों की जालसाजी के लिए किसी भी व्यक्ति को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। किन्तु ऐसे अमरीकी डालरों, जिनके जाली होने का संदेह था, को अपने पास रखने और आदान-प्रदान करने समेत कुछ आरोपों पर कुछ महीने पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो की दिल्ली शाखा ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

(ख) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Communal Tension in Sendhwa in Madhya Pradesh

1954. **Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any enquiry into the Communal Tension prevailing in Sendhwa City in Khargaon District of Madhya Pradesh a few days ago ;

(b) the details of the information received by the Central Government from the State Government in this regard ;

(c) whether Government are aware that orders had been issued from the Nagpur Centre of Rashtriya Swayam Sewak Sangh to spread communal riots in Madhya Pradesh, particularly in Nimar region ;

(d) whether the Central Governmant have instructed the Madhya Pradesh Government to keep a close watch on Communalist leaders ; and

(e) if so, the reaction of the Madhya Pradesh Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to information received from the State Government on October 13, 1969 it is alleged that a student tried to outrage the modesty of a school girl. The students decided to observe hartal on October 14, 1969 and to take out a procession. to express their protest. Apprehending that this might lead to a breach of the peace, the authorities imposed a prohibitory order under section 144 Cr. P. C. The procession was, however, taken out and when the police attempted to disperse it they were assaulted. This was followed by cases of arson. In the incidents one person died due to a gunshot injury. To disperse unruly crowds and in self-defence the police had to fire five rounds and curfew was imposed. According to the report of the State Government, dated November 4, 1969, 90 persons had been arrested in connection with the various incidents and the loss of property was estimated to be Rupees three and a half lakhs. The report also mentioned that the situation was normal and that strict vigilance was being maintained.

(c) Facts are being ascertained from the State Government.

(d) and (e). Government have advised all State Governments to make adequate arrangements for the security of such public speeches and to take action under law in respect of such activities, which promote or tend to promote feelings of enmity or hatred,

ill-will or disharmony between different communities. The Government of Madhya Pradesh are understood to have issued instructions accordingly to all concerned.

Transfer of I. A. S. and I. P. S. Officers in Ahmedabad

1955. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of officers of I. A. S. and I. P S. stationed at Ahmedabad who were dismissed or transferred in connection with the recent Ahmedabad riots ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : No Officer of the I. A. S. or I. P. S. was dismissed or transferred in connection with the recent disturbances in Ahmedabad.

Ban on Communal Organisations

1956. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri Himatsingka :
Shri Indrajit Gupta :
Shri R. Barua :
Shri Yogendra Sharma :
Shri Ishaq Sambhali :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri N. R. Laskar :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the steps being taken by Government to ban Communal Organisations functioning in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : In view of the recent communal disturbances, Government are considering measures to deal with the activities of organisations which promote or attempt to promote on grounds of religion or race, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different such religious or racial groups.

Pitiable Condition of Delhi Municipal Corporation Schools

1958. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the condition of the school of Delhi Municipal Corporation is pitiable ;

(b) whether Government are also aware of the fact that the lady teachers are arbitrarily posted in schools at far off places from their residences and that the payment of the arrears of their pay and allowances is unnecessarily delayed and they are also harassed in many other ways ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to improve the working of the Education Department of Delhi Municipal Corporation ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir, the condition of the Schools under the Delhi Municipal Corporation is not pitiable.

(b) The Delhi Municipal Corporation authorities have not accepted these statements as correct.

(c) There is no particular proposal under consideration in this regard and it is expected that whatever improvements are needed will be undertaken by the Delhi Municipal Corporation authorities, subject to financial and physical limitations.

Fire in Jamia Millia, Delhi

1959. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Jageshwar Yadav :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Ishaq Sambhali :
Shri Yogendra Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that an attempt was made to set the building of Jamia Millia in Delhi on fire on the 21st October, 1969 ;

(b) if so, whether Police have completed the investigation in this matter : and

(c) if so, the findings thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). According to information received from the Delhi Administration, a fire broke out in a portion of the Jamia Millia on October 20, 1969. It was extinguished by the fire brigade. A case was registered by the police and is still under investigation.

Complaints Regarding Inadequate Arrangements for Comex Youth Festival

1960. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government received complaints to the effect that no proper arrangements were made for the Comex Youth Festival held in September, 1969 and even most essential facilities were not made available there ;

(b) if so, the action taken by Government on those complaints ; and

(c) the objectives of this Comex Youth Festival and how far they are achieved ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) There has been some adverse Press criticism about the inadequate arrangements made by the organisers. Apart from the Press report, no complaint from any source was sent to this Ministry.

(b) Does not arise.

(c) According to Comex U. K. the objectives of the Comex "meet" is "to take the idea of the Commonwealth live in the minds of young people." The Ministry has not received any report from the organisers indicating their achievement in this regard.

मुजफ्फरपुर के लिये हवाई सेवा की सुविधा

1961. **श्री वि० प्र० मंडल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुजफ्फरपुर के लिए हवाई सेवा को व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या बिहार राज्य के विशाल आकार को देखते हुए वह मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त पूर्णिया के लिये भी हवाई सेवा व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मुजफ्फरपुर को इंडियन एयरलाइन्स की किसी अनुसूचित सेवा अथवा किसी अननुसूचित परिचालक द्वारा जोड़ने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

(ग) फिलहाल पुर्णिया को विमान सेवा द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के सलाहकार

1962. **श्री बि० प्र० मण्डल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन अधिकारियों को बिहार के राज्यपाल के सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार में कुछ ऐसे आई०सी०एस० अधिकारी हैं जो इस समय नियुक्त किये गये सलाहकार से वरिष्ट हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों से उच्च स्थान देने के औचित्य क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सर्वश्री टी० पी० सिंह और पी० के० जे० मेनन।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) ऐसे पदों पर नियुक्तियां केवल ज्येष्ठता के आधार पर ही नहीं की जाती हैं।

पं० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के सम्बन्ध में जांच

1963. **श्री विभूति मिश्र** : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बारे में न्यायिक जांच करवाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु से सम्बन्धित सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के लिये बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जस्टिस वाई० व० चन्द्रचूड़ को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। आशा है कि आयोग अपनी जांच 30 अप्रैल, 1970 तक पूरी कर लेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा गांधी शताब्दी समारोह के लिये विमान किराये में रियायत

1964. **श्री विभूति मिश्र** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइस कारपोरेशन ने गांधी शताब्दी समारोह के

अवसर पर गांधीजी के कार्य कलापों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर जाने वाले व्यक्तियों को विमान के किराये में रियायत देने की घोषणा की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि पटना अथवा बनारस के रास्ते चम्परान, जहां गाँधाजी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आरम्भ किया था जाने वाले यात्रियों के लिये कोई रियायत नहीं दी गई; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां। कुछ चुने हुए स्थानों के बीच यात्रा के लिये रियायत दी गयी थी।

(ख) जी, हां।

(ग) महात्मा गांधी के कार्य एवं क्रियाकलाप समस्त देश भर में फैले हुए थे। रियायती किरायों के लिये केवल कुछ एक स्थान चुने गये थे।

Promotions in Education Department of Delhi Administration, Delhi in the Reserved Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

1965. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether promotions were made to the posts of Trained Graduate Teacher, Post-Graduate Teacher, Vice-Principal, Principal, Assistant Education Officer, Science Adviser, Science Consultant in the reserved quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Education Department of the Delhi Administration in accordance with Home Ministry's letter No. 1/12/67/Ests. (c) dated the 11th July, 1968 ;

(b) if so, the category-wise details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The requisite information is being collected and will be placed on the table of Sabha as soon as possible.

Conversion of Reserved Posts into General Posts

*1966. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 8/1/69-Estt. (SCT), dated the 28th January, 1969, the approval of the Ministry of Home Affairs is necessary for converting the reserved posts into general posts ;

(b) if so, the number of such cases sent to the ministry of Home Affairs by the Ministry for their approval in the year 1968-69 according to the provisions of the said office Memorandum and the details in regard thereto ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Reservation Quota of Scheduled Caste and Scheduled Tribes for Posts of Post-Graduate Teachers in Delhi Administration

1967. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that interviews were held for the posts of post-graduate teachers by the Hindi Directorate, Delhi Administration during the month of June/July, 1969 ;

(b) the names and addresses of the candidates appearing in interview for the posts of Post Graduate teachers sebject-wise ;

(c) the names of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates, subject-wise out of the total candidates, and the details of the marks obtained by them in the interviews ;

(d) whether the reservation quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the posts of Post-Graduate teachers has been completed subject-wise ; and

(e) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (e). The requisite information as being collected and will be placed on the table of the Sabha as soon as possible.

Teaching of Lessons from Religious Books

1968. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2776 on the 8th August, 1969 and state :

(a) whether it is proposed to assess to feeling of the students through lessons selected from religious books ;

(b) whether Government have any criteria or machinery to ascertain the influence of various text books ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). There is no such proposal under consideration. However, the national Council of Educational Research and Training will be requested to examine the feasibility of studying the influence of lessons from religious books. If found feasible, then a study will be undertaken.

दिल्ली में आने वाने पर्यटकों की शिकायतें

1969. **श्री रा० कृ० बिडला** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत वर्ष, महीना वार, कितने पर्यटक आये ;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि भिखारी सड़कों और बरामदों में पर्यटकों को परेशान करते हैं ;

(ग) क्या पर्यटकों ने होटलों में स्थान के बारे में शिकायत की है ;

(घ) क्या उन्होंने डी० एल० जैड० कारों के अधिक किरायों के विरुद्ध रोष प्रकट किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन ठिनाइयों और शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) (क) सूचना संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली में होटल आवास की कोई कमी नहीं है परन्तु कभी-कभी कुछ होटलों की सेवा के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दिल्ली के मुख्य पर्यटन केन्द्रों में शीघ्र ही विशेष पुलिस की व्यवस्था कर दी जायेगी। होटलों के विरुद्ध मिली शिकायतों को उचित उपचारी कार्यवाही के लिये संबंधित होटलों के प्रबंधक-वर्ग को भेज दिया गया।

विवरण

1968 में दिल्ली को अपना प्रथम पड़ाव बना कर उतरने वाले पर्यटकों की संख्या महीने-वार नीचे दी गयी है :—

मास	
जनवरी	5,129
फरवरी	4,565
मार्च	4,762
अप्रैल	4,572
मई	4,245
जून	4,246
जुलाई	5,090
अगस्त	4,763
सितम्बर	4,666
अक्तूबर	6,160
नवम्बर	6,046
दिसम्बर	5,833
योग	60,077

इसके अतिरिक्त, अन्य पर्यटक भी हैं जो दिल्ली से भिन्न हवाई अड्डों के मार्ग से भारत आये, और बाद में इस देश की यात्रा के दौरान दिल्ली आये। इनके आंकड़े नहीं रखे गये हैं। परन्तु, नमूने के तौर पर हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत आने वाले पर्यटकों में से 74.2% दिल्ली भी आते हैं।

बड़े नगरों में होटलों में ठहरने का स्थान

1970. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या पर्यटन तथ असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि बढ़ते हुए पर्यटक यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में होटलों में ठहरने के स्थान को दुगना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में होटलों में ठहरने का स्थान अलग-अलग कितना है ; और

(घ) इन नगरों में होटलों में ठहरने के स्थान का कितना-कितना उपयोग होता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इस समय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उपलब्ध आवास व्यवस्था निम्न प्रकार से है :—

दिल्ली	—	2350	कमरे
बम्बई	—	1174	,,
कलकत्ता	—	780	,,
मद्रास	—	841	,,

1973 तक इन नगरों में अनुमानित अतिरिक्त आवश्यकता इस प्रकार होगी :

दिल्ली	—	1326	कमरे
बम्बई	—	4352	,,
कलकत्ता	—	1310	,,
मद्रास	—	919	,,

इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से, सरकार ने अनेक इस प्रकार के प्रोत्साहनों की घोषणा की है, जैसे ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, कर और वित्तीय राहत, सरकारी भूमि को होटल निर्माण के लिये रियायती शर्तों पर बेचना और होटल उद्योग की आवश्यकताओं को सामान्यतया प्राथमिकता प्रदान करना। भारत पर्यटन विकास कारपोरेशन की, जोकि एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है, दमदम हवाई अड्डे, कलकता में एक 100 कमरे के होटल के निर्माण की योजना है, और एयर-इंडिया की बम्बई में सान्ताक्रूज और जूहू पर क्रमशः 100 और 300 कमरों के दो होटलों के निर्माण की योजना है। विदेशी सहयोग से बम्बई में तीन लग्जरी होटल कांम्प्लेक्सों की प्रायोजनाओं का सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

मैक्सिको ओलम्पिक में भारतीय हाकी टीम के खेल प्रदर्शन के सम्बन्ध में सरीन जांच समिति का प्रतिवेदन

1971. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष मैक्सिको ओलम्पिक में भाग लेने वाली हमारी हाकी टीम के खेल प्रदर्शन सम्बन्धी सरीन जांच समिति के प्रतिवेदन को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या उक्त सरीन समिति के प्रतिवेदन को भारतीय हाकी संघ द्वारा स्वीकार नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अखिल भारतीय खेल परिषद् ने रिपोर्ट में वर्णित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिनसे सरकार भी आमतौर पर सहमत है ।

(ख) और (ग). भारतीय हाकी संघ ने हाकी समिति की रिपोर्ट में दी गई बहुत सी प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

शिलांग में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1972. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **शिक्षा तथा युवक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वोक्त क्षेत्र के आदिम जातीय क्षेत्रों के लड़कों तथा लड़कियों के लाभ के लिये शिलांग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय को कब तक स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा सेवा युवक मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। फिलहाल, क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव विचारार्थ हाथ में ले लिया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

1973. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत से अधिकारियों ने सरकारी पदों पर वापिस जाने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के इस निर्णय से भारत सरकार के कार्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में पदोन्नतियां होंगी अथवा लोग फालतू हो जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार से इस समस्या को सुलझाने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 2500-3000 रुपये के तथा उससे ऊपर के वेतनमान में पद धारण करने वाले अधिकारियों के मामले में इच्छा व्यक्त करने की अन्तिम तारीख 28 फरवरी, 1972 है जबकि 2500-3000 रुपये से नीचे के पद धारण करने वाले अधिकारियों के मामले में यह 29 फरवरी, 1972 है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस समय काम करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं के बारे में किसी भी प्रशासनिक मन्त्रालय से अब तक कोई सूचना नहीं मिली है।

राज्यपालों का कार्य

1974. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यपालों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह राज्यपालों के कार्य की व्याख्या करने के लिये कार्यवाही करे ताकि राज्यपाल और सरकार में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखें।

(क) केन्द्र राज्य सम्बन्ध विषयक अपने प्रतिवेदन में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि उस तरीके के बारे में, जिसमें राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए, मार्ग दर्शक अनुदेश उस अन्तर्राज्य परिषद द्वारा तैयार किये जाने चाहिए जिसकी संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत स्थापना किये जाने की सिफारिश की गई है। सरकार द्वारा आयोग के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

एयर इंडिया के अधिकारी द्वारा हीरों की चोरी

1975. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :

श्री रवि राय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने एयर इण्डिया के एक उच्च अधिकारी को हीरे तस्करी के आरोप में बम्बई में सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या असैनिक उड्डयन विभाग की अपने कर्मचारियों पर निगरानी रखने और उन्हें ऐसी बातों से रोकने के लिये, कोई अपनी व्यवस्था है ;

(ग) एयर इंडिया के कितने अधिकारी गत दो वर्षों में तस्करी के अपराध में पकड़े गए हैं ; और

(घ) क्या ऐसे अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया में परिचालन के उप निदेशक को सीमा-शुल्क विभाग द्वारा 2 नवम्बर, 1969 को हीरों का व्यापार करने के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया ।

(ख) जी नहीं । सम्बन्धित अधिकारी एयर इण्डिया का एक कर्मचारी है ।

(ग) एयर इण्डिया का कथन है कि पिछले दो वर्षों अर्थात् 1968 और 1969 के दौरान उनके कर्मचारियों द्वारा तस्कर द्वारा भारत में सामान लाने अथवा लाने का प्रयत्न करने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है तथापि एयर इंडिया का एक विदेशी कर्मचारी अक्तूबर, 1969 में ऐसे ही एक मामले में किसी और देश में गिरफ्तार किया गया था ।

(घ) जी नहीं ।

बीजा प्रतिबन्धों का समाप्त किया जाना

1976. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
डा० रानेन सेन : **श्री रवि राय :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान तथा लंका दोनों ने पर्यटक बीजा प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार अधिकांश पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जो कि भारत आ गये होते अगर यहां वर्तमान प्रतिबन्ध न होते और वीजा सुविधायें प्राप्त करने में दीर्घ विलम्ब न होता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश यूरोपीय देशों तथा अनेक एशियाई देशों ने भी पर्यटक वीज़ा पद्धति को समाप्त कर दिया है और उन देशों में अधिक पर्यटकों के आगमन के कारण उन्हें लाभ हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पद्धति पर न चलने और लाभ न कमाने के क्या कारण हैं जो प्रायः अंतर्राष्ट्रीय बन चुकी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने कुछ विशेष देशों के राष्ट्रिकों के लिये पर्यटक वीज़ा प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया है । परन्तु, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वे इस प्रकार पर्यटकों के एक भाग को, जोकि अन्यथा भारत आता, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं । जहां तक हमारे वीज़ा प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, पर्यटक प्रार्थना पत्र देकर विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों से वीज़ा

प्राप्त कर सकते हैं जोकि भारत की तीन यात्राओं के लिये और तीन महीनों की अवधि तक ठहरने के लिये - जिसे बढ़ाकर छः महीने तक किया जा सकता है—मान्य होते हैं। हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि बिना वीज़ा भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को 21 दिन तक की अवधि के लिये लैंडिंग परमिट जारी किये जा सकते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने में वीज़ा प्रतिबन्धों में ढील की उपयोगिता को सरकार समझती है। इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित 21 दिन के लैंडिंग परमिट के बारे में किये गये निर्णय के अलावा, सरकार ने पश्चिम जर्मनी और नार्डिक देशों के साथ वीज़ा समाप्ति के सम्बन्ध में द्विपक्षीय करार किये हैं।

नक्सलवादियों की आंतक पूर्ण गतिविधियां

1977. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में नक्सलवादियों की आतंकपूर्ण गतिविधियाँ बढ़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के पास स्थिति पर काबू पाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन आतंकों को रोकने के लिये केन्द्र ने क्या विशेष कार्यदाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 25 जुलाई, 1969 से पूर्व के छः महीनों में उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में सूचना 25 जुलाई, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 875 के उत्तर में दे दी थी। तब से संघ राज्य क्षेत्रों और असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड, हरियाणा और राजस्थान के ध्यान में कोई ऐसी गतिविधियां नहीं आई हैं। उड़ीसा में उग्रवादियों ने दो हत्याएं की—एक 13 अगस्त, 1969 को रामनगुडा में और दूसरी 12 सितम्बर, 1969 को कोरापुट जिले के चेपरीगुडा में। आंध्र प्रदेश में उग्रवादियों की आतंकपूर्ण गतिविधियां कम नहीं हुई और पंजाब में गत तीन महीनों में उग्रवादियों की छुट-पुट गतिविधियां ध्यान में आई हैं। शेष राज्यों में सूचना प्रत्याक्षित है।

(ख) तथा (ग). उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियों से निपटने के लिये आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारें कानून के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही कर रही है। दूसरे राज्यों में इन गतिविधियों पर बड़ी निगरानी रखी जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस दल की सेवाएं उनकी सेवाएं मांगने वाले राज्यों को उपलब्ध की हैं।

स्वर्गीय दर्शन सिंह फेरुमान के परिवार के साथ एक राजनीतिक पीड़ित के परिवार जैसा व्यवहार करना

1978. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय श्री दर्शन सिंह फेरुमान के लिए, जब वह अनशन पर थे, कोई व्यवस्था की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके परिवार के साथ एक राजनीतिक पीड़ित के परिवार जैसा व्यवहार करने का है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) से (ङ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

मधुबनी (बिहार) में जीवाभा नदी पर एक पुल का निर्माण

1979. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मधुबनी उपमंडल में जीवाभा नदी पर कटाई-भखरौती घाट पर एक पुल के निर्माण के बारे में कार्यकारी अभियन्ता जिला बोर्ड, दरभंगा (बिहार) से आई एक प्राक्कलित योजना बहुत समय से पटना मुख्यालय में अन्तिम मंजूरी के लिए पड़ी हुई हैं किया गया है ; और अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पुल का निर्माण शीघ्र कराने में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध होगी सभापटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये स्कूल

1980. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में, राज्यवार, केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये गये कितने स्कूल हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में इनसे भिन्न स्कूलों की तुलना में अध्यापकों की सेवा निवृत्ति, छात्रों के शुल्क आदि के बारे में क्या नियम तथा विनियम हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) रक्षा मन्त्रालय तथा रेल मन्त्रालय आदि से सम्बन्धित स्कूलों के बारे में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। जहां तक शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय का सम्बन्ध है, इसके द्वारा सीधे ही कोई स्कूल नहीं चलाया जाता है। किन्तु, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रशासित 118 उच्च माध्यमिक स्कूल हैं। संगठन एक रजिस्टर्ड स्वायत्तशासी संस्था है और इसका सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में उठाया जाता है। विवरण (1) सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें देश के राज्य वार केन्द्रीय विद्यालयों की संस्था दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2150/69]

(ख) सभी राज्य सरकार के स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूल, प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति, छात्र शुल्क आदि से सम्बन्धित नियम तथा विनिमय एक जैसे नहीं हैं। जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों की बात है सम्बन्धित विवरण (II) सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें कुछ ब्यौरे दिये गये हैं।

चण्डीगढ़ में औद्योगिक प्लाट

1983. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में जिन लोगों को औद्योगिक प्लाट अलाट किये थे उनमें से अनेक ने वहां पर कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया है और उन प्लाटों को रियायशी आवासों में बदल लिया है ;

(ख) क्या यह ठेके की एक शर्त थी कि वे उन प्लाटों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेंगे ; और

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक प्लाटों के दुरुपयोग की जाँच करने के लिए कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इस आशय के आरोप मुख्य आयुक्त को भेजे गये हैं जिन्होंने इस विषय में जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसके सदस्य जिला औद्योगिक अधिकारी तथा एस० डी० ओ० (बिल्डिंग) हैं। इस समिति की रिपोर्ट की चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र के मण्डलन के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल के एक निश्चित प्रतिशत अर्थात 2.5 प्रतिशत को, मानचित्रों को अनुमोदित कराने के पश्चात् मुख्य आयुक्त की आज्ञा से रिहायशी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना

1984. **श्री श्रीचन्द गोयल** :

श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापकों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने, पंजाबी विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र से पंजाब के चार जिलों को लेकर अपने अधिकार क्षेत्रों का विस्तार किया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अमृतसर में गुरुनानक विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है, जिससे पंजाब विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार और भी कम हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन मार्च, 1968 में प्राप्त हुआ था । मई, 1968 में एक उत्तर यह बताते हुए भेजा गया था कि इस मामले में कार्रवाई करना उचित नहीं समझा गया था ।

(ख) पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला, के क्षेत्राधिकार को 30 जून, 1969 से पटियाला, संगरूर, भटिंडा तथा रोपड़ जिलों में स्थापित 19 कालेजों तक विस्तृत कर दिया गया है । ये कालेज पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते थे ।

(ग) जी हां । गुरुनानक विश्वविद्यालय अमृतसर विधेयक, 1969 को राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया है किन्तु विश्वविद्यालय का प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अभी निश्चित किया जाना है ।

Construction of Bridge Over River Ganga Near Patna

1985. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Mintster of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Bihar Legislative Council Inquiry Committee regarding the construction of a bridge over Ganga near Patna ;

(b) if so, whether Government have accepted the said report ;

(c) whether the Government of Bihar have asked for financial assistance for construction of this bridge ; and

(d) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes. Sir.

(b) The report is being examined by the State Government as it relates to a State Project.

(c) Yes, Sir.

(d) The Government of India have agreed to give to the State Government a non-Plan loan subject to a maximum of Rs. 4.5 crores to meet 50% expenditure on the proposed bridge during the Fourth Plan period. The balance, which has to be met by the State Government, will have to be accommodated by them within the overall State Plan.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में काम करने वाले अधिकारी

1986. **श्री ई० के० नायनार** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में काम करने वाले अधिकारियों, उनके पदनामों तथा वेतन मानों सहित, की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि क्षेत्र सलाहकार के पद को, जो कि 800- 1150 रुपये के वेतन क्रम में था, दो वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था, परन्तु अब इसे और ऊंचे वेतनमान अर्थात 900-1350 रुपये के वेतन क्रम में बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रन्थालय में रखा गया** । देखिये संख्या एल० टी० 2149/69]

(ख) और (ग) परिषद के पदों और वेतनमानों के परिष्कार करने की प्रक्रिया में क्षेत्र सलाहकार के पद को 700-1250 रुपये के वेतन मान में रीडर के पद में बदल दिया गया था । क्षेत्र सलाहकारों के पदाधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और मामले की जांच की जा रही है ।

चैन पुर बिहार में दंगे

1987. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से गत प्रथम अप्रेल, 969 के प्रकाशित होने वाले उर्दू दैनिक 'संगम' में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है, कि चैनपुर में हुए दंगों में तीन व्यक्ति मारे गये, अनेक घायल हुए और घरों को जलाया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि चैनपुर गाँव डाल्टन गंज टाउन के तीन मील की दूरी पर स्थित है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्री महोदय ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि उन स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध जिनके अधिकार क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, उचित तथा तुरन्त कार्यवाही की जाए ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थान के स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार ने उक्त समाचार देखा है । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 मार्च, 1969 को लगभग 7.30 बजे अपराह्न जिला रांची के गांव चैनपुर में एक व्यक्ति पर पांच अन्य व्यक्तियों द्वारा घातक प्रहार किया गया । इस घटना के पश्चात् आगजनी की कुछ घटनायें हुई जिनके परिणामस्वरूप लगभग 2000 रु० के मूल्य की सम्पत्ति को क्षति पहुँची । बाद में एक व्यक्ति अपने पिता के शव को ले जाता हुआ पाया गया । उसने पुलिस से कहा कि उसने स्वयं अपने पिता की हत्या की थी । पुलिस ने विभिन्न घटनाओं के सम्बन्ध में 6 मामले दर्ज किये और वह कानून के अनुसार उनकी जांच-पड़ताल कर रहीं है ।

(ख) चैनपुर गांव डाल्टनगंज से लगभग 4 मील की दूरी पर है ।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि साम्प्रदायिक मामलों के बारे में आसूचना रिपोर्टों की संवीक्षा करने के लिए और साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने अथवा

समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाय ।

(घ) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Attack on Harijan Colony

1988. **Shri Ram Avtar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang of money leaders and security watchmen led by a security officer had attacked Harijan Colony Bokaro (Bihar) on the 2nd August last, injuring five Harijans including some women ;

(b) whether some policemen had also assaulted labourers and Praja-Socialist workers on the 27th July, 1969 ;

(c) whether instead of taking action against the assailants, the Police has arrested eleven Harijans ; and

(d) if so, the action taken to punish the culprits ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Inquiries by the Government of Bihar did not confirm the occurence of any such incident.

(d) Does not arise.

पटना में अध्यापकों की गिरफतारी

1989. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1969 के प्रथम सप्ताह में पटना नगर निगम में कार्य करने वाले 300 से अधिक अध्यापकों को पटना में गिरफतार किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापिकाओं पर लाठी चार्ज किया गया था जिससे उनमें से बहुत सी अध्यापिकाएं घायल हो गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो लाठी चार्ज के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 4 अगस्त से 9 अगस्त, 1969 के बीच में पटना नगर में काम करने वाले 330 अध्यापक पटना में गिरफतार किये गये थे ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पटना डिवीजन के आयुक्त द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में सार्वजनिक सभाओं के भाषण नोट करना

1990. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, दिल्ली में आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक सभाओं में

दिए जाने वाले सार्वजनिक भाषणों को नोट करने के लिए विशेष सरकारी सम्वाददाताओं की नियुक्ति की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कांग्रेस दल तथा सरकार द्वारा आयोजित सभाओं में इस पद्धति का पालन नहीं किया जाता ;

(ग) यदि हां, तो कांग्रेस दल तथा सरकार की सभाओं तथा विपक्षी दलों की सभाओं के बारे में भेदभाव की नीति अपनाई जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी नीति त्यागने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) इस बात की जांच करने की दृष्टि से कि क्या कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अपेक्षित है, समस्त महत्व-पूर्ण सार्वजनिक सभाओं में दिये गये भाषणों को शब्दशः लिखने के लिए दिल्ली में व्यवस्था है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल चिराग दिल्ली के प्रधानाचार्य द्वारा छूआछूत के वर्ताव का आरोप

1991. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि दिल्ली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, चिराग दिल्ली के प्रधानाचार्य अपने स्कूल के अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के साथ छूआछूत का वर्ताव करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में एक समाचार 5 अक्तूबर, 1969 को एक हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका 'पैट्रियत" में पृष्ठ 12 पर प्रकाशित हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना, दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जाएगी ।

भगवान दास न्यास, नई दिल्ली के विरुद्ध आरोप

1992. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 जुलाई, 1969 को भगवान दास न्यास तथा आल इण्डिया आई रिलीफ सोसायटी, नई दिल्ली के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये थे और उक्त आरोपों की जांच करने के लिये वह मामला पुलिस अधीक्षक, अपराध तथा रेलवे, नई दिल्ली को सौंपा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप था कि आल इन्डिया ब्लाइंड रीलीफ सोसाइटी के कुछ भवन और अन्य सम्पत्ति भगवान दास न्यास को हस्तान्तरित कर दी गयी है। इस शिकायत की जांच साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा की गई और कोई प्रज्ञेय अपराध, जो किया गया हो, नहीं पाया गया।

Public, Convent and English Medium Schools

1993. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the sources from which the public schools or convent Schools or English medium schools in the country are meeting their expenses when Goverment do not give them any grants ;

(b) whether these schools get aid from foreign countries or the foreign Governments or whether they are directly/indirectly by the Cambridge University, England ;

(c) if so, whether it is not against the Constitution and Sovereignty of India ;

(d) if so, whether Government have to acquiesce in this respect as a compensation for the foreign aid ; and

(e) if not, whether Government propose to control the expenses of these schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakat Darshan) : (a) to (e). Necessary information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Anglo-Indian Students

1994. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Anglo-Indian and other students separately in 266 Anglo Indian schools ;

(b) the respective number of Anglo-Indian students whose mother tongue is English and the number of Anglo-Indian students whose mother tongue is any other Indian language ;

(c) whether Government propose to introduce an arrangement in these schools whereby students with English as mother tongue may receive education in English and the rest may receive education in the respective mother tongue ; and

(d) if not, whether it is proposed to impose extra burden on studenes whose mother tongue is English so that the imbalance in respect of education may be removed.

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). In the absence of a definition of the term 'Anglo-Indian schools' or information regarding names of the 266 schools under reference it has not been possible to collect the figures asked for in these parts of the Question.

(c) and (d). The medium of instruction in the schools located in a particular State or Union Territory is determined by the respective State Government, examining body to which a particular school is affiliated or by the managements of those schools. There is no proposal under consideration with the Government of India to lay down rules for the medium of instruction with reference to any particular type of schools in the country.

Education Code for Public Schools, Convent Schools Etc.

1995. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Headmasters of Public Schools, Convent schools and English medium schools have got unlimited powers and they can and do use the rod to set right the children in their schools ;

(b) if so, whether it is also a fact that no Education code or any other Central or State Legislation applies to them ;

(c) if so, whether it is also a fact that there are no service conditions for teachers working in these schools ; and

(d) whether Government propose to bring such schools under the Delhi Education Code and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The required information is not available.

(b) No Central Legislation is particularly applicable to the schools of the type mentioned in part (a) of the Question. As regards State Legislation, the information is not available.

(c) Precise information about service conditions of teachers employed in all Public Schools and Convent Schools is not available.

(d) Delhi Administration has reported that the Metropolitan Council, Delhi is considering a bill, under which it is proposed to regulate Primary and Secondary education and courses of instruction in Government recognised schools, schools of local bodies, and private schools in Delhi.

Use of Hindi in Offices and Autonomous Bodies Under Education Ministry

1996. **Shri P. M. Sayeed :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of offices of his Ministry and of the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra alongwith the names of the places where they are situated ;

(b) the number out of them in which the entire work is carried on in Hindi and the time by which Government propose to start and carry on the entire work in Hindi in the remaining offices ;

(c) the time by which his Ministry propose to start entire correspondence with these offices in Hindi ;

(d) whether Government propose to appoint one Hindi typist and one Translator in each of the offices of his Ministry and those of the autonomous bodies under his Ministry in Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra so that the work could be started in Hindi ; and

(e) if so, the time by which it would be done ; if not, the manner in which Hindi work is likely to be disposed of ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (e). A statement is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. L. T. 2150/69].

गोपालपुर तथा चान्दबली की लघु पत्तनों का विकास

1997. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गोपालपुर तथा चान्दबली में लघु पत्तन स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में उन पत्तनों पर लगभग कितने धन का विनियोजन किये जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना काल में लघु पत्तनों के विकास के लिये प्रस्तावों पर योजना आयोग से परामर्श करके विचाराधीन है । उड़ीसा में लघु पत्तनों के बारे में पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में विकास सलाहकार (पत्तन) की अध्यक्षता में 1 मई, 1969 को एक समिति गठित की गई जो यातायात शक्ति और मत्स्य आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर चौथी योजना काल में केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के अंतर्गत विकास के लिए गोपालपुर या चांदबली के दो लघु पत्तनों में से एक की रिपोर्ट और सिफारिश करेगी । समिति मामले पर विचार कर रही है ।

मनीपुर का दर्जा

1998. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री चेंगलराय नायडू :**
श्री मयावन : **श्री नि० रं०लास्कर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिये आन्दोलन आरम्भ हो गया है तथा उस क्षेत्र की प्रधान मंत्री की यात्रा के समय वहां दंगे हुए थे ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संघ राज्य क्षेत्र में समय समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मांग की गई है और प्रधान मंत्री की "इम्फाल" की पिछली यात्रा के दौरान कुछ उपद्रव हुए थे ।

(ख) सरकार का यह मत रहा है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर तभी विचार किया जाय जब उस संघ राज्य क्षेत्र के वित्तीय साधन पर्याप्त रूप से विकसित हो जाय । इस समय यह संघ राज्य क्षेत्र काफ़ी हद तक, यहां तक कि अपने योजनेतर राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी, केन्द्रीय सहायता पर निर्भर रहता है । अतः मनीपुर के वर्तमान दर्जे में इस समय कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

कलकत्ता के राष्ट्रीय ग्रन्थागार के मामलों की जांच

1999. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता को राष्ट्रीय ग्रंथागार के कार्य की समीक्षा करने वाली समिति ने

यह सुझाव दिया है कि किसी कानूनी जानकारी रखने वाले प्रशासक से ग्रंथागार के कार्य व्यापार की जांच करानी चाहिये ;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) से (ग). कलकत्ता के राष्ट्रीय ग्रंथागार के कार्य की समीक्षा करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी, उसने यह सुझाव दिया था कि उच्च कानूनी और प्रशासनिक जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति की समिति नियुक्त की जाय, जोकि उच्च स्तर वालों सहित स्टाफ के सदस्यों के बीच में तनावपूर्ण सम्बन्धों की जांच करे। इस सुझाव पर विचार किया गया था और पंजाब के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री जी० डी० खोसला, आई० सी० एस० (रिटायर्ड) के अधीन एक व्यक्ति की समिति 31-10-69 से स्थापित भी की जा चुकी है।

विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां

2000. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ईसाई-लोक-तंत्रात्मक दल की पहली बैठक में जो कि हाल में शिमला में हुई थी, यह संकल्प पारित किया गया था कि भारत में विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हैं तथा उनका मुख्य कार्य जासूसी करना, भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना तथा भारतीय ईसाई समुदाय पर अपना राजनीतिक आर्थिक तथा सैद्धान्तिक आधिपत्य जमाना है ;

(ख) क्या संकल्प में सरकार से भारत से सब विदेशी धर्म प्रचारकों का निष्कासन करने की मांग भी की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने उक्त संकल्प के बारे में समाचार देखा है।

(ग) यह सिद्ध करने वाली कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि सभी विदेशी धर्म प्रचारक आसूचना कार्य में अथवा राष्ट्रीय-हित-विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। जब कभी कोई विदेशी धर्म प्रचारक अवांछनीय गतिविधियों के लिये ध्यान में आया है, उससे, जहाँ उचित होता है, देश छोड़ने के लिये कहा गया है। जहां किसी कानून का उल्लघंन हुआ है, उस कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUPLIC IMPORTANCE

पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के भारी संख्या में निर्गमन के समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) श्रीमन्, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :-

"पाकिस्तान सरकार के एजेन्टों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर योजनाबद्ध रूप में किये गये अत्याचारों के परिणामस्वरूप उनके वहाँ से भारी संख्या में निर्गमन के समाचार।"

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जैसा कि सदन को मालूम है, पूर्व पाकिस्तान में अल्प संख्यकों को बराबर ही अनेक कठिनाइयों और अभावों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी बजह से पिछले कई वर्षों से वे बहुत बड़ी संख्या में भारत आ रहे हैं। भारत सरकार ने इन अल्प-संख्यकों की दशा की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित किया है और उनसे कहा है कि वे 1950 के नेहरू लियाक़त समझौते के अनुसार उनकी सुरक्षा, पूरी आजादी और समानता के अधिकार का सुनिश्चिय करें।

हाल ही में भारत के अखबारों में इस बारे में खबरें छपी हैं कि पूर्व पाकिस्तान से अल्प-संख्यकों को जबर्दस्ती निकाल देने का एक आन्दोलन चल रहा है। हमने जो जांच-पड़ताल की है उससे पता चलता है कि पूर्व पाकिस्तान में हाल ही में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों में कोई महत्व-पूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। कुछ हिंदू हाल ही में पूर्व पाकिस्तान से सीमा पार करके पश्चिम बंगाल में आ गये थे। हमारी रिपोर्ट के अनुसार इसका प्रमुख कारण आर्थिक निराशा थी और यह आर्थिक निराशा हुई पूर्व पाकिस्तान के कुछ भागों में फसल खराब हो जाने की बजह से। जो भी हो, गत वर्षों की तरह 1969 में भी पूर्व पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का भारत आने का लगातार ताँता लगा रहा।

श्री समर गुह : सरकार द्वारा दिया गया उत्तर न केवल सत्य से कोशों दूर है अपितु इससे पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की समस्या के प्रति सरकार के उपेक्षित रवैयों का भी पता चलता है कल ही पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी पुनर्वास मंत्री ने कहा है कि शरणार्थियों का आना न केवल जारी है बल्कि हाल में उनकी संख्या बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति किये गये अत्याचारों में हाल में कोई तेजी नहीं आई है। इसके विरुद्ध मैं दो उदाहरण दे सकता हूँ। सिलहट में 9 हिन्दू चाय बागान मालिकों को जेल में डाल दिया गया है और उन पर 5 से 20 लाख रुपए तक जुर्माना किया गया है। मुझे मैमेनसिंह, बरिसाल, कुलनाह, चिट्टगांव के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों समाचार मिले हैं कि सरकारी एजेन्ट. . .

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को मालूम है कि ध्यानाकर्षण सूचना पर भाषण नहीं दिये जा सकते।

श्री समर गुह : यह साम्प्रदायिक समस्या नहीं है और इसमें बंगाली मुसलमानों का हाथ नहीं है। इसमें पाकिस्तान सरकार के एजेन्टों का हाथ है। यह एक राजनैतिक समस्या है।

पाकिस्तान सरकार के पंजाबी तत्व पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान का एक उपनिवेश बनाना चाहते हैं। विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 6 प्रतिशत थी परन्तु अब यह केवल 54 प्रतिशत रह गई है। वे बंगला भाषा, बंगला संस्कृति के स्थान पर उर्दू संस्कृति को लाने के उद्देश्य से पूर्वी पाकिस्तान के राजनैतिक जीवन से सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत अल्पसंख्यकों को निकालना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। मैं जानता हूँ कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मैं इस अवसर को इस प्रकार प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि सभा में एक निश्चित प्रक्रिया है। हम निर्णय कर चुके हैं कि मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद केवल 2 प्रश्न पूछे जायेंगे।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के निर्गमन के कारण इस प्रकार हैं :-

पहला सरकार तथा सरकार द्वारा प्रेरित एजेंटों और भारत से पाकिस्तान गये प्रव्रजकों द्वारा मकानों, सम्पत्ति तथा भूमि पर बलपूर्वक कब्जा किया जाना ; दूसरा, अल्प संख्यकों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर अत्याचार जैसे धमकी देना, डाके डालना, अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की लड़कियों का सरकारी एजेन्टों के साथ बलपूर्वक विवाह, तीसरा, अल्पसंख्यकों को पुलिस संरक्षण न देना तथा पुलिस प्रशासन तथा अन्य सरकारी नौकरियों में उन्हें प्रतिनिधित्व न देना, पांचवां, अल्पसंख्यक नेताओं की निरन्तर गिरफ्तारी, नजरबंदी तथा उन्हें आतांकित किया जाना, छठा, पाकिस्तान सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति करार देकर जब्त किया जाना और सातवाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निरन्तर प्रचार ?

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन्हीं कारणों से इतनी भारी संख्या में लोग भारत आ रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वहां पर स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाब डालकर नेहरू-लियाकत करार को पुन लागू करेगी और राज्य, जिला तथा सब-डिवीजनल स्तर पर अल्पसंख्यक बोर्ड पिंडी सरकार द्वारा अल्पसंख्यों को परेशान करने तथा उनके निष्कासन के लिये अपनाई जाने वाली नीति के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत बनाकर स्थापित करायेगी तथा बंगाली नवजागरण आन्दोलन तथा पूर्वी पाकिस्तान को बंगाली जनता के आत्म-निर्णय के संघर्ष का समर्थन करेगी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्य द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की अल्पसंख्यक जनता को दयनीय स्थिति के बारे में व्यक्त किये गये विचारों से हम सहमत हैं।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम यह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को परेशान करके वहां से निकालने के लिए कोई योजनाबद्ध प्रयास किया जा रहा है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोग निरन्तर भारत को आ रहे हैं। 1968

में 1,649 अल्पसंख्यक भारत आये थे और जनवरी से नवम्बर 1969 तक 7,268 व्यक्ति भारत आ चुके हैं। यह कोई बहुत असाधारण संख्या नहीं है।

श्री समर गुह : आसाम और त्रिपुरा के बारे में आंकड़े क्या हैं ;

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : आसाम और त्रिपुरा के बारे में हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। स्थिति का पता लगाने के लिए हमने वहाँ की सरकारों को तार भेजे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : माननीय मन्त्री ने सभा को गुमराह किया है। इस प्रकार उन्होंने सभा का अपमान किया है।

श्री समर गुह : माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने ब ाया था कि अल्पसंख्यक लोगों के वहां से निकलने के कारण क्या है परन्तु माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान वहां के बंगाली हिन्दुओं, बौद्धों तथा ईसाई धर्म के लोगों को रखना चाहते हैं परन्तु पाकिस्तान की सरकार तथा उसके एजेन्ट अल्पसंख्यक लोगों को तंग कर वहां से निकलने पर बाध्य कर रहे हैं। यह एक राजनैतिक प्रश्न है न कि साम्प्रदायिक।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय मंत्री उत्तर दे चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्य ने अल्पसंख्यक लोगों के वहां से निकलने के जो कारण बताये है वे बहुत हद तक ठीक हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कछार) : क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोगों के बड़े पैमाने पर भारत आने के मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है ? क्या बिना उचित दस्तावेजों के सीमा पार करने वाले शरणार्थियों को अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है ? मैं आसाम तथा त्रिपुरा सरकार द्वारा वहाँ पर आने वाले शरणार्थियों के बारे में दिये गये आंकड़ों को भी जानना चाहती हूँ ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : आसाम और त्रिपुरा के बारे में हमारे पास अभी आँकड़े नहीं हैं। जब कभी भी बड़े पैमाने पर लोग इस प्रकार भारत आते हैं, पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाया जाता है। पहले भी अनेक बार इस मामले को वहां की सरकार के साथ उठाया गया है। इस बार लोग बड़े पैमाने पर वहां से भारत नहीं आये हैं। इस बात को पुष्टि ढाका स्थित हमारे उप उचायुक्त ने भी की है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : बिना वैध दस्तावेजों के भारत आने वाले शरणार्थियों को परेशान किये जाने के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : उनको परेशान नहीं किया जाता है। उचित मामलों में हम लोगों को बिना वैध दस्तावेजों के भारत आने की अनुमति दे देते हैं।

श्री बे० क्० दास चौधरी (कूच-बिहार) : माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य तथा श्री समर गुह के प्रश्न के बारे में दिया गया उत्तर परस्पर विरोधी हैं।

सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसख्यक लोगों को यह वचन दिया था कि वह उनके हितों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने दी जीयेगी और नेहरू लियाकत करार में भी दोनों देशों के अल्प संख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा का वचन दिया गया था परन्तु पाकिस्तान ने इस करार का कभी पालन नहीं किया ।

1964 में जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोगों पर अभूतपूर्व ज्यादतियां की गई थी तो इस सभा में एक संकल्प पास किया गया था कि सरकार पाकिस्तान की इन ज्यादतियों के विरुद्ध विश्व में जनमतसंग्रह बनायेगी मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने अपने इन वचनों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की है और पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने के लिए यदि कोई व्यवस्था की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोग पीड़ित नहीं हैं और उनके मार्ग में कठिनाइयां नहीं हैं । हमने सदा यह कहा है कि उनकी स्थिति बहुत खराब है इस समय मैंने केवल यह कहा है कि पाकिस्तान सरकार उनको वहां से निकालने के लिये कोई निर्धारित प्रयास नहीं कर रही है । 1961 में 6,93,000 शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये थे । इसकी तुलना में 1968 में कुल 11,649 व्यक्ति वहा से भारत आये हैं अतः निष्कासन साधारण है । परन्तु मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनकी स्थिति दयनीय है ।

Shri Rabi Ray (Puri) : You should not have used the word 'normal'.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मुझे खेद है कि मैंने इस शब्द का प्रयोग किया । पाकिस्तान के वचनों के बारे में सभी अवगत है ।

एक माननीय सदस्य : यह वचन हमने दिया था न कि पाकिस्तान ने ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : दोनों सरकारों ने बचन दिया था 1950 में हुए नेहरू-लियाकत करार में इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देशों अपने-अपने देश के अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण तथा स्वतंत्रता देंगे । परन्तु पाकिस्तान इस करार का पालन नहीं कर रहा है और इसी कारण कठिनाई उत्पन्न हुई है ।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णा नगर) : माननीय मंत्री श्री दिनेश सिंह ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह कहा था कि विभाजन के समय पाकिस्तान में लगभग 189 लाख अल्पसंख्यक लोग थे परन्तु अब कुल 83 अथवा 54 लाख ही शेष रह गये हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि स्थिति सामान्य नहीं बल्कि असामान्य है । वहां पर नरसंहार हो रहा है । सरकार ने इस मामले में विश्व की राय जानने के लिए क्या कार्यवाही की है ।

समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि गत शनिवार लगभग 100 हिन्दु परिवार पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये थे जिनमें बच्चे तथा महिलाएं भी थी । महिलाओं के साथ इतना गन्दा व्यवहार किया था कि उनको परन्तु डाक्टरी चिकित्सा की आवश्यकता थी तरन्तु सीमा पर इस की कोई व्यवस्था नहीं थी । मैं जानना चाहती हूँ कि इस प्रकार दयनीय स्थिति में आने वाले शरणार्थियों को सीमा पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कोई व्यवस्था है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पूर्वी पाकिस्तान में गैर-मुसलमानों की संख्या 14 प्रतिशत से कम होकर 11.9 प्रतिशत रह गई है ।

जहां तक 100 परिवारों के भारत आने का प्रश्न है वास्तव में उनकी संख्या 42 थी । उनमें से कुछ वैध दस्तावेजों तथा कुछ बिना दस्तावेजों के भारत आये थे । उनको राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी सुविधायें दी गई हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : I beg to lay on the Table :

(1) A copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951 :—

(i) The Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examination) Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1806 in Gazette of India dated the 2nd August, 1969.

(ii) The Indian Forest Service (Release Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers) (Appointment by Competitive Examination) Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1807 in Gazette of India dated the 2nd August, 1969.

(iii) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1887 in Gazette of India dated the 9th August, 1969.

(iv) The Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1987 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(v) The Ninth Amendment of 1969 to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, published in Notification No. G.S.R. 1988 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(vi) The Eighth Amendment of 1969 to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, published in Notification No. G.S.R. 1989 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(vii) The Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1990 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(viii) The Ninth Amendment of 1969 to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, published in Notification No. G.S.R. 1991 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(ix) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1992 in Gazette of India dated the 23rd August, 1969.

(x) G.S.R. 1993 published in Gazette of India dated the 23rd August, 1969 containing corrigendum to Notification No. G.S.R. 1634 dated the 19th June, 1969.

(xi) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 2119 in Gazette of India dated the 6th September, 1969.

(xii) The Twelfth Amendment of 1969 to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, published in Notification No. G.S.R. 2120 in Gazette of India dated the 6th September, 1969.

(xiii) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 2229 in Gazette of India dated the 20th September, 1969.

(xiv) The Tenth Amendment of 1969 to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, published in Notification No. G.S.R. 2230 in Gazette of India dated the 20th September, 1969.

(xv) G.S.R. 2329 published in Gazette of India dated the 4th October, 1969 containing corrigendum to Notification No. G.S.R. 1992 dated the 23rd August, 1969.

(xvi) G.S.R. 2391 published in Gazette of India dated the 11th October, 1969 containing corrigendum to Notification No. G.S.R. 1993 dated the 23rd August, 1969,

(xvii) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Twelfth Amendment Regulations, 1969, published in Notification No. G.S.R. 2562 in Gazette of India dated the 8th November, 1969.

(xviii) The Fourteenth Amendment of 1969 to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, published in Notification No. G.S.R. 2563 in Gazette of India dated the 8th November, 1969.

(2) A statement showing reasons for delay in laying the Notifications mentioned at (i) to (iii) of item (1) above. [*Placed in Library. See* No. LT-2141/69]

वास्तु शिल्पी विधेयक

ARCHITECTS BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं वास्तुशिल्पियों के पंजीकरण और तत्ससंक्त प्रयोजनों की व्यवस्था करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

साक्ष्य

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं वास्तुशिल्पियों के पंजीकरण और तत्ससंक्त प्रयोजनों की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मैं घोषणा करता हूँ कि

सोमवार 1 दिसम्बर, 1969 में आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) आज की कार्यसूची के किसी ऐसे सरकारी कार्य पर विचार जो आज समाप्त न हो सके ।

(2) विचार करने के लिए तथा पास करने के लिये विधेयक :

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1968 ।

पैट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 1969 ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं विधेयक 1969, राज्यसभा द्वारा पारित रूप में ।

लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1967 ।

(3) श्री कंवर लाल गुप्त तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर गुरुवार, 4 दिसम्बर, 1969 को 3 बजे म० प्र० पर देश के विभिन्न भागों में हाल ही के साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा ।

मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक 1969 पर विचार करने तथा उसे पास करने के लिये मंगलवार, 9 दिसम्बर, 1969 को लिए जाने का प्रस्ताव है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा आरम्भ की गई चर्चा को आगे जारी रखने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । उसके लिए समय निकाला जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय निकाला जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमने चुनाव आयुक्त द्वारा उप-चुनावों के बारे में की गई घोषणा तथा निकाले गये प्रकाशन के बारे में चर्चा उठाने हेतु नोटिस दिया था और आपने इसके लिये समय निकालने का आश्वासन भी दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समय निकालने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इसके लिये अगले सप्ताह समय दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इस चर्चा के लिए तैयार हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री म० मो० बनर्जी (कानपुर) : कार्य मंत्रणा समिति में इस बात का निर्णय किया गया था कि साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ताकि चर्चा के लिये पूरे पांच घण्टे का समय मिल सके । परन्तु माननीय मंत्री ने अभी बताया कि यह प्रस्ताव

श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं परन्तु मेरा निवेदन है कि चर्चा के लिये पांच घण्टे का समय ही दिया जाये ।

श्री रघु रामैया : मेरे विचार में कार्य मंत्रणा समिति में हमने यह निर्णय किया था कि यह प्रस्ताव गैर-सरकारी सदस्य की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा । मैं समझा था कि मुझसे इस प्रस्ताव पर केवल मेरे प्रतिक्रिया पूछी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं । इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाना था ।

श्री रघु रामैया : हमें कोई आपत्ति नहीं है । इस प्रस्ताव को हम प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी . प्रतिरक्षा विभाग के कपड़ा बनाने वाले तीन कारखानों अर्थात शाहजहांपुर स्थित कपड़ा बनाने का कारखाना कानपुर स्थिति पेराशूट फैक्टरी और हारनेस एण्ड सैडल फैक्टरी में लगभग 3500 व्यक्तियों को फालतू घोषित किये जाने वाले हैं क्योंकि यह काम गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को दे दिया गया है । मैंने इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाने वाली अनेक सूचनाएं दी है परन्तु किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया है । मैं चाहता हूँ कि प्रतिरक्षा मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री इस बारे में वक्तव्य देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I want to know from the hon. Minister categorically as to when the discussion on the activities of the naxalities will be taken up which was stated last week.

I also want to know the attitude of the Government on the prevention Detection Act as several things are appearing in the newspapers.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्री समर गुह द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प को सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उसके अनुमान में दक्षिण-पूर्व एशिया में हुई विमान दुर्घटना से सम्बन्धित स्थानों के दौरे के लिये एक जांच समिति बनाई जाने वाली थी । मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री समर गुह : मंत्रिमण्डल ने इस बारे में जांच कराने का निर्णय किया था परन्तु अब ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : दलबदलुओं के बारे में सर्व-दलीय समिति ने एक प्रतिवेदन दिया था । इसमें कुछ लाभदायक सुझाव दिये गये थे । इस पर चर्चा की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसे लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं ।

श्री बलराज मधोक : मेरा निवेदन है इस प्रतिवेदन को शीघ्र ही सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के कारण भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस विषय पर विचार करने के लिये भी समय मिलना चाहिये।

दिल्ली में इंडिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करने के बारे में भी विवाद है। सरकार किसी अन्य व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहती है। मेरा निवेदन है कि इस मामले को शीघ्र ही निबटाया जाय तथा गांधी शताब्दी में ही गांधी जी की मूर्ति स्थापित कर दी जाय।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, the Government should be asked to make a statement regarding the statue of Gandhiji.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I have come to know the Government do not want to put a statue of Mahatma Gandhi at India Gate because according to their verson it is not a suitable place for that. I want that Government should make an unequivocal statement in this regard.

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : Sir, the Report of the Perumal Committee was received in April, 1969 but no discussion has been held in the House on it so far. May I know from the hon. Minister of Parliamentary Affairs the time by which the discussion will be held on this report in the House ?

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : आसाम में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे तेल शोधक कारखाने के बारे में विशेषज्ञ समिति ने तथा पैट्रोलियम तथा रसायन की मूल्य सम्बन्धी नीति की समिति ने अपने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं किन्तु सरकार अभी तक उन्हें अपने पास रखे हुए है। महोदय ! आप सरकार को आदेश दें कि वह उन प्रतिवेदनों पर चर्चा करने का अवसर दे। तथा वे प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जायें।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : महोदय ! चीनी और गन्ने के मूल्य पर्याप्त कम हो गये हैं। मूंगफली के मूल्य भी कम हुए हैं किन्तु सरकार ने इन वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किये हैं। मेरा निवेदन है कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिये तथा सरकार को उसके लिये समय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु माननीय सदस्य ने इस विषय में कोई नोटिस नहीं दिया है।

मैं संसदीय-कार्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव पर आगे चर्चा करने के लिए समय देने का प्रयास करें क्योंकि पिछले समय की उसकी चर्चा अधूरी रह गयी थी। प्रतिरक्षा मंत्री महोदय भी श्री स० मो० वनर्जी द्वारा उठायी गई बातों पर कृपया अपना वक्तव्य दें श्री धीरेश्वर कलिता द्वारा उठाये गये प्रश्न पर भी मन्त्री महोदय ध्यान दें।

श्री चेंगलराया नायडू : महोदय मूल्यों के सम्बन्ध में क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : बिना प्रस्ताव रखे किसी मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या सरकार गांधी जी की मूर्ति की स्थापना के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार कर ली गई है।

श्री पालु मोदी (गोधरा) : महोदय ! ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि इंडिया गेट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के बदले किसी अन्य की प्रतिमा स्थापित की जाय। केवल यह निर्णय करना है कि महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना के लिये क्या करना है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हमें गांधी जी की मूर्ति की स्थापना के बारे में आश्वासन दिलाया गया था। हम चाहते हैं कि गाँधी प्रतिमा स्थापित की जाय।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : The report of the Commissioner for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes has been received by the Government but no discussion is being held on it.

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने सभी बातों को ध्यान में रख लिया है। मैं भी इन मामलों को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा। इन मामलों पर चर्चा करने के लिये समय देने का प्रयास किया जायेगा। महात्मा गाँधी की प्रतिमा के मामले पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The hon. Minister of Information and Broadcasting assured us that the Press Council Bill would be discussed during the corrent session. But no mention has been made as to when the Bill would be discussed.

Mr. Speaker : He may please approach the hon. Minister.

Shri Prakash vir Shastri (Hapur) : Sir, the suggestions being made by the hon. Members should not be ignored by saying that there will be examined in the Business Advisory Committee. The hon. Minister may should be asked to reply at least to those questions which can be replied at present by him. If these suggestions will not be included in the List of Business them how they could be taken in the House ?

Shri Samar Guha (Kantai) : The hon. Minister has not made any reference to the Netaji inquiry.

Shri Tulsidas Yadhav (Baramati) : Mr. Speaker, Sir, when we ask about the business of the House a serious disorder breaks out in the House. *(Interruption)*

डा० राम सुभग सिंह : कोई अव्यस्था नहीं है। वास्तव में सरकार की ओर से उनके नेता अनुपस्थित हैं।

श्री रघु रामैया : हमारे नेता मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और उनकी अनुपस्थिति में मैं सभा के कार्य का उल्लेख कर रहा हूँ। माननीय सदस्य भी इस प्रक्रिया का अनुसरण करते रहे हैं।

Shri Tulsidas Yadhav : Sir, we are not given proper opportunity to say something though we maintain the decorum of the House.

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री रघु रामैया : महोदय ! भाषणों के उपरांत आप ने जो सुझाव दिये वे बहुत ही मूल्यवान हैं। उनके अतिरिक्त मैं भी कुछ नहीं कह सकता। श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिये समय की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रस्ताव समयानुकूल है।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : Mr. Speaker, Sir, I seek your permission to make a personal explanation in regard to certain objectionable remarks cast on me on the 26th day of this month by Shri Manubhai Patel in my absence.

Sir, in the course of his speech, Shri Manubhai Patel made an irresponsible remark that Shri Chintamani Panigrahi and others had made a complaint to the Prime Minister that all the three new members. namely Shri Chandra Jeet Yadav, Shrimati Nandini Satpathy and Shri Ganesh, who have been included in Congress Working Committee are communists. They also said that these persons were opposed even by the members of their own party.

Sir, the charge levelled against me is baseless, wrong, irresponsible and mischievous. I disapprove this charge and request that before making such highly objectionable allegations on any person, whether he is a member of this House or not the hon. Members should be cautions and should understand their responsibility.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की टिप्पणियों पर मुझे भारी खेद है । वास्तव में हमारे समस्त विभिन्न समस्यायें हैं जिनके बारे में माननीय सदस्यों में मतभेद हो सकता है किन्तु इन समस्याओं को हल करने का यह ढंग नहीं है । मैं किसी भी सदस्य को इस प्रकार की टिप्पणियां करने की अनुमति नहीं दूंगा ।

शपथ विधेयक—जारी

OATHS BILL—*Contd.*

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I rise to support the Bill before the House. In our country different people follow different religious and traditions and in view of this vital fact this Bill has been framed on the basis of the recommendations made by the law commission.

Besides, the provisions enshrived in this Bill should be applicable to the state of Jammu and Kashmir because of the fact that Jammu and Kashmir is an integral part of our country.

Secondly, the clauses 2 and 3 are contradictory to each other. Clause 2 is a saving clause as it denies the application of this Bill to the Armed Forces while the clause three contradicts the provisions made in clause two. Therefore, I feel that clause three should be deleted from the Bill because it is redundant.

Certain hon. Members have advised to delete the clause Nos. 6 and 7 from the Bill. But in my opinion they are very vital for this Bill. Perhaps, those, who are against the provisions made in the clauses 6 and 7 of this Bill, are the impression that if a person does not swear or make any affirmation in the Court of Law all the evidence and proceedings of the court in a particular case will become null and void. What I feel is that it should not be presumed that we speak truth only when we take on oath. There are thousands and lakhs of people in our country who always tell the truth but they are not be prepared to swear by God. They can not be forced to swear and at the same time the statements made by these people can not be said to be false and therefore invalid. Apart from this, there are numerous different ways of swearing in our country.

In the circumstances, if a person makes any statement after saying that he will tell the truth it should not be invalidated and the sanctity of his statement should not be challanged. Thus the provisions made in the clauses six and seven are landable.

Sir, a ten-years old child may not understand the sanctity and importance of the oath administered in the name of God or in the name of any Gods and that is why he is generally advised by the jurors to tell the truth and after that his statement is accepted as correct. The same provision is adopted under the clause 4 of this Bill and I support it.

Sir, I do not intend to cast any reflection on the courts but it is generally observed that the statements made by the witnesses are not read out despite the clear provisions made in the procedure. I request that the Government should ensure that the correct procedure is strictly followed in the courts of law.

अध्यक्ष महोदय : श्री कंडप्पन अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी कर सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए]
[Shri M. B. Rana *in the Chair*]

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Mr. Chairman, I want to bring this thing to your kind notice that people are dying of starvation in Rajasthan and the hon. Member Shri Amrit Nahata has gone on strike there. I would therefore, urge that action should be taken to solve this problem as soon as possible.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Firstly I support what Shri Shashi Bhushan has said and secondly I would like to say something about All India Radio. Our complaint is that A. I. R. has been persuing a calculated and pre-planned policy under which efforts are being made to defame some parties and put forth the interests of one party.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : A. I. R. is making a propaganda of some Jana Sangh Members of Delhi also while we people are being ignored.

Shri Kanwar Lal Gupta : What I meant to say was that A. I. R. is doing propaganda for one party only and in this way it is developing a personality cult. Through you sir I demand that an independent enquiry should made to find out to what extent our allegations are correct. We want that a corporation should be set up as per the recommendations made by Chanda Committee and its appointment should be made through Parliament.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : There are about one and a half lakh workers on strike in Jamshedpur. The Labour Commissioner of the Government had gone there but Mr. Tata refused to impliment his suggestion namely that the retrenched persons should be taken back. Mr. Tata has a hold over the officers there and as such warrants have been issued to about 200 persons including Shri Kedarnath M. L. A. from that area. I would therefore suggest that the representatives of the workers and Mr. Tata should be negotiated last explosive situation is created. Action should be taken immediately in accordance with the assurance given by the hon. Minister last time.

समापति महोदय : मैं सरकार को तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक इस मामले को उचित रूप से सभा में नहीं लाया जाता । इसके लिए सरकार को उचित नोटिस दिया जाना चाहिए ।

श्री एस० कंडप्पन (मैंदूर) : यह विधेयक बहुत पहले ही लाया जाना चाहिए था । तथापि मैं प्रसन्न हूँ कि इसे अब भी लाया गया है । यह अच्छी बात है कि शपथ ग्रहण के साथ प्रतिज्ञान की व्यवस्था भी की गई है । कल जब इस पहलू पर बातचीत चल रही थी तो कुछ सदस्यों को इस बात पर आशंका थी कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे परमात्मा पर विश्वास नहीं है परन्तु अपने अन्तःकरण पर है, विश्वास किया जायेगा अथवा नहीं । मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तियों पर अधिक विश्वास किया जाना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग किन्हीं परिस्थितियों के कारण अपराध कर लेते हैं और बाद में उसका पश्चाताप करने लग जाते हैं । और समझते हैं कि वह अपराध अब ठीक हो जायेगा । दूसरी ओर अन्तःकरण पर विश्वास करने वाले लोग ऐसा नहीं करते । अतः प्रतिज्ञान की व्यवस्था बहुत अच्छी बात है ।

चूंकि मैं विधि का विद्यार्थी नहीं हूँ इसलिए मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ । उन्होंने कहा है कि शपथ के आधार पर किये गये निर्णय की पुष्टी करने की व्यवस्था समाप्त की जा रही है । परन्तु मान लो कोई पक्ष कभी शपथ के आधार पर पंचायत द्वारा किये गये निर्णय को नहीं मानता और उस मामले को न्यायालय में ले जाता है तो उसे वहां पर मान्य समझा जायेगा अथवा नहीं ? मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण करें । मेरा अपना सुझाव तो यह है कि इस व्यवस्था को अभी कुछ समय तक और जारी रहने दिया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Through the oaths Bill, 1968 efforts have been made to bring unifirmity in the form of taking oaths. So far we have been seeing that people are asked to swear by God with their religious books in their hands. But now things have changed. Now it is one country and keeping in view the loyalty towards the country there should be uniformity in the procedure of taking oath in whole of the country.

I think that the freedom to take oath of either cow or ox etc. is not good. This thing was prevalent long long ago when people had fear in their mind of such things. Now when the world has advanced so much in the field of science such a thing should not be allowed. I think that the provision for affirmation is most suited for us.

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : विशेष खण्डों सम्बन्धी मामलों पर मैं उस समय बोलूंगा जब खण्डों पर चर्चा होगी इस समय मैं केवल आम प्रश्नों के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहूँगा ।

बहुत से सदस्य उस खण्ड पर बोले हैं जिसमें कहा गया है कि यह कानून जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होगा । यह विधान संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में प्रविष्टि 1 के अन्तर्गत आता है तथा उसके पद टिप्पण 2 में यह कहा गया है कि यह "जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता । अगला प्रश्न यह किया जायेगा कि उस

प्रविष्टि को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू क्यों नहीं किया गया है। इसके सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 370 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था तब स्थिति यह थी कि केवल दो अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 320 जम्मू तथा काश्मीर पर लागू होते थे। परन्तु अनुच्छेद 370 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ सूची तथा समवर्ती सूची में विभिन्न प्रविष्टियों को जम्मू और काश्मीर पर लागू किया जा सकता है बशर्ते वहां की सरकार उस मामले पर सहमत हो जाये। संविधान में इस प्रक्रिया को क्यों स्वीकार किया गया है यह बात सब सदस्यों को मालूम ही होगी।

जब संविधान बनाया गया था तो जम्मू और काश्मीर को भारत में मिलाने के प्रश्न पर चर्चा तो कहीं बाहर हुई थी परन्तु भारत सरकार ने जम्मू और काश्मीर के महाराजा के विलय पत्र का समर्थन किया था। इसलिये जम्मू और काश्मीर के बारे में संविधान उसी प्रकार से बनाया गया था जैसे यह बनाया गया था। संघ सूची तथा समवर्ती सूची में प्रविष्टियां एक-एक करके जम्मू और काश्मीर पर लागू की जा रही है। संविधान को देखने से पता चलेगा कि उसमें लिखा है कि अमुक प्रविष्टियां जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य सब लागू होती हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह भी पूछा था कि क्या यह विधेयक अब पंचायत न्यायालयों पर लागू होगा। यह पंचायत न्यायालय राज्य के प्रशासकों द्वारा उन्हें शक्तियां देने के कानून बनाने के बाद स्थापित किये जाते हैं अतः धारा 4 के अनुसार यह पंचायत न्यायालयों पर लागू होगा। परन्तु यदि कोई राज्य यह समझता है कि पंचायत अथवा गांव न्यायालयों में अनौपचारिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए तो वह शपथ अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं क्योंकि यह समवर्ती सूची में आता है।

पुलिस द्वारा शपथ पर साक्ष्य लेने की बात भी की गई थी। दंड संहिता प्रक्रिया के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों को शपथ पर साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है।

खण्ड 7 का भी उल्लेख किया गया था। इसके बारे में यह कहा गया था कि इसकी क्या आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता इसलिये है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दूसरी अपीलीय न्यायालय अथवा उच्चत्तम न्यायालय में यह कह देता है कि शपथ नहीं दिलाई गई है तो सारा मामला ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति न होने देने के लिए यह धारा रखी गई है। इस खण्ड के होने से झूठी गवाही नहीं दी जा सकेगी क्योंकि खण्ड 8 में यह दिया गया है कि साक्ष्य देने वाला प्रत्येक व्यक्ति सत्य कहने के लिए बाध्य होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि शपथ तथा प्रतिज्ञान दोनों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। परन्तु यह व्यवस्था करने में हमने संविधान की तीसरी अनुसूची का अनुसरण किया है। तीसरी अनुसूची शपथ अथवा प्रतिज्ञान से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यायिक शपथों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने और

कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्रीमन्, कभी-कभी ऐसा होता है कि कमांडिंग आफिसर शपथ के समय उपस्थित नहीं होता । अत: मैंने अपने संशोधन में कहा है कि 'कमांडिंग आफिसर या उस समय काम कर रहा अधिकारी ।'

श्री गोविन्द मेनन : सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 17(1) में इसकी व्यवस्था पहले से है और उसको देखते हुए यह संशोधन करना आवश्यक नहीं है ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I move my amendment No. 24.

No mention has been made in the Bill regarding the village courts about the taking of oaths. Although it is not necessary in view of the village courts Bill having been passed already, but, still, it must be clearly stated.

श्री गोविन्द मेनन : अब इसका कानूनी उपबन्ध कर दिया गया है । वर्तमान कानून के अन्तर्गत न्यायालयों के समक्ष गवाहों के लिए शपथ लेना आवश्यक होगा ।

श्री बि० प्र० मण्डल : (मधेपुरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करता हूँ ।

By my amendment, I want that no Police Officer should be competent to administer oath or affirmation in the course of any investigation. It is evident that Police Officers now-a-days are not as honest as they should be and as such they cannot be relied upon in this matter. I, therefore, suggest that Police officers should not be clothed with this authority.

श्री गोविन्द मेनन : "जो व्यक्ति पक्षों की सम्मति से शपथ दिलाता है" शब्दों का अर्थ पंचों से है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में यह उपबन्ध है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को, किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने की अनुमति अथवा शक्ति प्राप्त नहीं होगी इसको ध्यान में रखते हुए विधेयक में इसका उल्लेख करना अनावश्यक है । अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री वि० प्र० मण्डल : मैं सभा से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 21 put and negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 24 was put and negatived.

संशोधन संख्या 33 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 33 was by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

The provise to clause 4 says about the child 'he'. But the child can be a female and therefore, I want the addition of words "or she" after "he"

Shri K. M. Madhukar : I move my amendment No. 25.

My amendment seeks to change the age of the child from 12 years to 14 years, so that the child may be in a better position to understand the significance of oath.

श्री गोविन्द मेनन : श्री झा का संशोधन सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 13(1) को देखते हुए अनावश्यक है ।

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 83 में बच्चे की अपराध से विमुक्ति की आयु 12 वर्ष रखी गई है । अत: इस विधेयक के खंड 4 में भी हमने 12 वर्ष आयु रखी है । जब तक सभी केन्द्रीय अधिनियमों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया जाता, केवल शपथ अधिनियम के प्रयोजन के लिए इसे स्वीकार करना असम्भव है ;

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 4 put and negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 25 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6—(शपथ तथा प्रतिज्ञान के रूप)

श्री बृज भूषण लाल (बरेली) : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूँ।

My amendment seeks that special oaths in accordance with religious traditions should be allowed by the courts, to be administered to a witness, on the request of the other party. The Act of 1873 contained a provision for special oath.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूँ।

इस संशोधन को लाने का मेरा उद्देश्य यह है कि इस देश में शपथों का बहुत कम पालन किया जाता है। क्योंकि दोनों ही पक्ष भगवान की शपथ लेते हैं इसलिये दोनों में से एक अवश्य झूठ बोलता है।

न्यायालयों में लोग सामान्यतः झूठ बोलते हैं और वे इसको इतना बुरा भी नहीं समझते। जब कोई व्यक्ति न्यायालय में झूठ बोल रहा होता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि वह अदालती बात कर रहा है। आपको याद होगा कि प्रतिज्ञान का इतिहास 1870 से आरम्भ होता है जब एक प्रसिद्ध मुकदमे में श्री ब्राडला को बताया गया था कि चूंकि वह भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, अतः उनके द्वारा कोई भी शपथ एक ढोंग होगा और इसलिए उस समय की संसद या न्यायालयों ने प्रतिज्ञान का आविष्कार किया। अतः मेरा संशोधन है कि "प्रतिज्ञान" के पश्चात् "जिनका भगवान में विश्वास नहीं" शब्द रखे जायें।

श्री गोविन्द मेनन : दो प्रश्न उठाये गये हैं। पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मेरी राय में शपथों द्वारा विवादों का निपटाया जाना कोई अच्छी बात नहीं होगी।

Shri Ram Charan (Khurja) : On a point of order, Sir, One hon. Member..... *

श्री गोविन्द मेनन : विशेष शपथ किस तरीके से दिलाई जाती है। विरोधी पक्ष प्रश्न करता है, यदि तुम अमुक मन्दिर में शपथ ला के ऐसा कहो तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। यह तो एक प्रकार से शर्त लगाना हो गया। न्यायालय से अपना काम त्यागने को कहा जाता है। इन मामलों के सम्बन्ध में मैं श्री लोबो प्रभु की बात स्वीकार नहीं करता। गवाह चाहे भगवान की शपथ लेकर कहे या प्रतिज्ञान करके, वह सच ही बोलेगा। यदि किसी व्यक्ति ने भगवान की शपथ न लेकर झूठ बोला है तो ऐसी बात नहीं है कि भगवान उसे क्षमा नहीं करेगा और अन्यथा भगवान उसे क्षमा कर देगा। यह बात सम्बद्ध गवाह पर ही छोड़ दी गई है... **(व्यवधान)**

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये शब्द समाचार पत्रों में नहीं छपने चाहिए कि एक संसद सदस्य*

श्री गोविन्द मेनन : कोई व्यक्ति यदि कचहरी में एक पक्ष के हक में झूठ बोलने की ठान कर आता है तो क्या उसे "भगवान" शब्द के प्रयोग से ऐसा करने से रोका जा सकता है ? मैं श्री लोबो प्रभु का ध्यान संविधान की तीसरी अनुसूची की ओर दिलाता हूँ जिसमें यह दिया गया है कि संसद सदस्य किस रूप में शपथ लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान में तो विश्वास रखते हैं किन्तु वे छोटी-छोटी बातों के लिए भगवान् की शपथ खाने को तैयार नहीं होते।

मुझे अन्य देशों के स्तरों के बारे में जानकारी नहीं है। परन्तु हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में गवाह न्यायालय में झूठी शपथ के लिये तैयार रहते हैं। परन्तु मुझे आशा है कि हमारे स्तर में सुधार होने पर इसकी सम्भावना कम हो जायेगी।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : सम्भवतः मंत्री महोदय का अभिप्राय यह है कि न्यायालयों में अधिकांश गवाह झूठी गवाही देते हैं ? परन्तु मेरा अनुभव यह है कि झूठी शपथ लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक नहीं है। मन्त्री महोदय के पास इस बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। मन्त्री महोदय को इस बारे में हमारी जनता को बुरा प्रमाणपत्र नहीं देना चाहिये।

श्री गोविन्द मेनन : मुझे विश्वास है कि समय के साथ इस दिशा में अवश्य सुधार होगा। झूठी शपथ लेने के लिये बहुत कम व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये जाते हैं। मैं श्री लोबो प्रभु से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापिस लें।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह मुझे अपने संशोधन पर जोर देने की अनुमति दें।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the chair.

सभापति महोदय : अब मैं श्री बृज भूषण लाल का संशोधन संख्या 29 सभा में प्रस्तुत करूंगा :

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 29 was put and negatived.

सभापति महोदय : मैं अब श्री लोबो प्रभु का संशोधन संख्या 30 सभा में प्रस्तुत करता हूँ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 30 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 30 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The mation was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूं । यदि गलती से कोई भूल हो जाती है तो कार्यवाही को समाप्त नहीं करना चाहिये । कानून में जहां कहीं ऐसी कमिया हों तो इस विषय को नीचे के या उच्च न्यायालय में उठाया जाना चाहिये । खण्ड 8 के अन्तर्गत यह भूल-चूक आ जाती है ।

सभापति महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प लिये जायेंगे । श्री लोबो प्रभू अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

पचपनवां प्रतिवेदन

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पचपनवें प्रतिवेदन से, जो 26 नवम्बर, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पचपनवें प्रतिवेदन से, जो 26 नवम्बर, 1969 को सभा में प्रस्ततु किया गया था, सहमत है।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं उस प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना चाहता था। श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प को अधिकतम समय दिया जाना चाहिये। श्री जगजीवन राम का द्वितीय संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है।

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है दूसरे संकल्प की चर्चा के लिये आज पांच मिनट दिये जायेंगे ताकि इस पर अगली बार चर्चा की जा सके।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पचपनवें प्रतिवेदन से जो 26 नवम्बर, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बेरोजगारी के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : UNEMPLOYMENT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मुझे संकल्प पढ़ने की अनुमति दी जाये ताकि सदस्यों को इसे समझने का अवसर मिल सके।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मुझे अगले संकल्प को प्रस्तुत करना है और आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। श्री ज्योतिर्मय के संकल्प को अधिकतम समय दिया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने यह उल्लेख किया था कि श्री ज्योतिर्मय बसु के संकल्प को अधिक समय दिया जाना चाहिये। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि श्री मुहम्मद इमाम के संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जाये।

Shri Om Prakash Tyagi (Muradabad) : Efforts are being made that Shri Imam may not more his resolution. Time should be given for his resolution.

श्री रणधीर सिंह : बेरोज़गारी की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। परन्तु वह समस्या व्यक्ति-

गत समस्या है। हमें व्यक्तिगत समस्या के स्थान पर राष्ट्रीय समस्या को अधिक महत्व देना चाहिये।

सभापति महोदय : संसद्-कार्य मन्त्री वर्तमान संकल्प को अधिक समय देने के लिये सहमत हो गये हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि श्री इमाम के संकल्प को प्रस्तुत करने और उस पर विचार करने की अनुमति दी जायेगी।

संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं पहले ही इस सुझाव से सहमति प्रकट कर चुका हूँ कि दूसरे संकल्प पर आधे घण्टे की चर्चा से पूर्व ही चर्चा की जायेगी।

श्री जगजीवन राम अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का उत्तर स्वयं देंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : ये आरोप लगाये जा रहे हैं कि सरकार श्री जगजीवन राम के विरुद्ध चर्चा को स्थगित करना चाहती है। परन्तु माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का ऐसा इरादा नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बात रिकार्ड में आ जानी चाहिये कि मेरे संकल्प पर, जिसपर, गत सत्र में चर्चा आरम्भ हुई थी, 3 बजकर 14 मिनट पर चर्चा आरम्भ हो रही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्लहार) : राष्ट्रीय महत्व के इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये मैं श्री ज्योतिर्मय बसु का धन्यवाद करती हूँ। सरकार को भारतीय नागरिकों की भावी आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में विचार करना चाहिये।

ऐसा कहना उचित नहीं है कि योजनाएं रोजगार दिलाने में असमर्थ रही हैं। पहली योजना के दौरान 3 करोड़ 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

दूसरी योजना के अन्तर्गत एक करोड़ व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान किये गये इस अवधि में 1 करोड़ 18 लाख व्यक्ति और प्रकट हो गये। चौथी योजना के आरम्भ में 18 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था की गई। अब भी, रोजगार के लिये करोड़ों लोग हैं। अतः यह आवश्यक है कि समस्त योजना को नये सिरे से बनाया जाना चाहिये।

सर्वप्रथम, योजना को उत्पादन-प्रधान होना चाहिये। देश की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये। हमें न केवल अनाज, मशीनों और कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपितु हमें यह भी देखना है कि देश में हम जन-शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग इस प्रकार कर सकें कि अधिक से अधिक व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकें।

हमें यह देखना है कि मशीनों से हमारे देश को कहां तक लाभ मिल सकता है, जबकि देश में जन-शक्ति आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है।

किसी भी कम्पनी की दक्षता को बढ़ाने के लिये स्वचालित मशीनें लगाना बहुत आवश्यक

है। परन्तु इसके परिणामस्वरूप बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो रहे हैं। मुझे आशा है कि योजना आयोग इस बात की ओर ध्यान देगा कि इससे कितने व्यक्ति प्रभावित होंगे और इसको दृष्टि में रखते हुए वह चौथी योजना बनायेगा।

योजनाएं निर्यात प्रधान थीं। यह देश की मुख्य आवश्यकता है। हम हमेशा विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रह सकते। यह बहुत ही गर्व की बात है कि हमने विदेशी सहायता पर निर्भर रहना बहुत कम कर दिया है और हम आत्म-निर्भर होना सीख रहे हैं।

ऐसी स्थिति आ गई है कि बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है। उन्हें प्रतियोगिता के लिए पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

बैंकों के राष्ट्रीकरण से सरकार के पास अधिक धन आ गया है अतएव छोटे उद्योग चलाने के उत्सुक व्यक्तियों को उनकी प्रतिभानुसार वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

हम बड़े-बड़े बहु-मंजिले भवन इसीलिए बनाते हैं कि हम विदेशियों को दिखा सके कि हमारे पास भी ऐसे भवन, बड़ी-बड़ी कारें और एअर कण्डीशन्श हैं। हम ऐसी विलास की वस्तुएं कैसे बना सकते हैं, जबकि करोड़ों देशवासी भूखे हैं और बेरोजगार हैं। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि विलास के इन साधनों को जुटाने में क्या हम दस वर्ष और प्रतीक्षा नहीं कर सकते जिससे कि महलों के निर्माण से पूर्व हम लोगों को खाना और रोजगार दे सकें।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : जनता वही चाहती है जो आपने कहा है। इसके लिए सरकार से अपील करें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वे मेरे से सहमत हैं।

हमारी योजनाएं भी नगरों पर आधारित हैं मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या कारण है कि ग्रामीण जन-शक्ति परियोजनाओं के लिए तीसरी योजना के लिए निर्धारित 150 करोड़ रुपए की राशि में से केवल 19 करोड़ रुपया व्यय किया गया। इस बारे में मैं सरकार पर आरोप लगाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सरकार बताए कि वह रुपया उन्हें उपलब्ध क्यों नहीं किया गया। मैं समझती हूँ कि यह नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्विति में समन्वय के अभाव के कारण हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका कारण यह है कि सरकार न तो पहल करती है और न उसकी इस समस्या के प्रति कोई दिलचस्पी है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हमारे देश में बेरोजगार लोगों की तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में रहती है इसलिये गांवों में काम के अवसरों का बढ़ाना आवश्यक है। वहां पर बिजली और यातायात के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि वहां छोटे उद्योगों का फैलाव हो सके। इससे उन्हें काफी रोजगार मिल सकेंगे।

हमें अपने राजनीतिक वातावरण को भी बदलना होगा। पश्चिमी बंगाल के उद्योग, राजनीतिक स्थिति के कारण पिछड़ गये हैं और पिछले नौ महीनों में वहां 50000 व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं। उत्पादन घटने से लाभ और रोजगार के साधन भी घटते हैं। तालाबन्दी और घेराव से

उद्योग ठप्प हो जाते हैं । इससे लोग रोजगार से वंचित हो जाते हैं देश की जनता को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

राजनीतिक स्थिति के सुधार के लिए हमें सभी राजनीतिक दलों का सहयोग चाहिए। कर्मचारियों और मालिकों में सहयोग होना चाहिए और इसमें माननीय दृष्टिकोण और सहानुभूति बरती जानी चाहिए । तभी घेराव और तालाबन्दी समाप्त होंगे तथा स्थिति सुधर सकेगी ।

सामाजिक दृष्टि से कुछ लोग मुझे रूढ़िवादी समझते हैं । ऊंचे जीवनमानों का हमारे रोजगार साधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे सोचना चाहिए । हम देख रहे हैं कि हमारी पारिवारिक शृंखलाएं टूट रही हैं ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : क्या आप चाहती हैं कि हमारी लड़कियां नौकरी न करें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : आपने मुझे ठीक नहीं समझा । मेरा दृष्टिकोण रूढ़िवादी नहीं अपितु यथार्थवादी है । भारतीय महिलायें किसी भी देश की महिलाओं से पीछे नहीं हैं ।

मैं शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि वे उच्च शिक्षा की लालसा को किस सीमा तक बढ़ने देना चाहते हैं । हमारे बालक बिना किसी उद्देश्य के विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होते हैं और बाद में रोजगार न मिलने से निराश होते हैं । मेरा सुझाव है कि केवल वही व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हों जिन्हें ऊंचे शैक्षणिक कार्य की लालसा है । इससे हमारी शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा और इस प्रकार बचे हुए धन को अन्य व्यवसायिक साधनों के उपबन्ध करने में लगाया जा सकेगा ।

पाकिस्तान, बर्मा और लंका से जो व्यक्ति भारत आ रहे हैं उनका प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के माननीय अधिकार आयोग के सम्मुख ले जाया जाना चाहिए । हमें भारत लौटने वाले शरणार्थियों हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उनके आने से हमारे राज्यों की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ती है ।

मैं यहां डा० जाकिर हुसैन के 3 मार्च, 1968 के भाषण से एक उदाहरण देना चाहता हूँ।

> "इस बारे में, जन संख्या के नियंत्रण का व्यवस्थित कार्यक्रम, आर्थिक विकास और शैक्षणिक पुनर्निर्माण आवश्यक था जिससे कि हम ऐसी स्थिति में आगे बढ़ सके जहाँ स्नातकों की उपाधि के साथ-साथ रोजगार भी दिया जा सके ।"

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यहां संबंधित सरकार नहीं हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जब तक यहां मिली-जुली सरकार नहीं है तब तक मुझे इसकी परवा नहीं ।

श्री फ० गो० सैन (पूर्णिया) : मै श्री ज्योतिर्मय बसु से पश्चिम बंगाल की सरकार में स्थिरता लाने का अनुरोध करता हूँ । मैं उनके माध्यम से तथा प्रस्तावक, मन्त्री महोदय, प्रधान मन्त्री के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक वहां स्थिरता स्थापित नहीं होती, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

पिछले कुछ महीनों में वहां अत्याधिक उपद्रव हुए हैं।

जहां स्थायी सरकारें चल रही थीं वहां उनका बहुमत समाप्त हो रहा है।

वहां का कोई भी मामला हमारे सम्मुख नहीं आया और तब सहसा अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया।

डा० मैत्रेयी बसु (दारजार्लिंग) : ये बातें सर्वथा असंगत हैं।

श्री फ० गो० सेन : वहां राजनीतिक बेरोजगारी है। मुझे पता नहीं यह क्यों पैदा की गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उसका बेरोजगारी से क्या सम्बन्ध है।

श्री फ० गो० सेन : राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक बेरोजगारी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। हमारे सामने बेरोजगारी का प्रश्न है। उन्हें श्री मोराजी देसाई, डा० राम सुभग सिंह और श्री पुनाचा का प्रश्न उठाना चाहिए।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) मेरे सहयोगी सदस्य बता रहे थे कि उन लोगों के लिए प्रधान मंत्री ने अवसर प्रदान किए हैं।

श्री फ० गो० सेन : मैं यह बता रहा था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे कर अपनी पुत्री के निवास स्थान पर शरण लेनी पड़ी। भूतपूर्व अध्यक्ष सभी दलों के सहयोग द्वारा प्रजातन्त्र के इस प्रदर्शन का अच्छी तरह संचालन कर रहे थे।

श्री रणधीर सिंह : यह संसद है कोई तमाशा नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे संकल्प का दलीय संघर्षों के लिए उपयोग न किया जाए।

श्री फ० गो० सेन : यह केवल आपकी व्याख्या है।

राजनीतिक अस्थिरता के कारण सभी काम रुके पड़े हैं। हमारा बड़ा देश है और हमारे सामने कई समस्याएं हैं। सीमाओं पर हमारे पड़ोसी हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। इसलिए हमारे यहां अच्छा प्रशासन होना चाहिए।

जो लोग काम पर लगे हुए हैं वे भी घेराव आदि के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। यदि आप इसमें सचाई नहीं पाते, तो मैं अपना कथन वापस ले सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया इसे वापस ले लें।

श्री फ० गो० सेन : आप ऐसा अपनी पार्टी के साथ लगाव के कारण कर रहें हैं। अन्य लोगों का ऐसा मत नहीं है।

अशिक्षित लोग शिक्षित हो गये हैं। गावों से बच्चों को शिक्षा पाने के लिए इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वहां उनके लिए कोई कार्य नहीं होता। इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है।

कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण होता जा रहा है। इससे गावों में कम लोगों को रोजगार मिल पाएगा। दूसरी ओर नए बीजों और उर्वरकों के उपयोग से उपज अवश्य बढ़ती है। लोग अपना नाम रोजगार के दफ्तरों में दर्ज कराते हैं परन्तु वर्षों तक उन्हें कोई कार्य नहीं मिल पाता। 55,000 इंजीनियर बेरोजगार हैं। मैं संसदीय समिति द्वारा समस्या के अध्ययन के पश्चात समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। हमारी चार योजनाओं में पशुओं के लिए नमक की कोई व्यवस्था नहीं की गई। शिक्षित बालक बालिकाएं बेरोजगार हैं। शिक्षित लोग चाहते हैं कि नौकरी कर रही लड़कियों से ही उनका विवाह हो, इससे विवाह एक समस्या बन गया है।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : यह सच है कि हर वर्ष बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सरकार इसके लिए उपाय तो कर रही है। प्रस्तावक को कहना चाहिए था कि सरकार इस समस्या का समाधान खोजने में विफल रही है। स्थिति के सुधार के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया। बंगाल में श्री ज्योतिर्मय बसु के दल का शासन है। जबसे उनके दल का शासन वहां स्थापित हुआ है बेरोजगारों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तुष्टिकरण की उनकी नीति के कारण समस्या और भी विकट रूप धारण कर रही है। केन्द्र पर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न न करने का आरोप नहीं है।

पिछले 20 वर्षों में सरकार ने औद्योगिक और कृषि उत्पादनों की वृद्धि द्वारा रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए।

उपभोक्ता सामान की हमारे देश में बहुलता है और पिछले वर्ष हमने 600 करोड़ रुपये के ऐसे सामान का निर्यात किया। हैवी इंजीनियरी के क्षेत्र में सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं जिनसे अधिक निर्माण कार्य लिया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा है। जनता का भी कर्त्तव्य है कि वे सुधार के लिए प्रयत्न करें।

शिक्षा के तरीके में परिवर्तन लाना चाहिए। यदि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में कोई न कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए जिससे वे लोग शिक्षा समाप्ति के पश्चात सीधे किसी न किसी क्षेत्र में उत्पादन प्रारम्भ कर दें। इससे हमारी अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

गावों के विद्यार्थी यदि शिक्षा समाप्ति के पश्चात अपने क्षेत्र में कृषि के विकास, उपज बढ़ाने तथा वहीं पर छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने पर ध्यान देंगे तो यह देश के लिए एवं उनके लिए भी अधिक उपयुक्त रहेगा।

सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है जिससे विवध उद्देश्यों के लिए ऋण दिए जा सकते हैं। यदि युवा वर्ग कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देने में अपने समय का उपयोग करेंगे तो उन्हें तो लाभ होगा ही साथ ही इससे देश का भी हित होगा।

रोजगार की समस्या हल करना जहां सरकार का काम है वहाँ इस बारे में जनता का भी उतना ही उत्तरदायित्व है। इसके साथ में इस संकल्प का विरोध करता हूँ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। यदि ऐसी संसदीय

समिति नियुक्त की जाती है तो उनके सुझावों से लाखों बेरोजगार लोगों को लाभ होगा। यह समिति चौथी पंच वर्षीय योजना में संशोधन करने का सुझाव भी दे सकती है क्योंकि अभी चौथी योजना का अंतिम रूप से निर्णय भी हुआ है।

समस्या इतनी विकट है कि इसका सामना करने के लिए हमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के प्रयत्नों का सहारा लेना पड़ेगा।

जब तक हम अपनी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन का निश्चय नहीं करते तब तक हम मूल समस्या का सामना नहीं कर सकते। हमारे जैसे देश के लिए, जो 1½ सौ वर्ष से पराधीन रहा है, यह अत्यन्त आवश्यक है कि विकास के पथ पर बैलगाड़ी की गति से नहीं अपितु तीव्रतम गति से चला जाये। आज देश में जो भारी असंतोष है उसका मुख्य कारण बेरोजगारी ही है। किसी भी दल, राज्य अथवा पार्टी पर इसकी जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा। आन्दोलन चलते रहेंगे। यदि स्थिति में सुधार न आया तो देश की स्थिति और भी विषम हो जाएगी।

जहां तक हमारे आर्थिक ढांचे के मूलभूत पुनर्गठन का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि योजना आयोग अथवा अन्य कोई प्राधिकार आवश्यक कार्यवाही करने की स्थिति में है। आजकल सभी दल समाजवाद की बातें करते हैं। हम में कुछ जो सुगठित समाजवाद में विश्वास करते हैं, यह दावा कर सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में ही बेरोजगारी को पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है। कुछ देशों में जहां शताब्दियों तक बिना विघ्न पूंजीवादी विकास होता रहा है, वहां भी समय-समय पर आर्थिक संकट आते रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ती रही है। किन्तु साम्यवादी देशों में बेकारी की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान कर लिया गया है। इस बात को वह लोग भी मानते हैं जो साम्यवाद के घोर विरोधी हैं।

भारत जैसे देश में हमें मूल रूप से अपनी ही नीति अपनानी होगी। हम सब इससे सहमत हैं कि देश में औद्योगीकरण होना चाहिये। साम्राज्यवादी दासता हमारी इस प्रगति में बाधक है। अतः हमें अपने देश से साम्राज्यवादी अवशेषों को समाप्त करना होगा। पिछले 22 वर्षों में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

समाजवाद के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। फिर भी देश की कुल पूंजी केवल 75 एकाधिकारियों के हाथों में इकट्ठी है। इन बड़े वर्गों की आर्थिक शक्ति तोड़ी जानी चाहिये।

बेकारी की समस्या छोटे मोटे उपायों से दूर नहीं की जा सकती। इसके लिये हमारी नीति में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। इस संकल्प को स्वीकार कर एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये और उस समिति में संसद सदस्य और आर्थिक विशेषज्ञ भी शामिल किया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय युवक संघ तथा छात्र संघ द्वारा इस मास की 18 तारिख को इस सभा को एक याचिका भेजी गई थी जिस में बेकारी की समस्या के समाधान के लिये सुझाव दिये गये थे और इस पर देश के 10 लाख से भी अधिक युवकों के हस्ताक्षर थे। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस समस्या की ओर अधिक तथा तुरन्त ध्यान देगी। कहीं ऐसा न हो कि बेकारी की समस्या की उग्रता इतनी बढ़ जाये कि हम उसको बाद में संभाल न पायें।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : सभापति महोदय मेरा विचार इस समय बोलने का नहीं था। परन्तु मुझसे पहले एक कांग्रेसी मित्र और एक साम्यवादी मित्र बोले हैं इस लिये मुझको बोलने के लिये बाध्य होना पड़ा। कांग्रेसी मित्र ने कहा सरकार क्या कर सकती है? साम्यवादी मित्र ने कहा इस में कोई बेरोजगारी नहीं है। साम्यवादियों को सरकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाएं साम्यवादी आधार पर ही बनाइ गई थीं। इसके अनुसार हमने भोजन कपड़ा आदि की ओर ध्यान न देकर इस्पात के उत्पादन की ओर ध्यान दिया और 4 बड़े इस्पात संयंत्र बनाये।

कांग्रेसी लोग कहते हैं कि यह सरकार का दोष नहीं है। फिर यह किसका दोष है? इसका कारण सरकार की गलत नीतियां है। यदि सरकार ने अपनी नीतियां खादी आदि के विकास के आधार पर बनाई होती तो बेकारी की समस्या सुलझ सकती थी।

उत्तर प्रदेश की एक खादी संस्था में 2 करोड़ रु० के मूल्य की खादी बनाई जाती है और उसमें 25,000 व्यक्ति काम करते हैं। इसमें 3 लाख बुनकर हैं क्योंकि बहुत से बुनकर अल्पकालिक रूप में काम करते हैं। मिलों में डेढ़ लाख रु० की पूंजी के पीछे एक व्यक्ति काम करता है जबकि खादी उद्योग में 50 रु० का चरखा एक व्यक्ति को रोजगार देता है। यदि हम रूसी मित्रों की नकल करेंगे तो इससे बेकारी और बढ़ेगी क्योंकि हमने देश की परिस्थितियां रूस की परिस्थितियों से भिन्न हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा पद्धति से भी बेकारी बढ़ी है। इस शिक्षा पद्धति में सैद्धान्तिक ज्ञान दिया जाता है न कि व्यावहारिक और इसी कारण आप हजारों की संख्या में इंजीनियर और कृषि स्नातक बेकार हैं। गांधी जी ने हमें जो शिक्षा पद्धति दी थी वह व्यावहारिक थी और उसमें लोग अपने हाथों से काम करते थे। इसके अतिरिक्त भारी उद्योग पर अधिक बल दिये जाने से कृषि की उपेक्षा होती है। कृषि के बलबूते पर ही आज अमरीका ने उद्योग के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति की है। इंगलैंड में भी उद्योगों के आरम्भ में खाद्य के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे। हमारे इस्पात संयंत्र पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे हैं और प्रत्येक संयंत्र में प्रत्येक दिन 2-3 लाख रु० की हानि होती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा है हम जानते हैं। अधिकारियों तथा अतिथियों के लिये शानदार इमारतें बनाई जाती हैं न कि कारखानों के मजदूरों के लिये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ऐसे नौकरशाहों के हाथ में हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है। हमारी नीतियां गलत हैं। हम उपर से नीचे को चलते हैं। उच्चत्तर शिक्षा के लिये समिति नियुक्त की जाती है किन्तु उच्चतर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा पर और माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करती है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को कुछ नहीं सिखाया जाता है। इसलिये मेरा विचार है कि हमारी योजनायें ठीक प्रयोजन को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं। इससे मेरा यह अर्थ नहीं है कि मैं औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं हूँ परन्तु मैं चाहता हूँ कि औद्योगिकरण इस प्रकार हो जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिले।

परन्तु हम सोचते हैं कि केवल पैसा ही पूंजी है। यह एक गलत धारणा है। गांधी जी ने कहा था कि तुम्हारे लोग तुम्हारी पूंजी हैं, अगर तुम उनको रोजगार नहीं देते हो तो तुम्हारी

अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर सकती, ये लोग जो मंत्री-कक्ष में बैठते हैं खादी नहीं पहनते हैं। यदि पहनते भी हैं तो इनके घरों में इसका प्रयोग नहीं होता है। मद्यनिषेध के सम्बन्ध में भी ये मंत्री गम्भीरता से विचार नहीं करते। हमें उनके इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए कि केवल बोल्सेविक तरीके से ही हम अपनी अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण कर सकते हैं, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी में कमी नहीं होगी यह केवल बढ़ती ही जाएगी। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इसमें वृद्धि हुई है। हम पश्चिम की अर्थव्यवस्था का अंधानुकरण कर रहे हैं जो हमारे जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है यह उस समय के शासकों ने क्लर्क पैदा करने के लिए बनाई गई थी, इसीलिए आज आप देखते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और यह ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण यह है कि प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक शासक अपने सगे सम्बन्धियों को तथा जाति बिरादरी भाइयों को नौकरी देना चाहता है। इसीलिए दफ्तरों में 33 से 50 प्रतिशत तक फालतू कर्मचारी हो गये हैं। यदि तुम्हारे कार्यालय में 50 प्रतिशत फालतू आदमी हों तो आप ऐसी आशा कैसे करते हैं कि वहां कार्यकुशलता होगी। इसी प्रकार यह बेरोजगारी बढ़ रही हैं। धन्यवाद।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : The problem of unemployment is a national problem. It is not proper to see it as a problem of any party. It gives us pain when we see that thousands of young engineers. doctors and other technical persons are roaming about in search of jobs It gives us pain because we could not do during the last 22 years what we should have done. Our population is 50 crores and we have a huge manpower. It is unfortunate that we could not reconstruct our country by solving the most important problem which we could do. We did not give due importance to the men and man's labour for the construction of the country. That is why we could not provide a new social system in a large country of 50 crores of population.

I do agree that today our country is passing through a crisis. Our citizens do not have full clothes to wear, good diet to eat, complete social amenities for a good living and a good house to live. Under these circumstances we cannot say that there is shortage of work in our country. We have to do a lot of work in this country. We have to produce more clothes, build houses, construct hospitals and roads and dams for irrigation purposes.

I fail to understand why there is unemployment in a country where a lot of works remains to be done and a new social order is to be reconstructed. Why there is unemployment when there is no shortage of work ? I want to say that there is no doubt in it that there had been some drawback in our national reconstruction policy which we have followed during the last 22 years. That is why we are facing a complicated problem today.

We should accept that during the last 22 years no justice has been done towards the down trodden people. If justice would have been given to them, today we should have not seen the landless farmers sitting idle for 6 or 7 months in a year. They get work only for 4 or 5 months in a year and in the remaining months of the year they have to sit idle. Today the most difficult problem which we are facing is of unemployed educated persons. On the one hand we have inspired our young ones to pursue the courses in engineering, medical and other branches of sciences and on the other hand we could not give them employment. Definitely there has been some defects in our schemes due to which we could not reconstruct our country in the true sense.

The West Bengal Government is increasing unemployment and they are keeping mum with regard to production. How can you solve the problem of unemployment without production Whether it is in West Bengal or Kerala, we have to give due importance to labour. We have to increase production. We should not see this problem from political

point of view. I do not agree with the second part of this motion. We do not want to create begging tendency among the people. It is mentioned in it that a National Financial Scheme should be formed. I want that there should be a Parliamentary Committee which should consider our previous basic policies seriously and should study the drawbacks in their implementation.

We have got so much work that if the schemes are implemented properly the problem of unemployment can be solved. We talk of socialism but we could not proceed towards socialism. We should not only talk but should work also and only then the country can make progress. Therefore, the national problem of unemployment should not be taken lightly. It is a serious problem.

The political instability in the country is also one of the reasons for unemployment. Today, there is discontentment among the public, poor, workers and farmers and the main cause of it is that we have worked for economic reconstruction very slowly. We secured political freedom but we did not work towards a news social order in which all should get food, cloth, house and other amenities.

I do not agree with Shri Kripalani that we can complete with other countries by depending on village industries or on decentralise economy. I support this views that labour should be given due importance. That country cannot make progress where labour is not given its due place. But it does not mean that we can make headway in the international field on the basis of small village industries or farming. This is an age of science. Science has made such headway. We cannot neglect it. The problem of unemployment can be solved by utilising modern science. We can use power in village industries also. It is necessary to modernise them today. We will have to make full utilisation of science and technology to reconstruct our country. Today there is unemployment both among educated and illiterate persons. We have opened Colleges and Universities but we did not make any proper planning that where these graduates, engineers and doctors coming out from these institutions will be given employment. We have installed steel plants but we have not made any planning that how they will be utilised and how the small industries will thrive. The small industries do not get steel due to which their development suffers. We should have looked into it.

Similar is the problem of landless farmers. We had a feudal system, a Jamindari System and a Jagirdari System under which a few people had occupied the land. Lacs of acres of land remained unused but that land was not allotted to the poor Harijans and Adivasis. Today, in West Bengal, Naxalities are forcibly occupying land. This is all because the ordinary people do not have land.

The landless farmers should be given land and other means should also be provided to them, so that they may develop their land and increase production. They remained slaves of the landlords for years together and lived and are still living a life of sufferings which is not good for our social order.

Today, the work has increased in our country due to industrialisation but unemployment has increased where modernisation has taken place. I want to ask why we did not start new industries and subsidiary industries. If ten times more industries are started today, even then we will feel necessity for having some more industries. We can remove unemployment to a large extent if more industries of cloth, cement, jute etc. are started. Therefore, we see that we do not have shortage of work in our country. Only the planning is defective. We cannot solve the problem of unemployment until we plan properly in respect of the reconstruction of a new social and economic order.

We have started co-operative movement and are entrusting it to those persons who do not have the experience of trade. This results in the failure of efforts. Therefore, I want that you should take the small shopkeepers and traders in confidence and should give them adequate assistance so that their talent may be utilised.

The main reason of political instability after the 1967 election is economic conscience. Everybody wants that he should go ahead and his economic condition should improve. It can be possible only, when we will look at this problem from national point of view.

I want that labour should be given due importance and production should increase in the country. We should take this problem seriously and should make sincere efforts to solve it.

श्री स० कुण्डू : प्रत्येक दल को कम से कम पांच मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये। हम छः बजे के बाद भी बैठने को तैयार हैं। पहले इस मामले पर विचार विमर्श होना चाहिये तथा श्री जगजीवन राम के संकल्प पर बाद में विचार होना चाहिये। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा आज 6-30 बजे तक बैठे।

श्री मो० मुहम्मद इमाम : नहीं, नहीं, जब तक सभा स्वयं ही ऐसा न चाहे हमें कार्यवाही ठीक समय पर समाप्त कर देनी चाहिये।

सभापति महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के समय में वृद्धि करने का कोई नियम नहीं है। इस संकल्प के लिए हमने कुछ समय निर्धारित किया था परन्तु हम उससे भी आगे बढ़ गये हैं। यदि प्रत्येक को कम से कम पाज मिनट भी दिये जायें तो भी अनेक सदस्य बोलना चाहेंगे। अब डा० मैत्रेयी बसु !

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय हमारे राष्ट्र को कठिनाई का सामना इसलिये करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी योजनाओं का गलत अर्थ लगाया गया है। हमारी योजनाएं अधिकांशत: सोवियत संघ की प्रणाली पर चल रही हैं जबकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। यही कारण है कि हमारी योजनायें सफल नहीं हुई हैं। बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करने तथा ग्रामीण उद्योगों की ओर समुचित ध्यान न देने के कारण ही यह विकट स्थिति उत्पन्न हुई है। साथ ही औद्योगिक नीति, विकास-नीति तथा जनसंख्या नीति का एकीकरण नहीं किया गया है। हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों का कोई लाभ नहीं उठाया है। कोयला उद्योग की सर्वथा अपेक्षा की गई है यथा इसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया गया है। दूसरी ओर कच्चे तेलों का अधिकाधिक आयात किया जा रहा है जिस पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

आग जनता की ओर ध्यान दिये बिना सभी कुछ मशीनों के द्वारा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं औद्योगीकरण, आधुनीकीकरण अथवा मशीनों के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु यह सब कुछ हमारी जनसंख्या सम्बन्धी नीति को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये। योजनायें तो लोगों की ही भलाई के लिए बनाई जाती हैं, किसी अन्य अभिप्राय के लिये तो नहीं।

दुनिया के समाजवादी भागों में बेरोजगारी बहुत कम है। क्या सरकार ने पूर्ण मशीनीकरण के परिणाम को समझा है यदि हां, तो क्या इसका अर्थ देश के सांस्कृतिक विकास में बाधा नहीं होगा ?

सभापति महोदय : श्री स० कुण्डू !

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : यदि बेरोजगारी की इस भीषण समस्या का समाधान नहीं

किया गया है तो देश में लोकतंत्र को संकट पैदा हो जायेगा । शिक्षित युवकों का लोकतंत्र शासन प्रणाली से विश्वास समाप्त हो जायेगा और हमें अपना इस मूल्यवान लोकतंत्र से हाथ धोना पड़ेगा ।

बेरोजगारी की समस्या के संबंध में हमने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वह श्री आजाद को इसका उत्तर देने के लिए न कहें क्योंकि श्री आजाद तो केवल रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के अध्यक्ष हैं जबकि बेरोजगारी की समस्या का संबंध तो आयोजना आयोग, गृह-कार्य मंत्रालय, प्रधान मंत्री तथा श्रम मंत्रालय से है । गत 22 वर्षों के शासन के बाद भी सरकार रोजगार सम्बन्धी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कोई एक विभाग नहीं बना सकी । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार एक निष्क्रिय सरकार है जो कुछ भी नहीं करना चाहती ।

चौथी योजना के अन्त तक देश में 40 लाख बेरोजगार लोग होंगे । इस समस्या को हम कैसे हल करने जा रहे हैं ? सरकार के पास ऐसा कोई विश्वसनीय साधन नहीं है जिससे वह यह पता लगा सके कि देश में कुल कितने लोग बेरोजगार हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इस संदर्भ में कोई नई बात पैदा की गई है ।

बेरोजगारी की समस्या को वास्तविक रूप से दूर करने के लिये सरकार को अपने लक्ष्य निर्धारण में परिवर्तन करना होगा । ये लक्ष्य रोजगार प्रदान कराने के अनुपात में निर्धारित किये जाने चाहियें तथा उत्पादन करने के साथ साथ यह भी अनुपात ध्यान में रखना चाहिये कि उक्त उत्पादन की तुलना में कुल कितने बेरोजगार हमारे देश में हैं ।

आप कितना ही उत्पादन बढ़ायें परन्तु उन को खरीदने के लिये बेरोजगार लोग कहां से धन लायेंगे ?

सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में भी कुछ नहीं किया है । सरकार के आंकड़े कहते हैं कि मूल्यों के मामले में लघु उद्योग भारी उद्योगों का मुकाबला कर सकता है । सरकारी अफसरों का विचार है कि बड़े पैमाने के उद्योगों में उत्पादन लागत अधिक आती है । क्या इसी विचार धारा वाले अधिकारियों ने बेरोजगारी की समस्या को हल करना है ?

हथकरघा उद्योग 75 लाख लोगों को रोजगार देता है तथा 2 करोड़ लोगों के रख-रखाव की सुविधायें जुटाता है परन्तु सरकार तो बड़े बड़े सूती कपड़ा मिलों को बहुत चाहती है तथा हथकरघा उद्योग को आय कर आदि की छूट नहीं दे रही है जिसके परिणाम स्वरूप यह उद्योग समाप्त होता जा रहा है । उनका कहना है कि उस उद्योग में 500 रुपये लगाने से 2½ व्यक्तियों को तथा 50 करोड़ रुपया लगाने से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा परन्तु फिर भी अब सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है ।

आज का हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि बड़े उद्योगों में साबुन उद्योग के संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त रिबन, बेकर तथा कांटेदार तारों के उद्योग को भी संरक्षण दिया जाना चाहिये । बड़े उद्योगों को इनका उत्पादन करना चाहिये ।

लोगों को यह मालूम होना चाहिये कि वे कैसे ऋण प्राप्त करें, कहां से योजना के बारे

में मानें तथा किस बैंक से सम्पर्क स्थापित करें ताकि उन्हें शीघ्र ही ऋण मिल सके। उन सुविधाओं के बिना औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं। जापान में ऐसा ही किया गया तथा आज वह दुनियां में तीन बड़े औद्योगिक देशों में से एक है।

बेरोजगारी और निर्धनता आज इस चर्चा का प्रमुख प्रश्न है और सरकार इस बारे में थोड़ा-बहुत कह कर हम को संतुष्ट नहीं कर सकती। इस सम्बन्ध में कोई कारगर कानून बनाया जाना चाहिये। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं चाहिता हूँ कि इस समिति में केवल सदस्यों को ही नहीं बल्कि अर्थ शास्त्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिये ; इस समिति के निर्देश पद भी महत्वतूर्ण होने चाहिये और यह समिति तीन महीने के भीतर ही अपना प्रतिवेदन पेश करे और सरकार इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करे।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय ! बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और हल करने के लिये इसे सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिये। इस संदर्भ में हमें उपयुक्त वातावरण तैयार करना होगा।

जब सरकार आधुनिक आर्थिक विचार धारा की बात करती है तो लगता है जैसे वह मध्यकालीन दुनियां में रह रही है। वस्तुतः हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में देश की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बृहत स्तर पर विचार विमर्श किया जाना चाहिये।

मैं और मेरा दल तो सब से अधिक इस संदर्भ में सोचता है कि क्या हमें देश में टेक्नोलोजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। जब तक इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं करते समाजवाद के नारे लगाना तथा भविष्य की किसी आर्थिक प्रणाली के बारे में सोचना व्यर्थ है। विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी निर्भरता चाहे वह विचारों की हो अथवा साज-समाज की हो देश की शक्ति को कमजोर करती है। अतः आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने सरकारी क्षेत्र का सुधार करें। सरकारी क्षेत्र तो जरूर रहेगा मगर हम सब को यह प्रयत्न करना चाहिये कि वहां कार्य तथा सामाजिक न्याय की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि रोजगार के बारे में यह क्षेत्र देश में एक आदर्श क्षेत्र बने। हमारे राष्ट्रपति भी रोजगारी बढ़ाने के बारे में बहुत जोर दे रहे हैं परन्तु न जाने सरकार हमारे राष्ट्रपति के विचारों को कहां तक महत्व देती है।

हम स्पष्ट रूप से यह आश्वासन चाहते हैं कि देश में टेक्नोलोजी के संबंध में अनुसंधान दिया जायेगा ताकि देश में अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिले। सरकार द्वारा खर्च की गई काफी धनराशि तथा पुनः किया गया काम व्यर्थ जाता है। मशीनीकरण करते समय भी सरकार को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के सभी पहलुओं को देखना चाहिए। अतः मंत्री महोदय इस विषय पर नये दृष्टिकोण से विचार करें।

बेरोजगारी की समस्या को आत्मनिर्भरता के आधार पर हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। भारत में प्राकृतिक संसाधनों व स्रोतों की भरमार है और यही हमारे भविष्य की आशा है। परन्तु विदेशों से विचार धारा और सिद्धान्त प्राप्त करने की हमारी कुछ आदत सी

हो गई है । हमें यह वृत्ति छोड़नी होगी । हमें सदैव लाभ प्रद विचार-विमर्श करना चाहिये, थोथी राजनैतिक बातचीत से कोई लाभ नहीं होगा । कृषि के फालतू श्रम का फिलहाल कृषि में ही उपयोग किया जाना चाहिये तथा फिर धीरे धीरे बेरोजगारी को समाप्त किया जाना चाहिये ।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : मैंने इस आशय का संशोधन रखा है कि बेरोजगारी व्यक्तियों के नाम अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

केरल आयोजना बोर्ड ने एक मसौदा प्रतिवेदन तैयार किया है जिसमें वहां के 10 लाख बेरोजगार तथा 14 लाख अपूर्ण-रोजगार प्राप्त लोगों की समस्या पर गम्भीरता से विचार किया गया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को 75 पैसे से एक रुपया प्रतिदिन दिया जाना चाहिए । इसके लिए धनराशि एकत्र करने के लिए भूमिपतियों पर एक विशेष प्रकार का लाभ कर अथवा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में 140 लाख लोग बेरोजगार होंगे । प्रत्येक योजना के बाद बेरोजगारी तथा एकाधिकार बढ़ते जा रहे हैं । भुख-मरी बढ़ रही है । परन्तु सरकार इस आर्थिक स्थिति पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है ।

इससे मेरा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति का नाम अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिये तथा राहत के रूप में उसे कम से कम एक रुपया प्रतिदिन दिया जाना चाहिये सरकार इस समस्या पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करे तथा उस समिति का प्रतिवेदन संसद में पेश करे । केरल सरकार आयोजना बोर्ड के सदस्यों को भी समिति में रखा जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूँ ।

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : बेरोजगारी की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों की चिन्ता को सरकार भली भांति अनुभव करती है । इस सभा के अनेक सत्रों में इस समस्या से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं तथा सरकार ने भी अपनी ओर से इस समस्या को कोई कम महत्व नहीं दिया है । सरकार इस समस्या को बहुत महत्वपूर्ण समझती है और वास्तव में ही आज यह एक ज्वलंत समस्या है ।

[श्री वसुदेवन नयर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

तीनों योजनाओं के दौरान हमारा यही प्रयत्न रहा है कि देश में अधिकाधिक रोजगार बढ़ाया जाय । वर्ष 1951-196 ' तक हमने 315 लाख लोगों को रोजगार दिलाया परन्तु इसके साथ ही 380 लाख श्रमिक और पैदा हो गये । अतः कुछ सदस्यों का यह कहना सच है कि चौथी योजना के अन्त में बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई मिलेगी ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कीजिये ।

श्री भागवत झा आजाद : यह तो एक उपाय है । मैंने जब तीन योजनाओं में रोजगार उपलब्ध करने की बात की तो उस समय तत्सम्बन्धी अनुमान पर सन्देह व्यक्त किया जाने लगा ।

इसी लिए योजना आयोग ने प्रो० दान्तवाला की अध्यक्षता में एक दल नियुक्त किया है जो देश में बेरोजगारी की समस्या का अनुमान लगायेगा। यह दल शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन दे देगा। इससे देश में बेरोजगारी की स्थिति का सही पता चल सकेगा।

यह समस्या केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी विद्यमान है। हां, हमारे देश में यह बड़े पैमाने पर है।

मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूँ कि इसे सुलझाने के लिये कारगर ढंग से उपाय करने होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। माननीय सदस्यों ने अनेक अच्छे सुझाव दिये है। मै मानता हूँ कि चौथी योजना में हमें आवश्यक परिवर्तन करने होंगे कृषि की ओर विशेष ध्यान देना होगा और उपाय करने होंगे। देहाती क्षेत्रों के विद्युतीकरण की ओर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर ध्यान से विचार करेगी। हमें आशा है कि सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या पर नियन्त्रण किया जा सकेगा।

एक माननीय सदस्य ने शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी का जिक्र किया है। 1968 में सरकार ने बेरोजगार इंजीनियरों के बारे में कुछ उपाय किये थे। पिछले वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में मंदी आने के कारण भी बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल हो गई है। सभी इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध नहीं किया जा सका। इसके समाधान के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मन्त्रालय में एक त्रिपक्षीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति है। यह समिति इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करती है और निर्णय करती है। इस समय तो हमें उत्पादन बढ़ाने की ओर सर्वाधिक ध्यान देना है। हमें देखना है देश के श्रमिक वर्ग को भी लाभ मिले। इस ओर हमें ध्यान देना है।

ये उपाय करने के बाद इस समस्या के समाधान में प्रशासनिक कार्यवाही का विशेष महत्व होगा। सरकार इसके लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करेगी, जो सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करेगी और स्थिति में सुधार करने के लिये सुझाव देगी। इस मामले में यथासम्भव शीघ्रता की जायेगी। विशेषज्ञ समिति में संसद सदस्य भी होंगे।

इन तथ्यों की दृष्टि से मैं आशा करता हूँ कि श्री ज्योतिर्मय बसु अपना संकल्प वापिस ले लेंगे।

श्री ज्योतिमय बसु : मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की बजाय कमी हो गई है। स्वचालित मशीनों आदि के प्रयोग से भी ऐसा हुआ है। इस से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है।

यहां पश्चिमी बंगाल का उल्लेख किया गया है मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर गत 15 वर्षों में रोजगार की स्थिति खराब ही हुई है।

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा घेराओं के पश्चात् जो 84 लाख व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या आप चुप करेंगी ? (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इस प्रकार कहना ठीक नहीं। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिये।

श्री ज्योतिमय बसु : मैंने जो कुछ कहा ठीक ही कहा है। मैं कह रहा था कि तेल के उद्योग में भी बेरोजगारी 30 प्रतिशत बढ़ी है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह ठीक है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्री ज्योतिमय बसु : मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, परन्तु मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुनी जाये। हमारी योजनायें ही त्रुटिपूर्ण थीं। ये एकाधिकार वाली विदेशी कम्पनियों के हित में थीं। हमें पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। केरल की भूतपूर्व सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों के लाभ के लिये एक योजना बनायी है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि बेरोजगारों को राहत देने के प्रश्न पर विचार हेतु सरकार एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने जा रही है। अतः मैं अपने संकल्प पर बल नहीं देता मैं आशा करता हूँ कि यह कार्य शीघ्रता से किया जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 2 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 से 5 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos 3 to 5 were put and negatived.

सभापति महोदय : क्या श्री बसु को अपना संकल्प वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

केन्द्रीय खाद्य मन्त्री के आय-कर धन-कर आदि के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : INCOME TAX, WEALTH TAX, ETC OF UNION FOOD MINISTER.

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा खाद्य मन्त्री श्री जगजीवन राम तथा अन्य मंत्रियों द्वारा आय-कर और धन-कर विवरणियों के न भेजे जाने और जिन विभिन्न संस्थाओं के साथ खाद्य मन्त्री का सम्बन्ध है उनके द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं बरते जाने के बारे में देश में

की जा रही व्यापक आलोचना पर विचार करती है और संकल्प करती है कि इन आरोपों की छानबीन करने और संसद् को प्रतिवेदन देने के लिए संसद् की एक समिति नियुक्त की जाये।"

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक गम्भीर तथा उलझा हुआ विषय है। जबतक हमें इस बारे में पूरे तथ्य मालूम नहीं होंगे हम इस पर अच्छी तरह से चर्चा नहीं कर सकेंगे। अतः मेरी मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि पहले वह हमें पूरे तथ्यों से अवगत करायें।

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ से आदेश नहीं दिया जा सकता। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मन्त्री महोदय आप के सुझाव पर विचार करके जैसे ठीक समझें कर सकते हैं। अध्यक्षपीठ को आदेश देने का अधिकार नहीं है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : संकल्प को प्रस्तुत करते समय माननीय सदस्य ने "श्री जगजीवन राम तथा अन्य केन्द्रीय मन्त्रियों' कहा है...

श्री जे० मुहम्मद इमाम : मैंने इन्हीं शब्दों में अपने संकल्प की सूचना दी थी। शायद कार्यालय ने उस में से कुछ शब्द हटा दिये हों। वैसे मुझे इसकी सूचना भी नहीं दी गई।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने अन्य मन्त्री' हटा दिया है। अतः कार्य सूची में दिया गया संकल्प ही प्रस्तुत हुआ माना जायेगा। आप अध्यक्ष महोदय से मालूम कर सकते हैं। आप अपनी बात खाद्य मंत्री तक ही सीमित रखें।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, it is for the first time that the speaker has changed the text of a resolution by exercising his powers. He can do so only under rules. I want to know under what rule it has been done in this case ?

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह संकल्प कुछ समय पूर्व परिचालित किया गया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा इसमें परिवर्तन किये जाने पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। अब यह सभा के समक्ष है। अब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वैसे यदि यह चाहें तो अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिल सकते हैं।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : मेरे संकल्प में जो परिवर्तन किया गया है मुझे उसकी सूचना तो मिलनी चाहिये थी। यह मेरे ध्यान में नहीं लाया गया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, under rule 174, the speaker can disallow a part of a resolution only if it is found to be in contravention of rules. In my view the resolution of Shri Imam was in accordance with the rules.

सभापति महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा को लेंगे।

*भारतीय अर्थव्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति

UNSATISFACTORY STATE OF INDIAN ECONOMY

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : यह चर्चा 17 नवम्बर के 'भारतीय अर्थ व्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति' शीर्षक वाले प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न बातों पर उठायी जा रही है। अब जबकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, मन्दी की स्थिति समाप्त हो रही है, तो ऐसी हालत में अर्थव्यवस्था असन्तोषजनक क्यों है। देश की ऐसी अर्थव्यवस्था पर चिन्ता व्यक्त की जा रही है। एक देश की समृद्धि का अनुमान उसकी प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति अत्यावश्यक वस्तु की खपत से लगाया जा सकता है। इस कसौटी के अनुसार, हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। 1969 में हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है।

सूती कपड़े, खाने के तेल और चीनी की खपत पर दृष्टिपात कीजिए। 1964-65 की तुलना में 1967-68 में इनकी खपत क्रमशः 11, 14 और 17 प्रतिशत रही। दूसरी ओर 1961 और 1966 के बीच मोटरकारों का निर्माण 27 प्रतिशत, वातानुकूलकों का निर्माण 44 प्रतिशत प्रशीतकों का निर्माण 292 प्रतिशत, और नकली रेशमी कपड़े का उत्पादन 51 प्रतिशत बढ़ा। विकाशसील अर्थव्यवस्था में तो सामान्य लोगों का स्तर और इन वस्तुओं की खपत बढ़नी चाहिए किन्तु यहां पर तो इससे उल्टी बात हो रही है। हमें लगातार हड़तालों, प्रदर्शनों और घेराओं का सामना करना पड़ रहा है। इनके पीछे साम्यवादियों का हाथ बताकर हम संतोष कर लेते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह ठीक भले ही हो परन्तु यदि गम्भीरतापूर्वक सोचा जाये तो यह स्वस्थ आर्थिक स्थिति का लक्षण नहीं है, और श्रमिकों में असंतोष व्याप्त है। आज मूल्य स्तर इतना ऊंचा है कि श्रमिकों को आज जो मजूरी मिलती है, उसमें उनका गुजारा नहीं होता। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि जनवरी 1969 के बाद मूल्य स्तर तेजी से बढ़ा है। यदि मूल्य स्तर इसी भांति बढ़ता गया गया और रोजगार के साधन सीमित रहे तो चौथी योजना के आरम्भ में बेरोजगार लोगों की संख्या 3 करोड़ हो जायेगी।

बचत, पूंजी विनियोजन और उत्पादन के बारे में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि पूंजी जुटाने का वातावरण आशाप्रद नहीं है। गत 20 वर्षों में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सके जिससे निजी बचत को बढ़ावा मिलता। 1965-66 में समाप्त होने वाली दशाब्दी में राष्ट्रीय आय में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। किन्तु बचत में इसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई, अपितु वह 8 प्रतिशत पर ही रुक गई है। 1967-68 में राष्ट्रीय आय में 8-5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। किन्तु बचत में केवल 6.6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है ऐसी स्थिति में तेजी से प्राप्ति कैसे की जा सकती है ?

कृषि-क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। किन्तु भविष्य में कृषि क्षेत्र में कितनी पूंजी लगाई जा रही है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उर्वरकों के उत्पादन में लगभग 10 लाख टन की कमी होगी। कांडला, मिर्जापुर और ट्राम्बे आदि कुछ परियोजनाओं में

*आधे घण्टे की चर्चा।

Half an hour discussion.

उत्पादन आरम्भ नहीं होगा और कुछ परियोजनाओं को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया जा रहा है। यदि उर्वरकों के उत्पादन में इतनी कमी होगी तो कृषि उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

मन्त्री महोदय द्वारा बताये गये आंकड़ों के अनुसार 1975 तक भारत में 32 करोड़ मीटरी टन पैट्रोलियम की आवश्यकता होगी। 1980 वाली दशाब्दी में इसके 8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि होगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें एक नया तेलशोधन कारखाने की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। केवल तेल की खोज पर ही 1000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। हमारे यहां अशोधित तेल का उत्पादन 62 लाख टन है जबकि हमें 3 करोड़ मीटरी टन पैट्रोलियम चाहिए। इतनी बड़ी कमी को आप कैसे पूरा करेंगे ?

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में तो कुछ प्रगति दिखाई देती है, परन्तु इस वर्ष इस्पात और इंजीनियरी के माल का निर्यात गिर गया है जबकि विदेशों में इस सामान की बहुत अधिक मांग है। निर्यात संवर्धन के मार्ग में जो अड़चनें हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

मूल्य-वृद्धि का एक कारण यह है कि आज बहुत अधिक मुद्रा परिचलन में आई हुई है और मुद्रास्फीति का कारण है विभिन्न सरकारों को ऋण दिये जाना। अधिक मुद्रा के कारण उद्योगों में अधिक उत्पादन करने और उनके विस्तार के लिए अधिक पूंजी का विनियोजन नहीं किया जा सका है। इस परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं की जा सकती। आज की राजनीतिक अस्थिरता पर भी मुझे बड़ी चिन्ता है। एक विकासशील देश में अर्थव्यवस्था से तात्पर्य न केवल मांग की पूर्ति से होता है अपितु उसका उद्देश्य कुछ अधिक होता है। अतः मैं वित्त मन्त्री से यह पूछना चाहता हूँ कि वह भावी मांग को किस प्रकार पूरा करेंगे ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : First of all I would like to know the steps taken by Government during the last four or five years to check the deficit financing and the extent to which it has been checked. If you could not check it, the reasons therefor ? As long as the deficit financing is not stopped, the economy of the country will not improve. It will remain in an unsatisfactory condition. May I know whether the Government will freeze the funds of P. L. 480 which is spent in India by U. S. A. Embassy, as adds to the deficit financing ? The unemployment has increased inspite of the efforts made by Government for increasing employment potential. The rate of growth in 1968-69 has been less than what it was in 1967-68. There has not been increase in savings in proportion to the increase in national income. If that is the position, what steps are taken by Government for strengthening the economy of the country ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The economy of our country is at cross-roads at present. Indian economy is getting weak day by day. Defective planning, wrong priorities and bad implementation are the causes for stagnation in our economy. Our economy cannot be termed as developing economy but it is stagnant economy or decaying economy. May I know whether the *per capita* income has increased or not add whether the level of consumption of the masses have gone up or it has gone down ? May I also know whether Government will give this guarantee that national minimum will be made available to everybody in the country within a specified period and whether it will make a phased programme for it ?

श्री स० कुन्बू (बालासौर) : मैं श्री रा० बरुआ को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने इस चर्चा को आरम्भ करते हुए भारत की अर्थ-व्यवस्था का एक वास्तविक चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। निस्संदेह भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, वह गतिशील भी नहीं रही है। हमारे देश में लगभग 10 प्रतिशत लोग गरीब हैं, जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसा रूप देने के लिए, जिससे कि सामान्य जनता को लाभ हो, सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय यह मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है ; यदि हां तो अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? संसाधनों के पूर्ण प्रयोग के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? फिजूलखर्ची और अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए एक मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए आपका क्या कार्यवाही करने का विचार है ? आपका दस सूची कार्यक्रम कब लागू किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : माननीय सदस्य ने यह चर्चा रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन तथा उसके सम्बन्ध में दिये गये मेरे उत्तर के आधार पर उठाया है। मैंने यह स्पष्ट बताया था कि रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन में निरूपित स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी माननीय सदस्य ने बताई है। उसमें रिजर्व बैंक ने यह स्वीकार किया है कि दो वर्ष के सूखे और मन्दी की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरी है। कृषि-क्षेत्र में नई तकनीक अपनाये जाने के कारण जो प्रगति हुई है उसका इसमें बहुत अधिक सहयोग रहा है। आज गांवों में बिजली की मांग अत्यधिक है। किसान अच्छे किस्म के अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाएं और सिंचाई की सुविधाओं की मांग अधिक करते हैं। कृषि क्षेत्र में नए तरीकों से प्रगति हुई है और हमें आशा है कि खाद्य उत्पादन दस करोड़ मीटरी टन तक पहुंच जायगा। किन्तु मैं इसके साथ ही यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि कृषि के लिए अपेक्षित उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज आदि वस्तुओं को ऐसे स्थानों पर अधिक बर्बाद न करें जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं हैं और इन वस्तुओं का सम्भरण उन क्षेत्रों में बढ़ाई जाये। जहां इनसे अधिक लाभ होने की सम्भावना हो। मुझे पूर्ण आशा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि क्षेत्र को और अधिक सहायता प्राप्त होगी। हमारे यहां उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा है। हमारा लक्ष्य 30 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन उवरक 15 लाख मीटरी टन फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन का है। हमारे पास उर्वरकों का इस समय काफ़ी भण्डार है। आगामी दो-तीन वर्षों में हमें अनाज का आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा बहुत चावल ही विदेशों से मंगाना पड़ेगा। हमें इस बात के लिए भी सचेत रहना है कि कृषि क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह ज्यों की त्यों कायम रहे। उसमें आगे प्रगति हो, ह्रास नहीं होना चाहिए। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमारे यहां रूई के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। इसीलिए लगभग 100 करोड़ रुपये के मूल्य की रुई हमें प्रतिवर्ष बाहर से मंगानी पड़ती है।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसमें भी पर्याप्त प्रगति दिखाई देती है इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में 6-7 प्रतिशत तक प्रगति होगी। कुछ उद्योगों में प्रगति हुई है और कुछ में प्रगति की अभी भी गुंजाइश है, जहां उपलब्ध क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा

है। औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी-विनियोजन तथा क्षमता-वृद्धि या क्षमता का सदुपयोग करने की दृष्टि से हमें बहुत कुछ करना है। सरकारी क्षेत्र में कारखानों के सम्बन्ध में हमें ऐसे कार्य करने हैं, जिनसे उनकी स्थिति सुधरे और उनमें हानि की बजाये लाभ होने लगे। कुल 83 सरकारी कारखाने हैं जिनमें से कुछ से लाभ हो रहा है और कुछ में हानि।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, गत वर्ष निर्यात में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई थी किन्तु इस वर्ष कुछ कारणों से उतनी प्रगति नहीं हो पाई है। परम्परागत वस्तुओं अर्थात चाय, काफी आदि वस्तुओं के निर्यात में तो कमी आई है परन्तु मशीनी औजारों और यंत्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी हुई है। आगामी दशाब्दी में आयात और निर्यात में संतुलन हो जायेगा और तब हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस विवरण से यह सिद्ध होता है कि उद्योग, कृषि और निर्यात की दृष्टि से देश की अर्थ-व्यवस्था गतिहीन नहीं है। वस्तुतः हमारी स्थिति सुधरी है और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है।

जहां तक प्रति व्यक्ति आय का सम्बन्ध है, 1965-66 में यह 307.3 रुपये थी और 1968-69 में यह 319.3 रुपये थी ; यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या की वृद्धि है, जिसे हम भागीरथ प्रयत्नों के बाद भी रोक नहीं पाये हैं।

यह कहना भी गलत है कि संसाधनों का उपयोग उन उद्योगों के लिए किया जा रहा है जो प्राथमिकता वाले नहीं हैं, जैसे प्रसाधन सामग्री उद्योग आदि। इस्पात मशीन, रसायन, बिजली यातायात, संचार के साधन और कृषि सभी पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। किसी की भी उपेक्षा नहीं की गई। फिर भी इस बात के लिए प्रयत्न किये जायेंगे कि गैर-प्राथमिक प्राप्त वस्तुओं का उत्पादन कम हो और वस्तुओं का अनावश्यक उपभोग भी कम हो।

श्री झा ने घाटे की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया है। वर्ष 1966-67 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की घाटे की स्थिति कुल 189 करोड रुपये की थी, 1967-68 में यह 224 करोड़ रुपये थी और 1968-69 में यह 266 करोड़ रुपये थी घाटे की स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी माननीय सदस्य ने बताई है। हम इस पर भी ध्यान देंगे कि घाटे को अर्थव्यवस्था को किस सीमा तक रोका जाये। जहां तक मूल्यों में वृद्धि का सम्बन्ध है, अनाज के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है केवल रुई और पटसन के मूल्यों में वृद्धि हुई है। ऐसा प्रयास किया जायेगा जिससे मांग के अनुरूप उत्पादन हो सके। इससे मूल्य स्थिर किये जा सकेंगे।

अन्त में मैं पुनः यह कहना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी माननीय सदस्य ने बताई है। फिर भी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनसे लाभ उठाने का प्रयास किया जायेगा।

हिन्दुस्तान एयरनाटिक्स लिमिटेड और श्रम संगठनों के बीच समझौते के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : AGREEMENT BETWEEN HAL AND LABOUR UNIONS

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्रीमान्, सभा को यह सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड और उक्त कम्पनी के छः बड़े श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के बीच 21 नवम्बर 1969 को एक समझौता हो गया है जिसके अन्तर्गत उक्त कम्पनी के मजूरी ढांचे में संशोधन करने का उपबन्ध है। यह समझौता 1 जनवरी 1969 से चार वर्ष के लिए लागू होगा।

इसके अनुसार अकुशल कर्मचारी का न्यूनतम पारिश्रमिक 144 रुपये से 195 रुपये प्रति मास होगा। विभिन्न पदों के वेतनों में प्रतिमास 49 रुपये से लेकर 59 रुपये तक की वृद्धि होगी। इस वृद्धि में महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ते में होने वाली वृद्धि भी सम्मलित है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप उक्त कम्पनी का मजूरी बिल 23 प्रतिशत अधिक होगा।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार 1 दिसम्बर, 1969/10 अग्रहायण 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 1st December, 1969/ Agrahayana 10, 1891 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.